लोक-सभा

मंगलवार,
९ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५-४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८-६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ ३५८ -३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . ३८३ -४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . ४८५ -४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . ४९९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१-८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४-८२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९ ८२६–८३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३ ८३२–८४८

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . . ८४९–८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०. ८९२–९०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ . ९०६–९१८

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . . ९१९ ९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२ . . . . . ९६१–९६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ . ९६९–९९४

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२ ९९५–१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०३२ १०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ . १०३५–१०४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ . १०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

यूनेस्को

*५६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में जो यूनेस्को के पदाधिकारी रह रहे हैं वे किस-किस राष्ट्र के हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : आस्ट्रेलिया, डच, ब्रिटिश, जर्मन, आइरिश, जापानी, फ्रांसीसी, अमरीकी और भारतीय ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन विदेशी विशेषज्ञों को इस देश में कूटनीतिक विमुक्ति प्राप्त है ?

डा० एम० एम० दास : सभी सदस्य विशेषज्ञों की श्रेणी में नहीं आते। कुछ यूनेस्को के कर्मचारी भी हैं । मैं यह नहीं जानता कि उन्हें कूटनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं या नहीं।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत सरकार ने इन विदेशी विशेषज्ञों को क्या विशेषाधिकार दे रखे हैं और क्या भारत सरकार उन पर किसी न किसी रूप में कुछ धन व्यय कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैंने अभी बताया, दो वर्ग हैं। एक, यूनेस्को के कर्मचारी; और दूसरा, वे विशेषज्ञ जो टेक्निकल सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत आये हुए हैं। ये विशेषज्ञ भारत सरकार की सहमति से यहां आये हैं। साधारणतया भारत सरकार को विशेषज्ञों की भारत में सरकारी कार्य पर की जाने वाली यात्रा पर, उनके निवास तथा भोजन पर व्यय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय करना पड़ता है। उसे सचिविकीय तथा चिकित्सकीय सहायता पर भी व्यय करना पड़ता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : कितने भारतीय पदाधिकारी तथा विशेषज्ञ यूनेस्को कार्य के सिलसिले में भारत से बाहर कार्य कर रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : भारत से बाहर कार्य करने वालों के विषय में तो हमें जानकारी नहीं है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या भारत सरकार द्वारा पिछले काफ़ी दिनों से प्रयत्न किये जाने के परिणामस्वरूप यूनेस्को में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कुछ बढ़ी है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय भारत में यूनेस्को के बाईस आदमी हैं जिनमें से बारह भारतीय हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : भारत में नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

नोट आदि का कागज बनाने का कारखाना

*५६२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या वित्त मंत्री २८ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोट आदि का कागज बनाने का कारखाना स्थापित हो गया है ;

(ख) कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा और उस पर अब तक कितनी धन-राशि व्यय हुई है ; और

(ग) क्या इस कारखाने को स्थापित करने में विदेशियों की भी कोई सहायता ली गई थी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). मैसर्स पोरटल्स नामक ब्रिटिश सार्थ की सहायता से, नोट आदि का कागज बनाने वाले कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान चुना जा रहा है । हम नोटों का कागज उक्त सार्थ से ही मंगवाते हैं । इस परियोजना पर अभी कुछ व्यय नहीं हुआ है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : इस कारखाने की स्थापना के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

श्री ए० सी० गुह : अभी कोई स्थान नहीं चुना गया है । विशेषज्ञों ने कुछ स्थानों का निरीक्षण किया है ; परन्तु वे एक बार फिर आ रहे हैं और आकर कुछ और स्थान देखेंगे ।

श्री जयपालसिंह : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि विशेषज्ञों ने कुछ स्थानों का निरीक्षण किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने कौन कौन से स्थान देखे हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि वे अम्बरनाथ, खोपोली, कामशेट, हृदयसर, दुर्गापुर, त्रिवैनी, वैतरण, कोडर्मा और होशंगाबाद में स्थान देख चुके हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उपयुक्त स्थानों के सम्बन्ध में सुझाव राज्य सरकारों से मांगे गये हैं या ये विशेषज्ञ केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर स्वयं विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुह : वे किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही आगे कार्यवाही कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि भारत सरकार के पास विभिन्न स्थानों के विषय में कुछ जानकारी है और उसी के अनुसार वे उन स्थानों को देखने जा रहे हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह समझूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

साधारण निर्वाचन

*५६४. **श्री डाभी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१-५२ में हुए प्रथम साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) तथा (ख). सरकार ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश संख्या १, २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, १४ और १५ को जो भारत के प्रथम साधारण निर्वाचनों सम्बन्धी उनके प्रतिवेदन के खण्ड १ के परिच्छेद २६ में दी गई हैं, समग्र रूप से और सिफारिश संख्या ८, १३ और १७ को अंशतः स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है । स्वीकार की गई इन सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत करने के उपबन्ध लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम, १९५० और १९५१ का संशोधन करने वाले दो विधेयकों में किये गये हैं जो चालू सत्र में लोक-सभा में पुरःस्थापित किये जा चुके हैं।

श्री डाभी : क्या आगामी साधारण निर्वाचनों को उनकी निश्चित तिथि के पश्चात् निलम्बित करने की सम्भावना है ?

श्री विश्वास : अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है। संविधान विद्यमान है और सदस्य संभाव्य तिथि के बारे में अपना अनुमान लगा सकते हैं।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि सरकार आगामी साधारण निर्वाचनों का कार्यक्रम निश्चित करने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ?

श्री विश्वास : निश्चित ही सरकार उसके प्रतिवेदन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। परन्तु मैं अभी यह नहीं कह सकता कि क्या यह साधारण निर्वाचनों की तिथि निश्चित करने के लिये है।

विश्व बैंक फोटोग्राफर

*५६५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से चलने वाली विविध परियोजनाओं के फोटो लेने के लिये अमरीकी फोटोग्राफर अभी हाल भारत आये थे ; और

(ख) उन्होंने किन किन परियोजनाओं के फोटो लिये ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) विश्व बैंक ने अपने सामान्य प्रकाशन-कार्य के लिए सभी देशों में बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के फोटो चित्र लेने के निमित्त न्यूयार्क की एक कम्पनी से प्रबन्ध कर रखा है। इस कम्पनी का एक फोटोग्राफर, जो स्विटजरलैण्ड का नागरिक था, एक इसी काम के लिए इस वर्ष फरवरी-मार्च में भारत आया था। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के नये फोटो चित्र प्राप्त करने के लिए बैंक ने भारत में इस व्यक्ति की उपस्थिति से लाभ उठाया।

(ख) १. ट्रोम्बे में टाटा का थर्मल पावर प्लांट ;

२. इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने ;

३. दामोदर घाटी कारपोरेशन की योजनाएं ; और

४. केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो फोटो (चित्र) लिए गए हैं, उनकी प्रतियां भारत सरकार को भी भेजी गई हैं ?

श्री बी० आर० भगत : यह फोटो बैंक ने अपनी पुस्तिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन के काम में लाने के लिए लिये थे और उनकी प्रतियां हमारे यहां आती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह जो फ़ोटो लिये जायं उनकी प्रतियां सरकार को भेजें, मगर वह हमें पुस्तिकाओं और पत्र-पत्रिकाओं से मिल जाती हैं।

श्री बी० एन० मिश्र : जैसा कि अभी सवाल किया गया था कि क्या इन फोटुओं की प्रतियां भारत सरकार को दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, उसका खुलासा नहीं हुआ कि प्रतियां आईं कि नहीं, और यदि आईं, तो किन किन चीज़ों की आईं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं उन्होंने कहा है कि प्रतियां प्राप्त हो गई हैं। उनके लिये भारत सरकार को प्रतियां भेजना अनिवार्य नहीं है परन्तु उनके पास प्रतियां आ गई हैं—उन्होंने यह कहा है।

श्री बी० एन० मिश्र : मेरे सवाल का मतलब यह था.....

अध्यक्ष महोदय : अधिक चर्चा नहीं । क्या वह कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री बी० एन० मिश्र : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कापियां आईं कि नहीं और अगर आईं तो किन किन की कापियां आईं ?

श्री बी० आर० भगत : इस की फेहरिस्त तो अभी मैं नहीं दे सकता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जसे अभी बताया गया है कि वह प्रकाशन के लिए उन्होंने दी हैं और अपना जवाब देते हुए बतलाया कि वह जो चित्र हैं वह प्रकाशन की प्रतियों से हमें प्राप्त होंगे तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार इस तरह की मांग करेगी कि वह प्रतियां उनको ओरिजनल मिल सकें ?

श्री बी० आर० भगत : ऐसी तो कोई अभी जरूरत नहीं समझते ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि क्या विश्व बैंक के लिये संसार के अन्य देशों में परियोजनाओं की फोटो लेने की रीति है, जिनकी यह वित्तीय दृष्टि से सहायता करता है ?

श्री बी० आर० भगत : मैंने अपने उत्तर में कहा था कि विश्व बैंक संसार के समस्त देशों में उन सब परियोजनाओं की फोटो लेता ह जिनको वह वित्तीय सहायता देता है ।

समुद्र पार के देशों में विद्यार्थी

*५६६. **श्री इब्राहीम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी सहायता से समुद्र पार के देशों में कितने भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) उनके अध्ययन के विषय क्या क्या हैं ; और

(ग) १९५५-५६ के दौरान कितने विद्यार्थियों को विदेशों में भेजने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २५ ।

(ख) कला; इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी (वैद्युत अभियान्त्रिकी); भू-भौतिकी; सामान्य विरूप शोधन-शल्य विज्ञान, विधि, साहित्य, चिकित्सा; न्यष्टि भौतिकी; भौतिकी; राजनीति; लोक प्रशासन, विज्ञान, सामाजिक नरतत्त्वविज्ञान ; सैद्धान्तिक भौतिकी ।

(ग) ९ ।

श्री इब्राहीम : क्या भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों को विशेष छात्रवृत्तियां दी गई हैं, और यदि हां, कितने विद्यार्थियों को और कितनी राशि की ?

डा० एम० एम० दास : भारत-फ्रांस करार के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत सरकार ने फ्रांस में पढ़ने वाले फ्रांसीसी भारतीय विद्यार्थियों को उस तिथि से छात्रवृत्तियां देने का दायित्व अपना लिया है, जिस दिन पाण्डिचेरी राज्य का हस्तान्तरण भारतीय यूनियन में हुआ था, अर्थात् १ नवम्बर, १९५४ से ।

इस प्रकार की १७ छात्रवृत्तियां हैं । सभी विद्यार्थी फ्रांस में पढ़ रहे हैं और छात्रवृत्ति की मासिक राशि के सम्बन्ध में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री इब्राहीम : इनमें से कितने बिहारी विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया है ?

डा० एम० एम० दास : विभिन्न राज्यों से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिये जाते हैं और वह इंग्लैण्ड या फ्रांस

में रहते हैं तो उन के रहने और उनकी शिक्षा के सम्बन्ध में उन को जो कठिनाइयां होती हैं, उन के बारे में बहुत सी शिकायतें हमारे पास भी आती हैं और गवर्नमेन्ट के पास भी आती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें हैं उनके लिये क्या गवर्नमेन्ट कुछ कोशिश करती है यह ऐसे ही गाड़ी चलती रहती है?

डा० एम० एम० दास : हमारे उच्च आयुक्त का कार्यालय इंगलिस्तान में है और हमारे शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी वहां पर उच्च आयुक्त के कार्यालय के अधीन काम करते हैं। वे वहां इन विद्यार्थियों की देखभाल रखते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या इन विद्यार्थियों के लिये कोई नवीकरण पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है ताकि वे अध्ययन के हेतु विदेशों में जाने से पूर्व भारत सम्बन्धी कतिपय मूलभूत तथ्यों को जान सकें?

डा० एम० एम० दास : मुझे ऐसे किसी पाठ्यक्रम का पता नहीं है।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

*५६७. **डा० सत्यवादी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक कार्यकर्त्ताओं को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत १९५५–५६ वर्ष के लिये छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई हैं?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा० सत्यवादी : क्या स्कालर्शिप्स के लिये कोई दरख्वास्तें मांगी गई हैं?

डा० एम० एम० दास : जी हां, प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं और विद्यार्थी चुने जा रहे हैं।

भूतत्वीय शास्त्री तथा खनिज विज्ञानवेत्ता

*५६९. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में भूतत्वशास्त्रियों तथा खनिज विज्ञानवेत्ताओं की कमी को दूर करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : भूतत्वशास्त्रियों तथा खनिज-विज्ञानवेत्ताओं की प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त उपबन्ध किया जा रहा है।

श्री विश्व नाथ राय : अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री के० डी० मालवीय : धनबाद में भारतीय खान पाठशाला का विस्तार किया जा रहा है, और आगामी पांच वर्षों के अन्दर, खनिजविज्ञानवेत्ताओं तथा प्रौद्योगिकीवेत्ताओं की मांग के समस्त प्रश्न का, विश्वविद्यालयों को सुविधा विशेष देने और आवश्यकता की पूर्त्ति करने की दृष्टि से परीक्षण किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने एक योजना तैयार की थी कि जिन इलाकों में खानें पाई जाती हैं या धातुयें पाई जाने की सम्भावना है, वहां के लोगों को भूगर्भशास्त्र की प्रारम्भिक जानकारी वह अवश्य दे देंगे? मै जानना चाहता हूं कि इसमें कहां तक प्रगति हुई है।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, वह हमारी योजना थी, जिस पर मेरा ख़याल है कि विचार हो रहा है। लेकिन प्रश्न तो इस सम्बन्ध में था कि सरकार मिनरालोजिस्ट्स और टेकनालोजिस्ट्स की पूर्ण शिक्षा में क्या सुविधायें दे रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार ने हमारे देश में उपलब्ध समस्त शिक्षा-प्राप्त भूतत्वशास्त्रियों और खनिजविज्ञानवेत्ताओं का पुंज बना दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, हां। हमने इस प्रश्न पर खूब विचार किया है। हमारे पास समस्त खनिजविज्ञानवेत्ताओं और भूतत्वशास्त्रियों की व्यापक सूची है, जिनकी हमें आवश्यकता है, और हमें उनका भी ज्ञान है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। इस समय भूतत्वशास्त्रियों और खनिजविज्ञानवेत्ताओं की कोई विशेष कमी नहीं है। परन्तु, चूंकि हम आगामी पंचवर्षीय योजना में अपने कार्यक्रम को बहुत अधिक विस्तृत कर रहे हैं, इसलिये हो सकता है कि इस समय हमारे पास जो लोग हैं उन से अधिक लोगों की हमें आवश्यकता पड़े, अतः हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विश्व नाथ राय : क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण आरम्भ करने के लिये कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : आन्ध्र, बनारस, कलकत्ता, मद्रास, मैसूर और पटना जैसे कतिपय विश्वविद्यालयों में भूतत्वीय और खनन-इंजीनियरों सम्बन्धी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि इस समय पहले से जो सुविधाएं हैं उनका किस प्रकार अच्छी तरह विस्तार किया जा सकता है।

खनिज तेल

*५७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में खनिज तेल का पता लगाने के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में आरामबाग सब-डिवीज़न में खनिज तेल सबसे अधिक है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) मैसर्ज़ स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी ने मुआदी वाले क्षेत्र में ३० अप्रैल, १९५५ को अपना भूकम्पीय भुजायन सर्वेक्षण समाप्त कर लिया था, और अब कुछ क्षेत्रों में परावर्तन सर्वेक्षण के लिये प्रयोगात्मक खोज कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में परावर्तन सर्वेक्षण के लिये भविष्य का कार्यक्रम अब की जाने वाली प्रयोगात्मक खोज के परिणामों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(ख) आराम बाग सब-डिवीज़न में बड़ी मात्रा में खनिज तेल के अस्तित्व के बारे में अभी से कुछ कहना समय से बहुत पहले की बात होगी।

श्री रघुनाथ सिंह : आप इस का काम हिन्दुस्तानियों को देंगे या फारेन कम्पनी को देंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : इसका पूरा पूरा लाभ हमको होगा, किसी फारेन कम्पनी को नहीं होगा।

श्री एन० बी० चौधरी : यह सार्थ किन शर्तों पर खोज कार्य कर रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : पश्चिमी बंगाल के जलाशय में उस करार के अधीन खोज हो रही है जिसके अधीन भारत सरकार और

स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी ने एक संयुक्त समवाय बनाया है ; हम उस उपक्रम में २५ प्रतिशत तक भागीदार हैं । और ज्यों-ज्यों खनिज तेल का पता चलेगा, हम उसी अनुपात में भागीदार बने रहेंगे । निस्सन्देह, हमारे पास देश भर में निकलने वाले तेल को खरीदने का अधिकार रक्षित रहेगा ।

श्री साधन गुप्त : किस मूल्य पर ?

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में खोज-सर्वेक्षण हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सर्वेक्षण प्रत्येक ज़िले में हो रहा है अथवा क्या इस कार्य के लिये कोई विशेष स्थान चुना गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार खोज-सर्वेक्षण हो रहा है ।

रबड़ का कारखाना

*५७३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के लिये अपेक्षित रबड़ का आवश्यक सामान बनाने के लिये राजकीय रबड़ कारखाना स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) रक्षा सेवाओं द्वारा एक वर्ष के अन्दर अनुमानतः कितने मूल्य का रबड़ का सामान खरीदा जाता है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) लगभग ६० लाख रुपये का ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि रक्षा सेवाओं को जो ६० लाख रुपये का सामान दिया जाता है वह अधिकतर भारत में विदेशी समवायों द्वारा बनाया जाता है या आयात किया जाता है ?

श्री त्यागी : कुछ सामान का आयात किया जाता है और अधिकतर सामान भारत में बनाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या वह सामान भारत में विदेशी समवायों द्वारा बनाया जाता है या विदेशी मालिकों द्वारा ?

श्री त्यागी : जी हां । सारा सामान डनलप रबड़ कम्पनी तथा फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी से जिनकी भारत में अपनी फैक्टरियां हैं और गुडइयर टायर एण्ड रबड़ कम्पनी तथा इण्डिया टायर्ज़ से जो अपना सामान भारत की किसी-न-किसी फैक्टरी में तैयार करते हैं प्राप्त होता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार सैनिक भाण्डारों के लिये विशेषतया रबड़ के सामान के लिये उन समवायों को आर्डर देना वांछनीय समझती है जिनमें विदेशियों के हित निहित हैं और जिनका नियंत्रण भारत में विदेशियों द्वारा होता है ?

श्री त्यागी : जी नहीं । यह विदेशियों के आधार पर नहीं है । हमारे भाण्डारों के लिये वस्तु सूचियां भेजी जाती हैं और टैंडर मंगवाये जाते हैं, तब उन टैंडरों का परीक्षण किया जाता है और तब उन सार्थों को ठेके दिये जाते हैं जो मांग के अनुसार सामान भेज सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर: विदेशियों द्वारा भारत में तैयार किये गये रबड़ के सामान का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य होने के कारण और इस कारण कि ऐसा सारा सामान देशी रबड़ से तैयार किया जाता है क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की उपयोगिता पर विचार किया है कि रक्षा सेवाओं को जितने रबड़ के सामान की आवश्यकता हो वह सब किसी सरकारी फैक्टरी में तैयार किया जाए ?

श्री त्यागी : रबड़ के सामान के लिये कोई सरकारी फैक्टरी खोजने की प्रस्थापना नहीं है क्योंकि यह उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में है । परन्तु इस बात का निश्चय करना कि कौन कोई समवाय आरम्भ करेगा या नहीं मेरे सहयोगी वाणिज्य और उद्योग मंत्री का काम है ।

भौगोलिक नाम

*५७४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी के शुद्ध उच्चारणों के आधार पर भौगोलिक नामों के अंग्रेजी पर्यायों में शुद्धियां की हैं जैसे "गैंजेज़" (Ganges) के लिये "गंगा" (Ganga), "कौनपोर" (Cawnpore) के लिये "कानपुर" (Kanpur) आदि ;

(ख) क्या ये परिवर्तन केन्द्र की स्वीकृति से किये गये हैं ; और

(ग) सारे देश भर के भौगोलिक नामों को शुद्ध करने के बारे में कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) । जी हां ।

(ग) आवश्यकतानुसार भौगोलिक नामों में अगस्त १९५३ में इस हेतु बनाई गई समान रीति के अनुसार शुद्धियां की जाती हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात भी आई है कि स्वयं हमारी राजधानी दिल्ली को अंग्रेज़ी में (Delhi) लिखा जा ।। म्बई को (Bombay) और कलकत्ता को (Calcutta) लिखा जाता है और क्या इन के संशोधन करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने अभी कहा है कि एक आधार केन्द्रीय सरकार ने बना लिया है जिसके अनुसार १३ अगस्त १९५३ और ११ नवम्बर १९५३ में तमाम सरकारों को आदेश दे दिये गये हैं । उसी आधार पर जो समान नियम बनाये गए हैं उन समान नियमों के अनुसार तमाम इस तरह के परिवर्तन भौगोलिक नामों के हिज्जों में किये जा सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं.............

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

*५७५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ अप्रैल, १९५४ को उपस्थापित किये गये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् की द्वितीय विवेचन-समिति के प्रतिवेदन के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४**]

श्री एस० सी० सामन्त : द्वितीय विवेचन-समिति की सिफारिशें दो भागों में विभक्त हैं: एक भाग में सामान्य विषयों का और दूसरे में वैज्ञानिक तथा टैक्निकल विषयों का विवेचन किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामान्य विषयों पर विचार किया गया है, और क्या बोर्ड ने उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री के० डी० मालवीय : ये सारे प्रश्न विशेष समिति के समक्ष हैं, जो समिति की सिफारिशों की परीक्षा करने और उन को

कार्यान्वित करने का सर्वोत्तम मार्ग मालूम करने के लिये नियुक्त की गई है। जब इस विशेष समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा, तब निस्सन्देह सरकार इन सब सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार करेगी और तत्सम्बन्धी निर्णय करेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : यह विशेष समिति कब नियुक्त की गई थी और कब इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत होने की आशा की जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : समिति के प्रतिवेदन पर शासी निकाय ने १५ सितम्बर, १९५४ को विचार किया था और तब ही यह विशेष समिति नियुक्त की गई थी, जिसमें डा० भाभा, डा० घोष, डा० कोठारी और श्री दीवान चन्द शर्मा हैं। परिषद् ने यह भी निर्णय किया था कि शासी निकाय के सब सदस्यों को भी सुझाव देने के लिये कहा जाए।

श्री एस० सी० सामन्त : बोर्ड और इस समिति ने जिस दोहरे गवेषणा कार्य को कहा था, क्या उस पर विचार किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : गवेषणा कार्य में कुछ दोहरापन होना स्वाभाविक है। यदि दो स्थानों पर साथ साथ गवेषणा कार्य होता है, तो वैज्ञानिक उसे अवांछनीय नहीं समझते। उसमें अधिक हानि प्रतीत नहीं होती।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या विशेष समिति की नियुक्ति हुए पर्याप्त समय बीत नहीं गया है ? इसलिये, मैं पूछना चाहता हूं कि विशेष समिति की नियुक्ति कब हुई थी।

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने कहा, विशेष समिति कहीं सितम्बर १९५४ में नियुक्त की गई थी। निस्सन्देह उसके पश्चात् बहुत समय बीत गया है, परन्तु चूंकि उसके सामने अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, इसलिये इसमें कुछ देर हो सकती है।

कैटिकीय सर्वेक्षण

*५७६. **श्री गोपाल राव** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस कैटिकीय दल को जो हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियों का सर्वेक्षण कर रहा है, कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार की है और कितनी है ; और

(ग) क्या दल को सर्वेक्षण के लिए कोई विशिष्ट कार्य सौंपा गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग)। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]।

श्री गोपाल राव : विवरण में कहा गया है कि अभियान भारत के प्राणकीय सर्वेक्षण और प्रो० मानी और उसके गवेषणा साथियों ने इकट्ठा आयोजित किया है। किन्तु मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि दल को किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई थी। विवरण में कहा गया है कि उस पदाधिकारी का खर्च जो दल के साथ था, प्राणकीय सर्वेक्षण विभाग पूरा करेगा। उस दल का अन्य खर्च किस ने दिया था, जिस के नेता प्रो० मानी थे ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास यह जानकारी नहीं है। सम्भवतः प्रो० मानी के दल का खर्च विश्वविद्यालय दे रहा है।

श्री गोपाल राव : क्या दल ने हिमालय में कीट जीवन, वनस्पति तथा पशु और अन्य पहलुओं अर्थात् हिमालय के पहाड़ों में ऊंचाई पर वायु में आक्सीजन की मात्रा के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या संयुक्त दल को सहायता देते समय सरकार ने उसे यह भी निदेश दिये थे कि हिमालय में ऊंचाई पर कीटशास्त्र के किन विशिष्ट विषयों का अध्ययन किया जाये और क्या यह भी सच है, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, कि इस दल ने हिमालय के कल्पनात्मक पशु (स्नोमैन) के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने यह समाचार नहीं पढ़ा, किन्तु सम्भव है कि भारत के प्राणकीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ने दल के सदस्यों के साथ खोज के कार्यक्रम पर चर्चा की होगी ।

अन्धों की शिक्षा

*५७८. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में बताया गया हो कि :

(क) अन्धों की शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी में क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे ;

(ख) सरकार ने क्या सुझाव स्वीकार किए हैं ; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने पर अनुमानित व्यय क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अंधों की शिक्षा सम्बन्धी गोष्ठी द्वारा दिये गये मुख्य मुख्य सुझाव बताये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६**] ।

(ख) ये सुझाव केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

(ग) इस अवस्था पर यह बताना सम्भव नहीं है कि गोष्ठी के विभिन्न सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है ।

श्री हेम राज : विवरण से ज्ञात होता है कि भारत में अंधों की गणना की जायेगी । यह कब तक होगी और क्या इसमें भिखारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय लूले लंगड़ों की गणना से है तो मेरा निवेदन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी गणना का एक प्रस्ताव है ।

श्री हेम राज : विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक बड़े राज्य में एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जायेगा । इसका खर्च कौन देगा---केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैंने कहा है गोष्ठी के संकल्प और सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री साधन गुप्त : क्या सरकार ने विभिन्न भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करने के लिए ब्रेल मुद्रणालय स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे विचार में एक ब्रेल मुद्रणालय देहरादून में काम कर रहा है ।

श्री साधन गुप्त : केवल हिन्दी में ।

डा० रामा राव : इस गोष्ठी की मुख्य सिफ़ारिश यह है कि प्रत्येक भाग 'क' और भाग 'ख' राज्य में कम से कम एक संस्था स्थापित की जाये । क्या सरकार केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी ओर से कम से कम एक संस्था स्थापित करेगी ?

डा० एम० एम० दास : हमारे पास बहुत सी प्रस्थापनाएं हैं जिन पर लगभग २

करोड़ रुपये खर्च होंगे । जहां तक अन्धे और अन्य अपाहिज बच्चों का सम्बन्ध है अगली पंचवर्षीय योजना के लिए अस्थायी प्रस्थापनाएं हैं ।

बुनियादी स्कूल

*५८१. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को कितनी सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : कुछ नहीं ।

नियन्त्रक महालेखा परीक्षक

*५८२. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद १४८ (५) और १४९ के अन्तर्गत विधान पुरःस्थापित करने के लिए कोई पग उठाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है किन्तु इस अवस्था पर यह कहना सम्भव नहीं कि संसद् में कब विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच नहीं है कि संविधान सभा में इन अनुच्छेदों पर वाद-विवाद के समय यह माना गया था कि महालेखापरीक्षक की पदवी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के बराबर होनी चाहिए और यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधान इस प्रकार का होगा ?

श्री एम० सी० शाह : मैं नहीं कह सकता कि यह किस प्रकार का होगा किन्तु यह नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से होगा और संविधान के अनुसार होगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अनुच्छेद १४९ में उपबन्ध किया गया है कि जब तक कि इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था न की जाये महालेखापरीक्षक वही कर्तव्य पूरे करेगा और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि संविधान के लागू होने से तुरन्त पहले उसे प्रदान की गई थीं या जिनका वह प्रयोग कर सकता था । क्या यह सच नहीं कि वर्तमान नियमों के अनुसार महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपालों के बीच क्षेत्राधिकार के मामले में झगड़ा है और यदि हां, तो इसे निपटाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसी कोई बात नहीं है । जैसा कि संविधान में उपबन्ध किया गया है, प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पूरे किये जाने वाले कर्तव्य वहीं हैं जो कि संविधान के पारित होने से पहले थे ।

अखिल भारतीय शिल्पि-शिक्षा परिषद्

*५८४. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या शिक्षा मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) अखिल भारतीय शिल्पि-शिक्षा परिषद् के उच्च शिक्षा पाठ्य क्रमों की सूची ;

(ख) क्या ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग और अधिकृत लेखापाल संस्था जैसे संविहित निकायों द्वारा अभिज्ञान हैं ; और

(ग) क्या सरकार को वे शिकायतें विदित हैं जो कि "वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा" धारियों ने अधिकृत लेखापाल संस्था द्वारा बनाये गये नियमों के विरुद्ध प्रकट की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). अपेक्षित विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७] ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : सरकार यह मामला अधिकृत लेखापाल संस्था के साथ कब तक तय कर लेगी ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षा मंत्रालय और अधिकृत लेखापाल संस्था के बीच बातचीत हो रही है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : (ग) का उत्तर क्या है ?

डा० एम० एम० दास : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या अधिकृत लेखापाल संस्था मैसूर विश्वविद्यालय के 'वाणिज्य के डिप्लोमा' को अभिज्ञात करती है ?

डा० एम० एम० दास : किसी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा के अभिज्ञात होने या न होने के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

हिन्दी

*५८५. **डा० रामा राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारत के बाहर हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि दी गई है;

(ख) इसी अवधि में किन देशों में हिन्दी पढ़ाने के लिए प्राध्यापक भेजे गये हैं ; और

(ग) उन पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ;

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक् आवंटन नहीं किया गया । तथापि १९५५–५६ में विदेशों में शिक्षा और हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए १,२५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ख) इस अवधि में कोई प्राध्यापक नहीं भेजे गये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डा० रामा राव : क्या इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए किसी और भारतीय भाषा के लिए कोई राशि खर्च की जा रही है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं ।

डा० रामा राव : अन्य भाषाओं की उपेक्षा करके एक भाषा पर राष्ट्रीय कोष में से क्यों विशेष व्यय किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह राष्ट्रीय भाषा है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सम्भवत: ज्ञान है कि हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है ।

डा० रामा राव : क्या अनुच्छेद ३४३ में कहा गया है कि हिन्दी संघ की सरकारी भाषा है और राष्ट्रीय भाषा नहीं है और आप इसे राष्ट्रीय भाषा कह कर इस का अपमान कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क वितर्क कर रहे हैं ?

सेठ गोविन्द दास : क्या मंत्री महोदय को यह बात मालूम है कि यू० एन० ओ० में चार भाषाओं का उपयोग होता है : अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश, और इसलिए क्या इस बात का कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि हिन्दी को भी वहां पर रखा जा सके, क्योंकि यह चौंतीस करोड़ मनुष्यों की राष्ट्रभाषा है और करीब करीब अठारह करोड़ आदमी इसको बोलते हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : वे कहेंगे पहले पार्लियामेंट में तो हिन्दी कर लो ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिये ।

डा० एम० एम० दास : यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें, तो मैं इसका सहर्ष उत्तर दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : १,२५,००० रुपये की यह राशि किन मदों पर खर्च की जायेगी ? हम कोई प्राध्यापक नहीं भेज रहे हैं ।

डा० एम० एम० दास : गत वर्ष भी ५०,००० रुपये की मंजूरी दी गई थी । यह राशि तीन मदों पर खर्च की गई थी—उन देशों की संस्थाओं को हिन्दी की पुस्तकें देना, अध्यापकों को वेतन देना और हिन्दी के अच्छे विद्यार्थियों को पुरस्कार देना । वे योजनाएं इस वर्ष भी जारी रखी गई हैं और उन देशों में हमारे दूतावास नई योजनाएं भेजेंगे जिन पर सरकार विचार करेगी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जहां तक नोबल प्राइज़ का सम्बन्ध है, वहां पर दुनिया की करीब करीब सब भाषाओं की पुस्तकें पेश की जा सकती हैं ? क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि हिन्दी भी वहां पर शामिल कर ली जाये और हिन्दी भाषा की पुस्तकें नोबल प्राइज़ के लिए रखी जा सकें ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मेरा अनुभव है देश के स्वतन्त्र होने से बहुत पहले एक भारतीय लेखक को एक भारतीय भाषा में लिखते हुए नोबल पुरस्कार मिला था । अत: मेरे विचार में कोई रुकावट नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : यह अंग्रेजी अनुवाद था ।

श्री कामत : सेठ गोविन्द दास भी इसके लिये पात्र होंगे ।

शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति

*५८६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में शिक्षा मंत्री की विदेश यात्रा की अवधि में उन के मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रभारी कौन था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) डा० सैयद महमूद ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री महोदय की अनुपस्थिति की अवधि में नियुक्त किये गये उपमंत्री को उन के स्थान पर काम क्यों नहीं करने दिया गया था जो कि स्पष्टतया उनका काम था ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : उपमंत्री ने अभी कार्यभार संभाला है और यह उचित था कि एक अनुभवी मंत्रिमंडल के सदस्य को प्रभारी बनाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह आन्तरिक प्रबन्ध का प्रश्न था ।

असैनिक स्कूल अध्यापकों की छंटनी

*५८७. **श्री केशवैयंगार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से असैनिक स्कूल अध्यापकों को निकालने या उनकी सेवाएं समाप्त करने की सूचनाएं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनों को ऐसी सूचनाएं दी गई हैं ;

(ग) उनमें से अधिकांश की सेवा की अवधि क्या है ; और

(घ) क्या इन सूचनाओं को वापस लेने के लिए कोई अभ्यावेदन किये गये हैं और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). सेवा की समाप्ति की सूचनाएं २०२ असैनिक स्कूल अध्यापकों को दी गई थीं।

(ग) १ से ६ वर्ष तक।

(घ) जी हां, किन्तु यह प्रार्थना स्वीकार करना सम्भव नहीं है। तथापि यथासम्भव अधिक से अधिक स्कूल अध्यापकों को और नौकरियां देने का प्रयत्न किया गया है।

श्री केशवैयंगार : क्या मुझे यह आश्वासन मिल सकता है कि सेवा मुक्त किये गये इन व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक नौकरियों की खोज की जायेगी और जब इन के लिये नौकरियां मिल जायेंगी तो इन की सेवा निरन्तर समझी जायेगी ?

श्री त्यागी : जून मास में लगभग ३३ को अतिरेक घोषित किया गया था और उनमें से सभी काम पर लगा लिये गये थे। जुलाई में १८४ अतिरेक थे और उनमें से ९५ काम पर लगाये जा चुके हैं। यदि थोड़े ही समय में वैकल्पिक नौकरियां मिल गईं तो मैं यह प्रयत्न करूंगा कि उनकी पुरानी सेवा की भी गणना कर ली जाये।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि इन सिविलियन टीचर्स में से, जिनकी आयु और स्वास्थ्य ठीक हो, उनको मिलिटरी के रैंक्स दे दिये जायें ?

श्री त्यागी : जी हां।

श्री के० सी० सोधिया : इन स्कूल अध्यापकों को नोटिस दिये जाने के कारण क्या थे ?

श्री त्यागी : जब इन असैनिक अध्यापकों को सेवानियोजित किया गया था तो उनको बता दिया गया था कि उनकी नियुक्ति अस्थायी स्थानों पर की जा रही थी और यह स्थान सामान्यतः संयोधियों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे ही संयोधियों का अतिरेक हुआ और वे इन स्थानों पर आ जायेंगे तो असैनिक अध्यापकों को जाना पड़ेगा।

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

*५८८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना तथा वायु बल के लिये भारत में कितने रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार के कुछ और केन्द्र खोलने का विचार किया गया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क)

सेना	—	६५
वायुबल	—	१२।

(ख) हां, परन्तु प्रस्तावित अतिरिक्त केन्द्रों के सम्बन्ध में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

श्री डी० सी० शर्मा : इन केन्द्रों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है ?

डा० काटजू : यह एक बहुत ही विस्तृत प्रश्न है। इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री डी० सी० शर्मा : सेना एककों तथा वायुबल एककों में कितने व्यक्तियों को इस प्रशिक्षण से लाभ पहुंचा ?

डा० काटजू : इस के आंकड़े इसी समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस प्रशिक्षण के लिये विदेशों से कोई प्रविधिक कर्मचारी वर्ग आयात किया गया है अथवा यह प्रशिक्षण हमारे देश के संसाधनों की सहायता से ही दिया जाता है।

डा० काटजू : विदेशों से प्रविधिक कर्मचारी आयात करने का जहां तक सम्बन्ध है मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस तरह की भी कोई संस्था खोलने का विचार किया जा रहा है, ताकि हमारे इन युवकों को ट्रेनिंग के लिये बाहर विदेशों में न जाना पड़े और इनको यहीं पूरी शिक्षा मिल जाये ?

डा० काटजू : जी हां, बहुत ज़ोरों से ।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

*५८९. **श्री डाभी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाने के प्रयोजनों के लिये कराधान जांच आयोग द्वारा प्रस्तावित तम्बाकू के समर्थता कसौटी के प्रश्न पर पूरी तरह से विचार करने के लिये सरकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का कब तक विचार करती है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : तम्बाकू के वर्तमान उत्पादन प्रशुल्क के संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये, कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री डाभी : सरकार को इस समिति के नियुक्त करने में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० सी० गुह : हमने प्रस्थापना तो स्वीकार कर ली है लेकिन अभी हम उसका विधायन कर रहे हैं । कुछ अन्तर्विभागीय परामर्श भी आवश्यक है और समिति के सेवि-वर्ग तथा निबन्धों के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय पर पहुंचने में सम्भवतः अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि कराधान जांच आयोग समिति के अनुसार इस समर्थता कसौटी के विरुद्ध यह शिकायत है कि तम्बाकू की एक जैसी किस्मों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से करारोपण किया जाता है, कि उपयोग के अनुसार उनकी क़िस्मों का वर्गीकरण करना दोषपूर्ण है और यह कि वर्गीकरण का जल्दी जल्दी किया जाने वाला पुनरीक्षण व्यापारी वर्ग के लिये अनिश्चितता और खतरे का कारण है ?

श्री ए० सी० गुह : कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और कराधान जांच आयोग के पास भी कुछ शिकायतें भेजी गई थीं । परन्तु कठिनाई यह है कि पहले हम प्रस्तावित प्रयोग के आधार पर उत्पादन शुल्क आरोपित किया करते थे परन्तु वह भी बहुत संतोषजनक नहीं समझा गया और तब १९५१ में, हमने इस समर्थता कसौटी का उपयोग किया । कुछ शिकायतें हमारे पास आ रही हैं परन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि कराधान जांच आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रस्तावित प्रयोग कोई संतोषपूर्ण प्रतिस्थापना नहीं हो सकता है । इस समर्थता कसौटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और समिति के नियुक्त किये जाने पर इन शिकायतों की जांच की जायेगी ।

श्री डाभी : क्या इस प्रस्थापित विशेषज्ञ समिति में व्यवसाय के प्रतिनिधि भी रखे जायेंगे ?

श्री ए० सी० गुह : हां, मेरा विचार तो ऐसा ही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विट्ठल राव कुछ कहना चाहते थे । अब वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: मैं वही अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था जो कि अभी अभी मेरे माननीय मित्र द्वारा पूछा गया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को ऐसी शिकायतों का ज्ञान है कि देश के विभिन्न भागों के अपनी घरेलू खपत के लिये तम्बाकू उगाने वाले कुछ व्यक्तियों को उत्पादन शुल्क निरीक्षकों द्वारा परेशान किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुह : यह बात इस प्रश्न की परिधि में नहीं आती है । इसी के साथ साथ यह भी है कि यदि तम्बाकू उत्पादकों को इस प्रकार की शिकायतें हैं तो इस प्रकार की शिकायतें भी हैं कि घरेलू खपत के अभ्यंश से लाभ उठा कर कुछ तम्बाकू उगाने वाले उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने का प्रयत्न करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री डाभी के अन्तिम अनुपूरक प्रश्न का उत्तर क्या था ?

श्री ए० सी० गुह : श्री डाभी ने पूछा था कि क्या समिति में व्यवसाय का भी कोई प्रतिनिधि लिया जायेगा । मेरे विचार से कराधान जांच आयोग की सिफ़ारिश यही है और हम इस समिति में व्यवसाय के कुछ प्रतिनिधियों को स्थान देंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि जब विभाग के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं तो वे उन्हीं व्यक्तियों को अनुसन्धान के लिये सिपुर्द कर दी जाती हैं ?

श्री ए० सी० गुह : आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही किया जाये । यदि किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध शिकायत होती है, तो प्रथा यह है कि उसकी जांच करने के लिये को अन्य अधिकारी भेजा जाता है ।

छावनी बोर्ड

*५९०. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन छावनी बोर्डों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये साप्ताहिक विश्राम, भविष्य निधि, वर्दी तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) इन की व्यवस्था करने के लिये सरकार कौन से उपाय करने का विचार कर रही है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८**] ।

(ख) छावनी बोर्डों को, जहां तक हो सके, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ऐसी तमाम सुविधाओं की व्यवस्था करने और उनके काम की अवस्थाओं में सुधार करने का परामर्श दिया गया है ।

डा० सत्यवादी : जिन जगहों पर चौथा श्रेणी के मुलाजिमों को वीकली रेस्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता या कम दिया जाता है, क्या वहां इसके बजाय उन्हें एलाउंस के रूप में कुछ मुआवजा दिया जाता है ?

श्री त्यागी : इस सिलसिले के तमाम अख्तियारात खुद कैंटोनमेंट बोर्ड को हैं और उनके अख्तियारात में सेंटर से कोई दखल नहीं दिया जा सकता सिवा इसके कि उनको मश्विरा दिया जाय, और इस क़िस्म का मश्विरा उनको दे दिया गया है कि जो जो क़ायदे हैं वे सब बरते जायं ?

श्री कामत : पर्याप्त मात्रा में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार ने, जहां तक कि इन के संविधान तथा आन्तरिक प्रशासन का सम्बन्ध है इन बोर्डों को लोकतन्त्रात्मक बनाने के लिये कौन से उपाय किये हैं ? गत संसद् में इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्ति की गई थी । उस समिति के प्रतिवेदन तथा सिफ़ारिशों का क्या हुआ ?

श्री त्यागी : छावनी बोर्डों के असैनिक क्षेत्र सम्बन्धी प्रश्नों का जहां तक सम्बन्ध है रक्षा मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि ऐसे तमाम मामलों के विनिश्चय एक असैनिक समिति द्वारा किये जायें, जिसमें गैर-सरकारी अथवा निर्वाचित सदस्यों की प्रधानता होती है। अन्य विषय जो अधिकांशत: बैरक क्षेत्र से सम्बन्धित होते हैं अवश्य ही एक ऐसे बोर्ड द्वारा निपटाये जाते हैं जिसमें बहुमत नाम निर्देशित सदस्यों का होता है।

भूतपूर्व फौजी

*५९७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू के भूतपूर्व देशी राज्य बलों से सेवामुक्त होने वाले कितने फ़ौजियों को १ अप्रैल, १९४९ से लेकर ३१ मार्च, १९५५ तक सिंचाई वाले और बिना सिंचाई वाले दोनों प्रकार के क्षेत्रों में भूमि (बीघाओं में) दी गई है ;

(ख) भूतपूर्व फ़ौजियों के पुनर्वास के लिये राज्यों को अनुदान देने के निमित्त अलग की गई राशि में से कितनी राशि पेप्सू को दी गई है ; और

(ग) पेप्सू सरकार द्वारा इस रुपये को किस प्रकार खर्च किया गया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) ३०० भूतपूर्व फ़ौजियों को काश्तकार कृषि-करण सहकारी संस्था के आधार पर बसाने के लिये पटियाला, कपूरथला तथा संगरूर ज़िलों में तीन भूमि उपनिवेश बनाये जायेंगे। प्रत्येक उपनिवेश ५६०५ बीघा (११८० मान्य एकड़) भूमि होगी, जिसमें से प्रत्येक बसने वाले को खेती के लिये ४७ १/२ बीघा (१० एकड़) नलकूप से सिंचाई की जाने वाली भूमि दी जायेगी और प्रत्येक उपनिवश में ८५५ बीघा (१८० एकड़) भूमि मकानों, ग्राम के स्थानों, सड़कों, खेल के मैदानों इत्यादि के लिये काम में लाई जायेगी। आशा की जाती है कि अक्तूबर, १९५५ से भूमि का आवंटन आरम्भ हो जायेगा।

(ख) उपर्युक्त उपनिवेशों का विकास करने के लिये पेप्सू सरकार को ३ लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

(ग) अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है।

श्री डी० सी० शर्मा : पेप्सू सरकार द्वारा इन उपनिवेशों के समेकन के लिये कितना धन दिया जायेगा ?

डा० काटजू : मुझे यह ज्ञात नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा : इस योजना का परिपालन कब किया जायेगा, और क्या सभी भूतपूर्व फ़ौजियों को इन उपनिवेशों में बसा दिया जायेगा अथवा कुछ लोग शेष रह जायेंगे ?

डा० काटजू : यह योजना अक्तूबर, १९५५ से लागू होगी। इस प्रकार सभी भूत-पूर्व फौजियों के आवास का प्रबन्ध हो जायेगा या नहीं इस के लिये मुझे सूचना की आवश्य-कता है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार के पास कोई योजना उनके हित की भी है जो उपनिवेशन की इस योजना से जो कि चालू की गई है, लाभ नहीं उठा सकेंगे ?

डा० काटजू : इसके लिये भी मुझे सूचना की आवश्यकता है।

चौधरी मुहम्मद शफी : क्या इसमें आई० एन० ए० वालों को भी लिया जायेगा ?

डा० काटजू : अभी तक आई० एन० ए० वालों को लेने की कोई चर्चा नहीं है।

बुनियादी शिक्षा की निर्धारण समिति

*६००. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा के केंद्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की निर्धारण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशें किस प्रकार की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चौधरी रघुबीर सिंह : समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : आशा की जाती है कि नवम्बर के अन्त तक समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

श्री भक्त दर्शन : मुझे श्री कृष्णाचार्य जी की ओर से दो प्रश्न पूछने हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास आथारिटी है ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं ?

श्री भक्त दर्शन : ५६८

निष्क्राम्य सम्पत्ति क़रार

*५६८. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९ मई, १९५५ को पाकिस्तान के साथ किये गये निष्क्राम्य सम्पत्ति क़रार के अनुसमर्थन के पश्चात् सरकार ने निष्क्राम्य बैंक लेखाओं के हस्तान्तरण के लिये कौन से उपाय किये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : इस करार के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले परिपालन अनुदेशों के प्रारूप तय्यार कर लिये गये हैं । हम इस बात की राह देख रहे हैं कि इनके सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार का विचार क्या है और उनके परिपालन अनुदेशों के प्रारूप क्या हैं । यह विचार है कि अन्तिम रूप दिये जाते ही आवश्यक सूचनायें और अनुदेश इस सरकार तथा पाकिस्तान सरकार दोनों के द्वारा अपने अपने देशों में एक साथ जारी किये जायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि इस इक़रारनामे के होने के बाद से अब तक इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है । क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि इसका क्या विशेष कारण है ?

श्री ए० सी० गुह : अभी तक तो उस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है । अभी तो उसमें कोई काम चालू नहीं हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस इक़रारनामे को जल्दी लागू करने के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई लिखा पढ़ी या परामर्श किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुह : कुछ महीने पहले रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर कराची गये थे । तब इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई थी । उसके बाद पहले एग्रीमेंट में कुछ परिवर्तन भी किये गये । अब यह सब कुछ दोनों सरकारों के विचाराधीन है ।

श्री कामत : क्या उपमंत्री सभा को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि कुछ अन्य मामलों की तरह यद्यपि यह क़रार उभयपक्षीय है, इस का परिपालन एकपक्षीय नहीं होगा—केवल भारत द्वारा नहीं किया जायेगा ?

श्री ए० सी० गुह : इसीलिये तो हम राह देख रहे हैं। उनके अनुदेशों के प्रारूप तथा हमारे प्रारूपों की मंजूरी हमें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं इसी लिये हम उस की राह देख रहे हैं।

मुख्याध्यापकों की गोष्टी

*५९२. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५४ में हैदराबाद में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के प्रयोजन से हुई मुख्याध्यापकों की गोष्टी में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गईं ; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) :(क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]।

श्री भक्त दर्शन : इन सिफारिशों का निर्णय करने में कितना समय लगने की सम्भावना है और क्या इस बारे में राज्य सरकारों से कुछ परामर्श किया जा रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : जी हां, जो तजवीज थी, एक्सटेंशन सर्विसेज ट्रेनिंग कालिजेज के लिये, वह इम्पलीमेंट की जा रही है और मैं समझता हूं कि इसी वर्ष में जो योजना है, वह कार्य रूप में परिणत कर दी जायेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय के किसी प्रतिनिधि ने भी इस गोष्टी में भाग लिया था ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मेरे पास पूरी सूची यहां नहीं है, किन्तु मुझे विश्वास है कि कुछ समय तक तो हमारे मंत्रालय के प्रतिनिधि वहां रहे थे। श्री वीरेज, केन्द्रीय शिक्षा संस्था के उप-प्रिंसिपल इस गोष्टी का संचालन कर रहे थे।

श्री जोकीम आल्वा : श्रीमान्, श्री गिडवानी ने मुझे प्रश्न संख्या ५६३ तथा ५९१ जो उनके नाम में हैं, पूछने के लिये अधिकृत किया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आवश्यक अधिकार लेख उन्होंने प्रस्तुत किया है ?

श्री जोकीम आल्वा : हां, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : तब पहले वह प्रश्न संख्या ५६३ पूछ सकते हैं।

आयव्ययक बनाने में दोष

*५६३. **श्री जोकीम आल्वा (श्री गिडवानी की ओर से)** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति की नवीं रिपोर्ट के पृष्ठ ३ पर की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने रक्षा सेवाओं के आयव्ययक बनाने के असंतोषप्रद स्तरों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) उन समस्त लोगों को, जिनका आयव्ययक प्राक्कलन तैयार करने से सम्बन्ध है, आवश्यक तथा उचित हिदायतें दे दी गई हैं। इस बात को देखने के लिये कि वह जानकारी जिसके आधार पर कि आयव्ययक प्राक्कलनों को तैयार किया जाना है, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ठीक प्रकार में तथा नियमित रूप में आती रहे, कई उपाय किये गये हैं। उदाहरण के रूप में, लन्दन स्थित

उच्च आयोग और भारत में भाण्डार मंगवाने वाले मंत्रालयों से उनके विभिन्न सामान के संभरण के अनुमानों के द्वैमासिक विवरण प्राप्त करने का प्रबन्ध किया गया है । कार्य परियोजनाओं की पूर्ति में शीघ्रता किये जाने के हेतु उपाय किये गये हैं और वर्ष आरम्भ होने से तीन या चार मास पूर्व अपेक्षित स्वीकृतियां जारी की जाती हैं ताकि आयव्ययक में उपबन्धित धन राशि का पूरा पूरा प्रयोग किया जाये ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या व्यय करने वाले विभाग अपने प्राक्कलनों को बढ़ा रहे हैं ?

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या व्यय करने वाले विभाग आयव्ययक उपबन्ध के लिये स्फीत प्रस्थापनायें भेजते हैं ?

डा० काटजू : माननीय मित्र व्यय करने वाले विभागों की ओर निर्देश कर रहे हैं । व्यय करने वाले विभाग बहुत से हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन विभागों के सम्बन्ध में उत्तर दे सकते हैं जो कि उनके मंत्रालय से सम्बद्ध हैं ।

डा० काटजू : मेरा सम्बन्ध तो रक्षा मंत्रालय से है ।

अध्यक्ष महोदय : तब व्यय करने वाले विभागों को रक्षा मंत्रालय तक सीमित रखिये ।

डा० काटजू : समिति के प्रतिवेदन में केवल दो बातों का स्पष्ट उल्लेख था; एक तो भाण्डारों के बारे में था और दूसरा कार्यों के बारे में था, और हमने यह प्रबन्ध किया है कि इन दोनों के सम्बन्ध में अधिक प्राक्कलन न किया जाये ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या उस रक्षा भाण्डार को जो इस समय खुला पड़ा हुआ है और जिस पर ऋतुओं का प्रभाव होता है ठीक तरह से रखने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं किन्तु यह लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री जोकीम आल्वा : मैं लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन से यह उल्लेख कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है । यह प्रश्न कुछ दिन पूर्व पूछा गया था और उपमंत्री ने इसका उत्तर दिया था ।

व्यापार प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन

*५९१. **श्री जोकीम आल्वा (श्री गिडवानी की ओर से) :** क्या शिक्षा मंत्री सभापटल पर यह जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि विभिन्न संस्थाओं को व्यापार प्रबन्ध तथा औद्योगिक प्रशासन की शिक्षा देने के लिये १९५५–५६ में अब तक कितनी रकम मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : अपेक्षित विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]** ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार इस बात की विशेष व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही है कि व्यापार प्रशासन तथा कार्यपटुता में विदेशों में प्रशिक्षित हमारे स्नातकों को इन संस्थाओं में नौकर रखा जाये, क्योंकि उनमें से बहुत से वापस आ कर भी बेरोजगार ही रहते हैं ?

डा० एम० एम० दास : हम शिक्षित भारतीयों को जहां तक सम्भव है नौकर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने कोई योजना आरम्भ की है जिसके अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कुछ अधिकारी व्यापार प्रबन्ध में इन संस्थाओं में से किसी में एक लघु प्रशिक्षण प्राप्त करें ?

डा० एम० एम० दास : दो प्रकार के पाठ्य क्रम हैं : एक तो सम्पूर्ण समय का और दूसरा आंशिक समय का, और जो कोई भी प्रवेश के अर्ह होता है उसे प्रविष्ट कर लिया जाता है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि देश की समस्त संस्थाओं में से भारतीय विज्ञान संस्था बंगलौर को व्यापार प्रशासन में पाठयक्रम चालू करने के लिये क्यों चुना गया है ?

डा० एम० एम० दास : यह व्यापार प्रबन्ध के लिए नहीं है । तीन विषय हैं जिनके लिये यह योजना आरम्भ की गई है । एक तो व्यापार प्रबन्ध है, दूसरा है औद्योगिक इंजीनियरिंग तथा तीसरा औद्योगिक प्रशासन है । जहां तक औद्योगिक इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक प्रशासन का सम्बन्ध है, हमारी तीन संस्थाओं को इसका प्रभार दिया गया है । वे हैं, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, भारतीय टेकनोलोजी संस्था, खड़गपुर तथा विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल संस्था, बम्बई ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, नियम ६८ के अधीन क्या म प्रश्न संख्या-५८० पूछने की अनुमति मांग सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अधिकृत किया गया है ?

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, नियम ६८ के अन्तर्गत यदि आप जिस किसी को भी अधिकृत करें तो वह प्रश्न पूछ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मझे श्री सुबोध हासदा द्वारा प्रश्न संख्या ५९३ पूछने के लिये अधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

कलाई कुंडा हवाई अड्डा

***५९३. श्री एस० सी० सामन्त : (श्री सुबोध हासदा की ओर से) :** क्या रक्षा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कलाई कुंडा हवाई अड्डे के नवीकरण पर पर्याप्त धन व्यय कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके नवीकरण के क्या कारण हैं क्योंकि इसका निर्माण युद्ध के पूर्व हुआ था ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह हवाई अड्डा युद्ध के पूर्व तैयार नहीं किया गया था किन्तु गत युद्ध के दौरान में बनाया गया था और उसके समाप्त हो जाने के शीघ्र बाद ही छोड़ दिया गया था । जब भारतीय वायु सेना ने इसे लिया तो इसकी अवस्था अच्छी नहीं थी । इस हवाई अड्डे को आधुनिक वायुयानों द्वारा प्रभावपूर्ण तथा सुरक्षित रीति से काम में लाये जाने के लिये विकसित किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि हवाई अड्डे के नवीकरण की अनुमानित लागत क्या होगी और क्या असैनिक वायुयानों को भी वहां उतरने की आज्ञा होगी ?

डा० काटजू : लागत बहुत अधिक होगी और मैं नहीं समझता कि इस समय उन आंकड़ों को बताना वांछनीय होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जब से इसे प्रयोग नहीं किया

गया, उस समय से इसका आवर्त्तक व्यय क्या था ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि वहां कुछ अप्रयुक्त वायुयान पर्याप्त समय से पड़े हुए हैं ?

डा० काटजू : मुझे वास्तव में कुछ पता नहीं है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, स्पष्टीकरण के लिये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । माननीय मंत्री ने कहा है कि नवीकरण की लागत बहुत अधिक होगी और उसे बताना वांछनीय नहीं है । लागत बताने में क्या रुकावट है ? यह तो केवल एक हवाई अड्डे के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतया इसका सम्बन्ध किसी सैनिक गोपनीय बात से हो ।

श्री जयपाल सिंह: क्या मैं अपना औचित्य प्रश्न दोबारा उठा सकता हूं । नियम ६७ (३) के अधीन, यदि प्रश्न समाप्त हो जायें तो कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है । क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या ५८० का उत्तर दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय: या तो उनके पास सम्बद्ध सदस्य का अधिकार पत्र हो अथवा यदि प्रश्न महत्व का हो तो अध्यक्ष अनुमति दे सकता है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं श्रीमान् से उस प्रश्न को पूछने की आज्ञा मांग सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इसकी आज्ञा दूं ?

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बैंक पंचाट

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. श्री साधन गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या बैंक पंचाट में सरकारी परिवर्तनों की जांच करने के लिये बनाये गये आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को २६-७-५५ को भेज दिया था ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है । उसके सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी । प्रतिवेदन को भी उसी समय प्रकाशित किया जायेगा ।

श्री साधन गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, पारिश्रमिकों में कटौतियां २४ अगस्त से की जाने को हैं, क्या सरकार उस तिथि से पूव अपना निर्णय कर लेगी और उसे प्रकाशित करा देगी, और यदि नहीं, तो क्या सरकारी निर्णय के होने तक बैंक कर्मचारियों को उनकी कटौतियों के विरुद्ध कोई संरक्षण दिया जायेगा ?

श्री आबिद अली : हम शीघ्र ही सरकारी निर्णय को प्रकाशित करायेंगे परन्तु इसमें कोई विधानिक शक्ति नहीं होगी । न तो हमारे निर्णय का, और न ही आयोग के प्रतिवेदन का कोई विधानिक मूल्य है । हम इसे एक विधानिक प्रतिष्ठा प्रदान कराने वाला एक अत्यावश्यक विधान संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं ।

श्री साधन गुप्त: क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सरकार श्रमिकों से भी परामर्श करेगी ?

श्री आबिद अली: नहीं, श्रीमान् । हम सम्बद्ध हितों से फिर से परामर्श नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयोग ने पहले ही सभी सम्बन्धित हितों के प्रतिनिधियों को अपने विश्वास में ले लिया है, अतः इस प्रकार की बातों का अब अन्त होना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने इस सभा में बैंक पचाट के संशोधन पर होने वाली चर्चा के समय यह आश्वासन दिया था कि वह आयोग की उपपत्तियों को स्वीकार कर लेगी, क्या सिफारिशों पर विचार किये जाने की कोई गुंजायश है अथवा प्रश्न केवल उन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने का ही है ?

श्री आबिद अली: प्रतिवेदन ५०० पृष्ठों से भी अधिक का है और मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय होने तक प्रतीक्षा करें ।

डा० लंका सुन्दरम्: प्रश्न यह किया गया था कि क्या सरकार श्रमिकों का किन्हीं कटौतियों से संरक्षण करेगी, क्योंकि सरकार के पास उसके निर्णयों के लिये कोई विधानिक स्वीकृति नहीं हो सकती है। मंत्री महोदय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है । क्या मैं सरकार से यह वचन ले सकता हूं कि क्योंकि इस सभा में पारित हुए किसी विधान के बिना इस प्रतिवेदन को विधानिक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है तो वह इस सभा को यह आश्वासन देगी कि जब तक कि बैंक पंचाट का प्रश्न नहीं निपटा दिया जाता है तब तक कोई कटौती नहीं की जायगी ?

श्री आबिद अली: जिस विधेयक को हम प्रस्तुत करेंगे उसमें भूतलक्षी कार्यान्विति प्रभाव के लिये उपबन्ध होगा । इसलिये श्रमिकों के हित सुरक्षित रहेंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: इस निर्णय के सम्बन्ध में कब तक घोषणा की जायेगी और विधान के कब तक पुरःस्थापित किये जाने की आशा है ?

श्री आबिद अली: यह संसद् के चालू सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा और हमारा निर्णय इस मास के अन्त तक अथवा सितम्बर के प्रारम्भ में घोषित किया जायगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द सेना के सैनिक

*५७१. **श्री भागवत झा आज़ाद**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मई, १९५५ में नई दिल्ली में भूतपूर्व आज़ाद हिन्द सेना के सैनिकों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प सरकार को प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन संकल्पों में की गयी मांगों पर विचार किया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग). मई, १९५५ भूतपूर्व आज़ाद हिन्द सेना के सैनिकों के सम्मेलन द्वारा पारित किये गये संकल्प सरकार को प्राप्त हो गये थे। उनमें की गयी मांगों पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि उन्हें पहले ही से दी गयी रियायतें पर्याप्त थीं, और अधिक रियायतें देना सम्भव नहीं था ।

अन्दमान

*५७२. **श्री राघवय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य भूमि के निवासियों द्वारा अंदमान में बस्तियां बसाये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पंचवर्षीय योजना के अधीन भारत के प्रत्येक राज्य के कितने परिवारों को वहां बसाया जा चुका है ; और

(ग) जिन जिन राज्यों से बसने वाले व्यक्तियों को लेना था उनमें उपनिवेशन सम्बन्धी योजनाओं का प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित जी० बी० पन्त) : (क) और (ख) . आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]।

(ग) सम्बन्धित राज्य स्वयं ही अन्दमान में बस्तियां बसाने की योजनाओं के सम्बन्ध में प्रचार कार्य करते हैं । अन्दमान के पदाधिकारी भी समय समय पर इच्छित व्यक्तियों को योजनाओं के सम्बन्ध में समझाने के लिये राज्यों का दौरा करते हैं ।

छात्रवृत्तियां

*५७७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को दी गयी छात्रवृत्तियां उस स्थिति में वापिस मांगी जाती हैं यदि बाद में ऐसा प्रमाणित हो जाय कि उनके जनकों/अभिभावकों की आय उस सीमा से अधिक है जो कि उस विषय सम्बन्धी नियमों के अनुसार निर्धारित है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार से कुल कितनी राशि वापिस ली गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) २,२५७ रुपये ।

समाज कल्याण केन्द्र

*५७९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कंगलाटोंगबी मनीपुर के समाज कल्याण केन्द्र में कुल कितने अनाथ बालक हैं ;

(ख) इस केन्द्र के संधारण के लिये सरकार ने कितनी सहायता की है ;

(ग) इसके वासियों के रहने के क्या प्रबन्ध हैं ; और

(घ) केन्द्र के सुधार के लिये क्या योजना बनायी गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २९ ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) उन्हें तीन कच्चे झोंपड़ों में रखा जाता है ।

(घ) केन्द्र की योजनायें वहां के वासियों के लिये एक नया भवन बनाने और उन्हें कला तथा कौशल की शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में हैं ।

मिस्टियर लड़ाकू विमान

*५८०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिस्टियर लड़ाकू विमान फ्रांस से सम्भवतः कब प्राप्त होंगे ; और

(ख) भारतीय विमान चालकों को उन्हें चलाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जायगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) और (ख). यह सार्वजनिक हित में न होगा कि लड़ाकू विमानों की प्राप्ति सम्बन्धी योजना प्रगट की जाय । तथापि यह कहा जा सकता है कि सरकार ने मिस्टियर लड़ाकू विमानों के क्रय के लिये कोई आर्डर नहीं दिया है ।

भयप्रद प्रहसन

*५८३. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भयप्रद प्रहसनों के उत्पादन की रोकथाम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने की प्रस्थापना है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): ८ जून, १९५५ की एक अधिसूचना के द्वारा समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा १९ के अधीन भयप्रद प्रहसनों के विदेशों से भारत में आयात पर एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और शीघ्र ही संसद् में इसके लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अग्रेतर प्रस्थापना है ।

बुनियादी शिक्षा

*५९४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बुनियादी शिक्षा के विविध पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों का एक सम्मेलन करने का विचार करती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जी, नहीं ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

*५९५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली में एक वर्षा और बादल भौतिक गवेषणा विभाग स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्य हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे चलाने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विभाग का प्रभारी-पदाधिकारी एक अर्ह वैज्ञानिक है । प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आस्ट्रेलिया को दो शिल्पिक पदाधिकारी भेजने की प्रस्थापना है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चुंगी

*५९६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर की सरकार ने माओ, कांगपोकपी, बिशनपुर और पल्लेल की सभी पुलिस चौकियों को ये अनुदेश भेजे हैं कि लोह खण्डों, सिगरेटों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को, जिन पर चुंगी लगती है, तब तक प्रवेश की अनुमति न दी जाय जब तक कि इम्फाल नगर निधि कार्यालय से प्राप्त हुई चुंगी की रसीद न दिखायी जाय, भले ही वे वस्तुएं इम्फाल नगर निधि क्षेत्र से बाहिर के लिये ही क्यों न हों ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित जी० बी० पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नव साक्षरों के लिये पुस्तकें

*५९८. **{पंडित डी० एन० तिवारी : श्री राधा रमण :**

क्या **शिक्षा** मंत्री इस जानकारी को देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) लोक साहित्य समिति के सचिव को इस वर्ष पारितोषिक प्रतियोगिता के सम्बन्ध में नव-साक्षरों के लिये कितनी पुस्तकें दी गयी हैं ;

(ख) किन किन प्रादेशिक भाषाओं में वे पुस्तकें दी गयी हैं ; और

(ग) प्रत्येक भाषा में कितने पारितोषिक दिये गये और सफल प्रतियोगियों के नाम क्या क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग), एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२]** ।

अनुसूचित आदिम जातियां

*५९९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा १९५५–५६ में मनीपुर की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितनी धन-राशि आवंटित की गयी थी ;

(ख) १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान में से कितनी सी राशि व्यय हो गयी है और कितनी व्यपगत हो गई है ;

(ग) यह धन किन कारणों से व्यपगत हुआ है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी बात फिर न हो सके, इसके लिये सरकार ने कौन से उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पण्डित जी० बी० पंत) : (क) मनीपुर की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये १९५५–५६ के लिये १४·५० लाख रुपयों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है । अन्तिम आवंटन राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना की जांच हो जाने और उसे स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा ।

(ख) से (घ). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]** ।

पश्चिमी बंगाल में पैट्रोलियम

२५८. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल के हुगली ज़िले के पी० एस० खानाकूल में स्थित रामनगर में स्टेनवैक परियोजना द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान में वहां पर बढ़िया किस्म के पैट्रोल होने का संकेत मिला है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : नहीं, श्रीमान् । सर्व श्री स्टैण्डर्ड वैकुम आयल कम्पनी पश्चिमी बंगाल के कुछ एक विशेष क्षेत्रों में प्रतिबिम्बात्मक सर्वेक्षण के लिये प्रयोगात्मक उपाय कर रही है । पश्चिमी बंगाल में बढ़िया किस्म के पैट्रोल के अस्तित्व के बारे में कुछ कहना अभी समय से बहुत पहले की बात है ।

बकों को नयी शाखायें

२५९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया को १९५४–५५ में अनुसूचित बैंकों से विदेशों में नयी शाखायें खोलने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, और उनमें से कितने स्वीकार किये गये हैं ; और

(ख) उसी अवधि में विदेशी बैंकों से इस देश में शाखायें खोलने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने स्वीकार किये गये हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १ अप्रैल, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक की अवधि में चार अनुसूचित बैंकों से भारत से बाहर अपनी शाखायें खोलने के सम्बन्ध में पांच प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से दो को स्वीकृत कर लिया गया था, एक को अस्वीकृत कर दिया गया था और शेष दो अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) इसी अवधि में एक विदेशी बैंक से दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । प्रारम्भ में तो दोनों को अस्वीकार कर दिया गया था । तो भी बाद में उनमें से एक पर फिर से विचार किया गया और ५ जुलाई, १९५५ को अपेक्षित अनुज्ञप्ति दे दी गयी ।

तस्कर व्यापार

२६०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में अब तक पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब के सीमान्तों पर तस्कर व्यापार की कोई घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने तस्कर व्यापारी पकड़े गये तथा दंडित हुए ;

(ग) भारतीय तथा पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों की संख्या पृथक् पृथक् क्या है ;

(घ) क्या उनमें से किसी के पास किसी देश का पारपत्र था, और यदि हां, तो उनकी संख्या ; और

(ङ) उसी अवधि में निरोधक चौकियों पर पकड़े गये माल का कुल मूल्य क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५५ में (मई १९५५ के अन्त तक) पकड़े गये तस्कर व्यापारियों की संख्या तथा विभागीय रूप से दंडित किये गयों की संख्या क्रमशः २३५ और १८९ थी। किसी न्यायालय द्वारा किसी को दंडित नहीं किया गया क्योंकि कोई अभियोग नहीं चलाये गये थे ।

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित २३५ व्यक्तियों में से ११९ भारतीय थे और ११६ पाकिस्तानी थे ।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित २३५ व्यक्तियों में से, प्राप्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि १५४ के पास पार-पत्र थे ।

(ङ) १९५५ में (मई १९५५ के अन्त तक) पकड़े गये माल का कुल मूल्य ६८,२७८ रुपये था ।

भारत-पाकिस्तान यात्रा

२६१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत-पाकिस्तान सीमान्तों पर वैध यात्रा प्रलेखों को न रखने वाले व्यक्तियों के भारत में अवैध प्रवेश के बहुत से मामले पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १ फरवरी, १९५५ से लगा कर जुलाई, १९५५ के अन्त तक ऐसे कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अंदमान द्वीप समूह

२६२. **श्री इब्राहीम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में अंदमान द्वीपों में रखे गये श्रम बल का कुल परिमाण कितना था ; और

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष में कुल कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : (क) और (ख). वित्तीय वर्षों १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में अंदमान श्रम बल का कुल परिमाण तथा उस पर हुआ व्यय इस प्रकार था :

वर्ष	परिमाण	व्यय
		रुपये
१९५२-५३	७०१	३,५५,९४६
१९५३-५४	६३५	३,८३,७९६
१९५४-५५	५८२	२,९९,२००

भूतत्वीय सर्वेक्षण

२६३. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष में हाल ही में भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की खोजें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है। इस वर्ष किये गये सर्वेक्षणों के परिणाम भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के १९५५ सम्बन्धी वार्षिक सामान्य प्रतिवेदन में प्रकाशित होंगे । प्राप्त होने पर इस प्रकाशन की एक प्रति सभा के पुस्तकालय को प्रदान की जायेगी ।

संगीत नाटक अकादमी

२६४. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक किन किन संस्थाओं को सहायता दी गयी है और प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक संगीत नाटक अकादमी ने किसी संस्था की सहायता के लिये कोई अनुदान मंजूर नहीं किया है ।

जनगणना

२६५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार ने जिला जनगणना पुस्तिकायें तथा विविध राज्य प्रकाशनों को प्रकाशित किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : हैदराबाद सरकार ने अभी तक जिला जनगणना पुस्तिकायें प्रकाशित नहीं की हैं । जहां तक १९५१ की जनगणना का सम्बन्ध है उक्त सरकार कोई 'विविध' राज्य प्रकाशनों को प्रकाशित करने का विचार नहीं करती है ।

नौवहन भाड़ा

२६६. **श्री झूलन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में भारतीय पोतों द्वारा तटीय तथा समुद्र-पार व्यापार से कुल कितना भाड़ा अर्जित किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि में देश द्वारा भाड़े के भद्दे व्यय की गई कुल धन राशि को देखे इसकी प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १९५३–५४ में भारतीय नौवहन समवायों द्वारा अर्जित भाड़े की कुल राशि इस प्रकार है :—

	रुपये
तटीय व्यापार	१०,८२,११,०००
समुद्र पार व्यापार	८,२४,३०,०००
योग	१९,०६,४१,०००

१९५४-५५ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) २९ प्रतिशत ।

भारतीय पुस्तकों की भेंट

२६७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टोकियो (जापान) के ओकुरायामा कल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट को कुछ भारतीय पुस्तकें भेंट की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किन विषयों की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व भारतीय नेशनल आर्मी (आज़ाद हिन्द फौज) के सैनिक

२६८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज़ाद हिन्द फ़ौज के कितने सैनिकों के "गलेंटरी" तथा "नान गलेंटरी" पदकों व डेकोरेशन्स से सम्बन्धित आर्थिक भत्तों को रोक लिया गया था ;

(ख) कितने सैनिकों को ऐसी धनराशि फिर से दी जाने लगी है ; और

(ग) उनको मासिक अथवा वार्षिक राशि कितनी दी जाती है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) अब तक सिर्फ़ २० ऐसे मामले निगाह में आये हैं।

(ख) सभी मामलों में ।

(ग) २७७ रुपये प्रति महीना ।

उप-निर्वाचन

२६९. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
सेठ गोविन्द दास :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य निर्वाचन के बाद से राज्य विधान सभाओं तथा लोक-सभा के लिये हुए उप-निर्वाचनों की कुल संख्या ; और

(ख) अखिल-भारतीय दलों द्वारा प्राप्त मतों की पृथक् पृथक् संख्या ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]** ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयात शुल्क में छूट

२७०. **श्री तुलसीदास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के नाम जिन के विषय में कच्चे माल तथा बाद को निर्यात की गई निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) कितने पक्षों ने इन विभिन्न उत्पादों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में दी गई छूट का उपयोग किया है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक वस्तु के लिये इस प्रकार स्वीकृत किये गये अवहार का कुल मूल्य कितना है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) कदाचित माननीय सदस्य समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिये गये नियमों का, जैसे कि वह समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ में निविष्ट किये गये हैं, निदेश कर रहे हैं। अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**।

(ख) जिन पक्षों ने इस प्रत्याहृत योजना के अन्तर्गत निर्यात किये थे उनकी संख्या इस प्रकार है :

सूती धागा और कपड़ा	१०६
नक़ली रेशम	५
प्लास्टिक का बना माल	३
सूखी रेडियो बैटरियां	१
लिनोलियम	१
अन्य	कोई नहीं

(ग) सूती धागा तथा कपड़े के सम्बन्ध में ८८,७९७ रुपये १३ आने की एक प्रत्याहृत राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रत्याहृत राशियों के दावों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है :—

१.	सूती धागा और कपड़ा	१०,२०९ रुपये
२.	नक़ली रेशम से बना कपड़ा	४,१६० रुपये ३ आने
३.	प्लास्टिक का बना माल	१,४३९ रुपये १३ आने क
४.	सूखी रेडियो बैटरियां	१००,५६० रुपये १५ आने
५.	लिनोलियम	५६६ रुपये ४ आने
	योग	१,१६,९३६ रुपये ३ आने

अफ्रीकी विद्यार्थी

२७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन आजकल कितने अफ्रीकी विद्यार्थी भारत में विद्याध्यन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १५१।

अनुसूचित आदिम जातियां

२७२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में आरम्भ में आदिम जातियों के कल्याण के लिये भारत सरकार द्वारा आसाम सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या वर्ष १९५३–५४ और १९५४–५५ में इस प्रयोजन के लिये मंजूर किये गये केन्द्रीय अनुदानों में से कुछ राशि व्यपगत हो गई ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में किसी धन राशि के व्यपगत न होने देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : (क) १५५ लाख रुपये ।

(ख) जी हां, परन्तु अनुदानों के अधिकांश भाग का उपयोग कर लिया गया था ।

(ग) इसका कारण शिल्पी कर्मचारियों का न मिलना, सामान का समय पर न मिलना और पुलों और सड़कों आदि के सम्बन्ध में नकशे और प्राक्कलन आदि तैयार करने में विलम्ब होना है ।

(घ) राज्य सरकारों से अपनी योजनाओं को दो भागों में बनाने के लिये कहा गया है जिससे कि विभिन्न राज्यों को कल्याण योजानाओं के लिये आवंटित धनराशियां व्यपगत न हो सकें । पहले भाग में ऐसी योजनाएं होंगी जो एक वर्ष से अधिक समय में पूरी होने वाली हों ताकि एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद राज्य सरकार उस पर व्यय करती रहे, चाहे वह आवंटित की गई सम्पूर्ण धनराशि किसी एक वर्ष में भले ही खर्च न कर सके । वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि ऐसी योजनाएं, जहां तक सम्भव हो सके, वर्ष के भीतर ही क्रियान्वित की जायें ।

सम्पदा शुल्क

२७३. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४, १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष में तथा जून १९५५ के अन्त तक, सम्पदा शुल्क के निर्धारण के लिए कितने मामले पंजीबद्ध हुए ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सम्पदा शुल्क निर्धारण के लिये पंजीबद्ध मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

१९५३–५४ में	३४७
१९५४–५५ में	२,१२२
१९५५–५६ (जून के अन्त तक)	७९०
जून १९५५ के अन्त तक पंजीबद्ध मामलों की कुल संख्या	४,२५९

विदेशी नागरिक

२७४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में अभी तक भारत से कोई विदेशी नागरिक बाहर निकाले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या थी तथा वे किन किन देशों के थे ; और

(ग) भारत से उन्हें बाहर निकालने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : (क) से (ग)। भारत सरकार के आदेश से बाहर निकाले जाने वाले विदेशियों के निम्नलिखित ब्यौरे हैं :—

संख्या	राष्ट्रियता	बाहर निकाले जाने के कारण
९	१ तिब्बती	अवांछनीय सामाजिक कार्य
	१ दुबाई	अवांछनीय कार्य, चोरी छिपे वस्तुओं का ले जाने वाला था ।

संख्या	राष्ट्रियता	बाहर निकाले जाने के कारण
	१ आदिमजातीय पठान	भूतपूर्व निकाला गया, अवांछनीय विदेशी ।
	३ जर्मन	अन्तर्राष्ट्रीय लफंगे
	३ पुर्तगाली	सुरक्षा तथा राजनैतिक कारण ।

राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकारों से, बाहर निकाले गये विदेशियों की सूचना प्राप्य नहीं है ।

राष्ट्रीय योजना पत्र

२७५. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय योजना पत्र के अधीन अब तक कुल कितना धन (राज्यवार) एकत्र किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मार्च १९५५ तक राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्रों के अधीन एकत्रित धनराशि राज्यवार, निम्नलिखित है :—

राज्य	धन राशि
	(हजार रुपयों में)
अजमेर	१०,३३
आन्ध्र	७,७८
आसाम	४,७५
भोपाल	१,०४
बिहार	२०,५७
बम्बई	२,४२,४४
कुर्ग	१,४८
कच्छ	२,२५
दिल्ली	३६,८३
हिमाचल प्रदेश	२,०४
हैदराबाद	११,४८
जम्मू तथा काश्मीर	१,७९
मद्रास	२४,८८
मध्य भारत	७,०४
मध्य प्रदेश	३०,३१
मैसूर	५,७१
उड़ीसा	४,४९
पैप्सू	१३,३३
पंजाब	७२,५९
सौराष्ट्र	२३,८९
राजस्थान	१९,४०
त्रावनकोर-कोचीन	२,२४
उत्तर प्रदेश	१,१६,३६
विन्ध्य प्रदेश	७,३६
पश्चिमी बंगाल	६७,१३
जोड़ .	७,३७,५१

सम्पदा शुल्क

२७६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** :
श्री एल० एन० मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ फरवरी, १९५५ से अब तक सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन (राज्यवार) कितनी धनराशि एकत्रित हुई ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ के अधीन १ फरवरी, १९५५ से जून १९५५ के अन्त तक एकत्रित धनराशि ५२,४९,२२७ रुपये है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें राज्यवार एकत्रित आंकड़े दिए गए हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]** ।

विदेशों में शिष्ट मंडल

२७७. **श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में अलग अलग, विदेशों में कितने सरकारी शिष्टमडल गये ;

(ख) इनमें से प्रत्येक के अलग अलग प्रत्येक मंत्रालय के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) वर्ष वार, इन पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक शिष्ट मंडल ने किन देशों का दौरा किया था ?

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्य होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्री की स्वविवेकाश्रित निधि

२७८. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए अभी तक शिक्षा मंत्री की स्वविवेकाश्रित निधि में से दिए गए अनुदानों की कुल राशि कितनी है ;

(ख) अनुदान की राशि तथा उन संस्थाओं या व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये अनुदान दिए गए हैं ; और

(ग) उन प्रार्थियों के नाम जिनके उसी काल के सम्बन्ध मे आए प्रार्थनापत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७] ।

भूकम्प किरणवक्रता सर्वेक्षण

२७९. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डिया स्टैनवाक परियोजना द्वारा पश्चिमी बंगाल में किए गए भूकम्प किरणवक्रता सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो जून १९५५ के अन्त तक प्रतिकर का भुगतान किया गया है ; और

(ग) इस प्रकार के भुगतान की कुल राशि कितनी है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

नैपाली विद्यार्थियों के लिए स्थानों का रक्षण

२८०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना की प्राविधिक सहयोग योजना के अन्तर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए भारत में प्राविधिक संस्थाओं में नैपाली विद्यार्थियों के लिए स्थानों के रक्षित करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ; और

(ख) क्या एक या एक से अधिक राज्यों के विश्वविद्यालयों में ऐसे स्थानों का पृथक् रक्षण किया जायगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नैपाली विद्यार्थियों के लिए ऐसे विषयों में स्थानों के रक्षित करने की कुछेक राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से प्रार्थना की गई है जिनमें नैपाल सरकार अपने नागरिकों को प्राविधिक सहयोग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित करना चाहती है ।

(ख) ऐसे स्थानों को एक से अधिक राज्यों के विश्वविद्यालयों में रक्षित किया जाता है ।

कच्चा लोहा

२८१. **श्री वीरस्वामी** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कच्चे लोहे के निक्षेप पाए गए हैं ; और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्

युद्ध प्रतिकर

३८२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक आसाम में मनीपुर के सहायता उपायों वाले क्षेत्रों के युद्ध से क्षति प्राप्त लोगों के लिए मंजूर की गई ६० लाख रुपये की राशि में से कितने धन की बांट की गई है ; और

(ख) धन की बांट कब तक समाप्त हो जायेगी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ९·३० लाख रुपये ।

(ख) ठीक ठीक तिथि तो नहीं बताई जा सकती । यद्यपि इस प्रयोजन से ६० लाख रुपये की मंजूरी दी गई है, १९५५-५६ के वर्ष में वस्तुतः ४० लाख रुपये की ही व्यवस्था की गई है । इस धन के बहुत बड़े भाग की चालू वर्ष के अन्त तक वितरित हो जाने की आशा की जाती है ।

पुस्तकालय आन्दोलन का विकास

२८३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में एक पुस्तकालय सेवा की स्थापना तथा पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए, जो देश में शिक्षा के विकास की योजना का एक भाग है, अनुदान की कितनी राशि मंजूर की गई है अथवा कितनी राशि के मंजूर करने का विचार किया गया है; और

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनके लिए १९५४ तथा १९५५ में अनुदान मंजूर किए गए थे तथा उन्होंने इन वर्षों में कितनी राशि का व्यय किया था ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८] ।

लोक-सभा

मंगलवार,
९ अगस्त, १९५५

वाद - विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

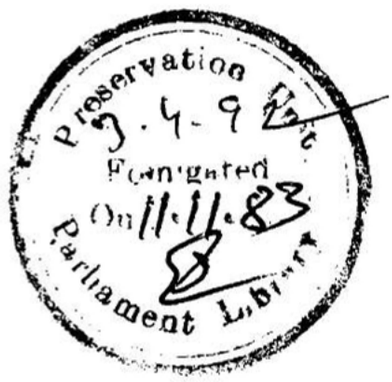

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश—चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा—पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

स्तम्भ

वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--
असमाप्त ४९८–५१०

अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश ५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना . ५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . . ५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति ५१२
समिति के लिये निर्वाचन--
लोक लेखा समिति ५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--
वापस लिया गया ५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५--
पुरःस्थापित . . . .
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . . ५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . . ५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक-- ५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत
खंड २ से १४ तथा १ ५३९–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव--पारित ५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . . ५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--
स्वीकृत . ६००–६०२

अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव--
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . . ६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग ६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य ६०६–६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—.	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८६
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६८६
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक—पुरःस्थापित .	६८६–६६०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	६६०–७६०

अंक ९— गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७६१–७६३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित	७६३
सभा–पटल पर रखा गया पत्र—	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७६३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	७६३–८१८
श्री पाटस्कर	७६३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	८१६–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक--	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव---अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)---	
विचार करने का प्रस्ताव---वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक--.	
विचार करने का प्रस्ताव---असमाप्त	९८०
अंक ११---सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र---	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति--- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन---स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक---	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२---मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र---	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक---	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक---	
विचार करने का प्रस्ताव---स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव---स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक---	
विचार करने का प्रस्ताव---असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३---बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र---	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना---	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक---	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव---असमाप्त	११३८–१२१०

	स्तम्भ
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१२११–१२१३
अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—	
पुरःस्थापित . . .	१२१३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१२१४–१२४४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	१२४४–१२४५
वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत .	१२४५–१२८६
वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त	१२८७–१२८८
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	१२८९–१३४२
अनुक्रमणिका	१–८

लोक-सभा

मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२--०२ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो.) : मैं, प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ उपधारा (२) के अन्तर्गत इन पत्रों में से प्रत्येक की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) सान के पत्थर के उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) ।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या १६(३)---टी० बी०/५४, दिनांक २ अगस्त, १९५५ ।

(३) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या १६(३)--टी० बी०। ५४, दिनांक २ अगस्त, १९५५ ।

(४) (१) से (३) तक निर्दिष्ट दस्तावेज़ विहित अवधि के भीतर क्यों नहीं रखे जा सके इसके कारणों की व्याख्या करने वाला प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के आधीन विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस---२३७/५५]

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं विविध सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही के निम्न विवरण पटल पर रखता हूं :

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ४
लोक-सभा का नवां सत्र १९५५
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८
लोक-सभा का आठवां सत्र १९५४
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२
लोक-सभा का सातवां सत्र १९५४
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८
लोक-सभा का छठा सत्र १९५४
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २३
लोक-सभा का पांचवां सत्र १९५३
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २८
लोक-सभा का चौथा सत्र १९५३
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३३
लोक सभा का तीसरा सत्र १९५३
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३१
लोक सभा का दूसरा सत्र १९५२
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]

नागरिकता विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संयुक्त समिति के निर्देश सम्बन्धी प्रस्ताव के संशोधन सहित ५ अगस्त, १९५५ को पंडित जी० बी० पन्त द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगी । मैं समझता हूं कल श्री वीरस्वामी बोल रहे थे ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : कल मैं ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रमंडलीय देशों के पारस्परिक सम्बन्ध और अच्छे होने चाहियें । लंका में भारतीय उद्भव के लगभग दस लाख व्यक्ति निवास करते हैं जिनमें से अधिकांश तामिल हैं । सरकार को चाहिये कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की तरह इन को भी भारत में लाये, उन के साथ भारतीय नागरिकों जैसा व्यवहार करे और उनके पुनर्वास में हर प्रकार की सहायता करे क्योंकि लंका में उन को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यही समस्या दक्षिण अफ्रीका में है ।इसके लिये मेरा सुझाव है कि राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रमंडलीय परिषद बनाई जाये जो इन बातों पर विचार करे और इस बात का प्रयत्न करे कि अन्य देश में रहने वाले किसी भी देश के नागरिकों के साथ बुरा व्यवहार न किया जाये और न उन के साथ भेदभाव किया जाये ।

सारा संसार जानता है पंचशील सिद्धान्तों के कारण संसार के वातावरण में बहुत सुधार हुआ है इसलिये शान्ति स्थापना की सम्भावनाओं की न केवल पूर्व में वरन् सारे संसार में और भी स्थायी तथा दृढ़ आधार देने के लिये मैं श्री एस० एस० मोरे के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धान्तों को स्वीकार करने वाले, ब्रह्मा, चीन, रूस, यूगोस्लैविया जैसे देशों के लिये एक पंचशील नागरिकता का प्रतिपादन किया जाये । इस से समस्त संसार को लाभ पहुंचेगा और शान्ति एक स्थायी वस्तु बन जायेगी ।

मैं खण्ड १० का स्वागत करता हूं क्योंकि यह एक व्यावृत्ति खण्ड है । चूंकि हमारा देश उन व्यक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकता है जो पंजीयन या देशीयकरण या उद्भव के द्वारा भारत के नागरिक बन जायेंगे इस लिये इस खंड में उन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करने का उपबन्ध रखा गया है जो हमारे देश के प्रति निष्टाहीन हों । जो लोग जन्म से इस देश के नागरिक हैं उन को किसी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो किसी प्रकार भी नागरिकता से वंचित नहीं किये जा सकते हैं परन्तु खण्ड १०(२) के उपखण्ड (घ) में कहा गया है कि यदि पंजीयन या देशीयकरण के पांच वर्ष के भीतर किसी देश में किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये कारावास दंड दिया गया हो जो बारह मास से कम न हो तो वह व्यक्ति नागरिकता से वंचित कर दिया जायेगा । परन्तु यदि उसी व्यक्ति के विरुद्ध पंजीयन के पांच वर्ष के बाद इस से कम दण्ड दिया जाये तो क्या उसे भारत का नागरिक बना रहने दिया जायेगा । इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ।

खण्ड १४ के उपखण्ड (२) का मैं विरोध करता हूं क्योंकि यह एक नागरिक को उस अधिकार से वंचित करता है जिस के द्वारा वह सरकार के भारतीय नागरिकता को समाप्त करने वाले विनिश्चय पर न्यायालय का विनिश्चय प्राप्त कर सकता है । सरकारी कार्यवाही औचित्यपूर्ण ढंग से की गई है । न्यायालय द्वारा इसकी जांच कराने का उसे पूरा अधिकार होना चाहिये ।

खण्ड ४ के उपखण्ड (१) का भी मैं विरोध करता हूं क्योंकि इसके द्वारा भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति उद्भव की पितृ परम्परा से भारत का नागरिक हो जाता है । यह अधिकार केवल पितृ परम्परा के उद्भव वाली सन्तानों को ही क्यों दिया गया है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

विलयन द्वारा सम्मिलित होने वाले राज्य क्षेत्रों का जहां तक सम्बन्ध है मेरा विचार है कि ऐसे लोग, जैसे कि पाण्डीचेरी के निवासी, उनके राज्य क्षेत्र के विधिवत् हस्तान्तरण होते ही भारत के नागरिक बन जायेंगे ।

खण्ड १ के उपखण्ड (२) के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि यदि भारत की कोई स्त्री किसी ऐसे पोत या विमान में, जिसका पंजीयन इंगलैंड में हुआ हो, इंगलैंड जाते हुये, किसी बच्चे को जन्म दे तो क्या वह बच्चा इस खंड के अनुसार इंगलैंड का नागरिक हो जायेगा ? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ।

मैं इस का विरोध करता हूं कि हिन्दी का विरोध करने के कारण किसी को नागरिकता से वंचित किया जाये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित--आंग्ल भारतीय) : वस्तुस्थिति यह है कि संविधान में नागरिकता का उपबन्ध केवल उन के लिये बनाया गया है जो संविधान के लागू होने के पूर्व, अर्थात् २६ जनवरी, १९५० के पूर्व, जन्म ले चुके थे। अतः इस विधान का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

निर्वचन खण्ड २ (१) (च) में शब्द 'पर्सन' (व्यक्ति) की परिभाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जहां तक संविधान का सम्बन्ध है निर्वचन के प्रयोजनों के लिये शब्द 'पर्सन' की वही परिभाषा समझी जायेगी जो कि साधारण परिभाषा अधिनियम में दी गई है अर्थात् इस शब्द की परिभाषा के अनुसार इस में विधि व्यवित तथा नैसर्गिक व्यक्ति दोनों ही शामिल हैं तथा कुछ विदेशी निगमों के भी इस देश के नागरिकता के अधिकार हैं। परन्तु अब जो परिभाषा दी गई है उस के अनुसार शब्द 'पर्सन' में 'व्यक्तियों' का निकाय सम्मिलित नहीं होगा।

नागरिकता परित्याग सम्बन्धी खण्ड ८ का मैं स्वागत करता हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल पक्की कर दी जाये कि विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लेने पर भी कोई भारतीय नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग उस समय तक नहीं कर सकेगा जब तक पहले वह इसकी घोषणा न करे कि उसने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है और उसकी घोषणा का पंजीयन न हो जाये। मैं अनुभव करता हूं कि खण्ड ९ बना कर इस नियम का एक अपवाद बना दिया गया है जो कि नितान्त अनावश्यक है। खण्ड ९ के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह तो मेरे विचार से खण्ड ८ का खण्डन है।

खण्ड ९ (१) में न केवल अनियमितायें हैं वरन् कुछ खतरे भी हैं। नागरिकता अधिनियम तो उसी समय प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जब कि हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। इसीलिये मेरा सुझाव है कि खण्ड ८ भूतलक्षी होना चाहिये। यदि खण्ड ८ को भूतलक्षी बना दिया जाये तो खण्ड ९ (१) व्यर्थ हो जायेगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही इंगलैंड के प्राधिकारियों ने यहां पर एक ब्रिटिश नागरिकता पंजी खोल दी और यह घोषित कर दिया कि वह उनके पास एक पत्र भेज कर अपने को इंगलैंड का नागरिक पंजीबद्ध करा सकता था। उस समय बड़ी अव्यवस्था थी, केवल राजनीतिक ही नहीं वरन् मानसिक रूप से भी बड़ी अस्तव्यस्तता फैली हुई थी। कुछ व्यक्तियों ने यह भी समझा कि यदि कोई अपने को इंगलैंड का नागरिक पंजीबद्ध करा लेगा और यदि अल्पसंख्यक जाति के किसी व्यक्ति के सामने कोई कठिनाई आयेगी तो साम्राज्य की सारी शक्तियां उसकी सहायता के लिये लगा दी जायेंगी। सरकार को ज्ञात नहीं है कि कितने व्यक्तियों ने इस प्रकार अपने को इंगलैंड का नागरिक पंजीबद्ध कराया। मेरी जाति वालों ने इस प्रकार की भूल की है परन्तु उन लोगों ने नहीं की है जो सेना में थे क्योंकि वे इतने मूर्ख नहीं थे। मान लीजिये कल सरकार कहे कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब को सेना में भर्ती होना पड़ेगा तो वे लोग कह सकते हैं कि धारा ९ (१) में हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपनी नागरिकता का परित्याग अपनी इच्छा से कर सकते हैं और चूंकि हम एक इंगलैंड के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध हैं इसलिये अब हम भारत के नागरिक नहीं हैं। क्या पता जैसा इंगलैंड ने किया वैसा ही पाकिस्तान ने भी किया हो। न मालूम कौन

सरकारी नौकर ऐसा हो जिस ने भारतीय नागरिक के रूप में सेवा आरम्भ की हो तथा दुनिया के दिखावे के लिये अब भारतीय नागरिक के रूप में काम करता हो परन्तु गुप्त रूप से उसने अपनी नागरिकता बदल ली हो । खण्ड ९ (१) उन को ऐसा करने को अनुमति देता है । यदि सरकार को किसी पर इस प्रकार का सन्देह हो और वह इस बात को जांच करना चाहती हो तो वह उस से अधिक से अधिक यह घोषणा करने को कह सकती है कि वह आंग्ल भारतीय है । वह सम्भवतः भारतीय होने की भी घोषणा कर दे । सरकार उस की घोषणा का सत्यापन कैसे करा सकती है ? वह जानता है कि इंगलैंड के कुछ प्राधिकारियों ने उस से कह दिया था कि वह जो जी चाहे घोषणा कर सकता था, वह इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करेंगे कि वह इंगलैंड के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध था । इस लिये हर दशा में खण्ड ८ की शर्तों का पूरा किया जाना बहुत आवश्यक है ।

खण्ड १० का जहां तक सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस खण्ड के उपबन्धों का कुछ कुछ न संशोधन करना आवश्यक है खण्ड १० (२) (ख) के अनुसार :

> "कि नागरिक ने कोई ऐसा काम किया हो या ऐसी बात कही हो जो विधि द्वारा संस्थापित सरकार के प्रति उसका निष्ठाहीन होना प्रमाणित करे....."

ऐसे मामलों में बहुधा पुलिस की शिकायतें ही सरकार का पथ प्रदर्शन करती हैं । ऐसे उदारहण मेरे सामने आये हैं जब कि मैं ने देखा है कि पुलिस वाले ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो राजनीति का नाम भी नहीं जानते हैं और पूर्णतः निर्दोष हैं, सरकार विरोधी राजनीतिक कार्यवाहियां करने का आरोप लगा देते हैं । मैं ऐसे भी उदारहण जानता हूं जब कि सरकार ने पुलिस द्वारा की गई ऐसी शिकायतों को अक्षरशः सत्य माना है । हो सकता है कि किसी स्थान में किसी का पुलिस से झगड़ा हो जाये और पुलिस का सब-इन्स्पैक्टर राज्य के प्रति उस व्यक्ति की निष्ठा को संदिग्ध बनाने के लिये कई झूठी शिकायतें भेज दे । ऐसी अवस्था में सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देगी । मैं समझता हूं कि देशीयकरण या पंजीयन द्वारा प्राप्त होने वाली नागरिकता के लिये भी ऐसा उपबंध नहीं होना चाहिये । क्योंकि सरकार को जो सन्तोष हुआ है वह उचित है या नहीं इसकी जांच कोई न्यायालय नहीं कर सकता है और सरकार के केवल इतना करने पर ही कि वह की गई शिकायत की सत्यता से सन्तुष्ट है एक व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति रखनी पड़ेगी । इसे सरकार की आत्म सन्तुष्टि पर नहीं छोड़ा जा सकता है । इस बात को मैं समझता हूं कि सरकार सुरक्षा के हित में किसी गोपनीय बात को प्रकट न करे, किन्तु एक ऐसा खण्ड होना चाहिये जिसके द्वारा यह कहा जाये कि अमुक कार्यवाही युक्तियुक्त कारणों के आधार पर की जा रही है । यह इस कारण से कि नागरिकता की समाप्ति जैसे मामले को केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये ।

खंड १०(३) में "सार्वजनिक लाभ" के शब्द हटा दिये जायें क्योंकि इन शब्दों के अन्तर्गत बहुत सी बातों को सम्मिलित किया जा सकता है । इसके स्थान पर विधि में स्वीकृत "राज्य की सुरक्षा के हित में" शब्द रखे जायें । पहली शब्दावलि का दुरुपयोग भी किया जा सकता है ।

मैं खण्ड ११ तथा १२ का स्वागत करता हूं जो कि राष्ट्रमंडलीय नागरिकता

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

से सम्बन्ध रखते हैं। कई मननीय मित्रों ने इस प्रश्न पर युक्तियुक्त ढंग से विचार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैं श्री मोरे से सहमत हूं। ब्रिटिश राष्ट्रीयता एक्ट द्वारा भी इस देश के नागरिकों को राष्ट्रमंडलीय नागरिकों के रूप में कतिपय लाभ प्रदान किये गये हैं इस लिये हमें अपने लोगों को इन लाभों से वंचित नहीं करना चाहिये। श्री मोरे नें ठीक ही कहा है कि हमें यह सुविधा उन सभी देशों को देनी चाहिये जिन्होंने पंच-शील का समर्थन किया है

मैं माननीय गृह-मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि नागरिकता की समाप्ति केवल न्यायिक कार्यवाही द्वारा ही होनी चाहिये, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय में कार्यपालिका की कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायालयों ने भी इसी बात का समर्थन किया है। केवल कार्यपालिका की कार्यवाही द्वारा एक भारतीय को भी इस देश में प्रवेश करने में रुकावट हो सकती है। कार्यपालिका अधिकारी कह सकते हैं कि हम आपको अनुमति पत्र नहीं देते हैं। इस लिये खंड १० के बारे में हमें यह करना चाहिये कि नागरिकता की समाप्ति के विषय को न्यायपालिका की परिधि के अन्तर्गत लाया जाये।

इसके बाद मैं चाहता हूं कि खण्ड १६ में एक और उपबन्ध बढ़ाया जाये। इस खण्ड के द्वारा किसी व्यक्ति को जो मिथ्या घोषणा करे दण्ड दिया जा सकता है। मेरे विचार में यह पर्याप्त नहीं है। मैं ने अपनी जाति के लोगों का उदाहरण दिया था—वह अपने को आंग्ल-भारतीय कहते हैं-और घोषणा में जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं होना चाहिए और यदि हो भी तो झूठ बोलकर 'भारतीय' लिखा जा सकता है और इस की देखभाल नहीं हो सकती है और इस अधिनियम के अन्तर्गत दन्ड नहीं दिया जा सकता है।

दूसरे, मैं नहीं जानता कि माननीय गृह-मंत्री को इस बात की सूचना है या नहीं कि अभी श्री टी० टी० कृष्णमाचारी नें विदेशी व्यापारिक संस्थाओं से उनके विदेशी तथा भारतीय कर्मचारियों के नामों की सूचियां मांगी थीं। बहुत सी संस्थायें उन्हें झूठी सूचियां दे रही हैं और आंग्ल-भारतीयों को, जो कि इंगलैंड के पंजीबद्ध नागरिक ह, भारतीय नागरिक ही दिखा रही हैं।

मैं चाहता हूं कि यह सब रोका जाये। यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो ठीक है, उसे छोड़ने दीजिये—किन्तु इस प्रकार से धोखा नहीं होना चाहिये। विदेशी व्यापारिक संस्थायें भी इसी प्रकार का धोखा दे रही है। भारतीय कर्मचारियों को जो संख्या उन्हें रखनी चाहिये, वे उसे पूरा नहीं कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री को ऐसी व्यापारिक संस्थाओं के नाम भी बता सकता हूं जो कि इस प्रकार का धोखा दे रही हैं। जो व्यक्ति ऐसा धोखा देता है उसे इस के अन्तर्गत दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्रीमती कमलेन्मदूती शाह (ज़िला गढ़वाल पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर उत्तर) : मुझे इस नागरिकता विधेयक पर यह कहना है कि किसी भारतीय व्यक्ति को नागरिक बनाने व छीनने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये। इससे कुछ पक्षपाती या भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा अन्याय किये जाने का भय है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ये अधिकार न्यायालयों द्वारा जांचे जाने चाहियें।

प्रत्येक भारतीय को न्यायालयों अथवा सुप्रीम कोर्ट की शरण, प्रोटेक्शन, मिलनी चाहिये नहीं तो उसके नागरिक अधिकार

छीने जाने पर वह भूमि सम्पत्ति इत्यादि सब कुछ खो बैठेगा ।

प्रत्येक भारतीय को चाहे वह कहीं भी जन्मा तथा रहता हो, उसके माता पिता भारतीय हों, तो उसे भारतीय नागरिकता का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिये जिससे उसे रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराने की अड़चन न पड़े और उसका यह अधिकार छीना न जाना चाहिये । हां अगर किसी कारण से वह भारतीय सिटिज़न न रहना चाहे तो वह बदल सकता है ।

हमारी जनसंख्या अन्य देशों के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ रही है। अमेरिका यूरोप आदि देश, रंगभेद के कारण, भारतीयों को नागरिकता के अधिकार नहीं देते । श्री लंका बर्मा इत्यादि देशों में भारतीयों की क्या दशा हो रही है, यह किसी से छिपा नहीं है । हमारे लिये पाकिस्तान का नागरिक बनना असम्भव है जब कि एक पाकिस्तानी आसानी से भारतीय नागरिक बन सकता है, अतः हमें विदेशियों को नागरिकता के अधिकार बहुत कम या उसी मात्रा में देने चाहियें जितने उन अन्य देशों में भारतीयों को मिलते हों, नहीं तो भारतीयों को न भारत में स्थान रहेगा न अन्य देशों में मिलेगा ।

मेरे विचार से दोहरी नागरिकता (डुएल सिटिज़नशिप) भी कई कारणों से उचित नहीं है । जैसे यदि कोई अपने देश का नागरिक होने के अतिरिक्त किसी अन्य देश का भी नागरिक होगा, उन दो देशों में यदि युद्ध छिड़ गया तो जो देश उसकी जन्म-भूमि नहीं है वहां वह बन्दी बना दिया जायगा । बन्दी बनाने के बाद वह अपने देश की सेवा नहीं कर सकेगा, उसमें बाधा आयेगी और दूसरे यह भी नहीं सोच पायेगा कि वह किस देश की तरफ़दारी करे, तरफ़दारी तो वह अपने देश की करेगा । हेग कन्वेशन की भी यही राय थी कि एक आदमी की एक ही नैशनैलिटी होनी चाहिये, दो नहीं होनी चाहिये । धारा ९ के अन्तर्गत एक विदेशी को भी दोहरी नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिये, जब कि एक भारतीय को नहीं मिलता । यदि एक विदेशी भारतीय नागरिकता बनना चाहे तो उसे अन्य देश की नागरिक छोड़ देनी चाहिये । अतः धारा ९ मेरे ख़याल से भारतीयों के लिये लाभप्रद नहीं है, क्योंकि भारतीयों को अन्य देशों में बसने में बाधा आयेगी ।

धारा ९ की पहली उपधारा के साथ एक और उपधारा स्पष्टीकरण के लिये जोड़ देनी चाहिये कि जो भारत में स्वयं जन्मा हो या जिसके पूर्वज जन्मे हों, उसे किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता से अलग न किया जाय, नहीं तो वह कहीं का भी न रह जायेगा, केवल जब वह नागरिकता छोड़ना चाहे तभी अलग हो ।

भारत के गोआ जैसे भागों की जनता को उस स्थान विशेष के स्वतन्त्र होते ही सहज स्वभावक ही भारतीय नागरिक समझा जाना चाहिये, एक भारतीय की नागरिकता का चुनाव उसकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिये ।

अन्य बातों में मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर) : मेरे विचार में नागरिकता के अधिकारों का अर्जन करने के लिये केवल निष्ठा तथा वफादारी की शर्त ही होनी चाहिये । किन्तु इस विधेयक में इस बात का बहुत ही कम ध्यान रखा गया है ।

इस निष्ठा के प्रश्न के सम्बन्ध में एक यह बात उठ सकती है इस निष्ठा की परख किस प्रकार की जाये । इस सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुछेद ५ की ओर निर्देश करूंगा जिसमें इस के सम्बन्ध में निदेश दिये हुये हैं ।

[मूलचन्द दुबे]

इसलिये केवल उद्भव तथा देशीयकरण ही नागरिकता के अधिकारों के प्रदान किये जाने के लिये अपर्याप्त नहीं हैं। देश के प्रति निष्ठा को देश में अधिवास से ही जांचा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का अधिवास किसी दूसरे देश में है और वह चाहे यहां के किसी अधिवासी का वंशज ही क्यों न हो अथवा यहां उसका जन्म ही क्यों न हुआ हो, तो केवल यह बात ही उसे नागरिकता के अधिकार दिये जाने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस लिये अधिवास का होना बहुत ही आवश्यक है।

इस विधेयक के प्रारूपों ने ब्रिटिश राष्ट्रयिता अधिनियम, १९४८ का अनुकरण किया है। इसका भारतीय संविधान से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है। हमारे संविधान में अधिवास ही निष्ठा की शर्त मानी गई है। इस विधेयक के द्वारा नागरिकता, जन्म से, उद्भव से, पंजीयन से तथा देशीयकरण से अर्जित की जा सकती है। किन्तु इसके साथ अधिवास की शर्त नहीं रखी गई।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में यह शर्त सब से पहले रखी जाये। माननीय गृह-मंत्री ने वाद-विवाद आरम्भ करते समय कहा था कि इस विधेयक पर दलीय दृष्टिकोण से विचार न किया जाये बल्कि सभा की राय से इस में उचित सुधार किये जायें। पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत से लोग निकाले गये हैं और सम्भव है कि भविष्य में वे लोग अपने घरों को वापस जाना चाहें, तो उनके लिये, मैं कहूंगा कि इस अधिवास सम्बन्धी नियम को ढ़ीला कर दिया जाये, किन्तु अधिवास का सिद्धान्त रहना अवश्य चाहिये। मेरे विचार में निवासियों' तथा 'नागरिकों' में परस्पर अन्तर अवश्य रखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय हैं कि केवल निवास से ही नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते हैं। नागरिकाता का अधिकार तो एक विशेष अधिकार है जो केवल कई शर्तें पूरी होने पर ही दिया जा सकता है।

इस देश के नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकारों आदि का उल्लेख संविधान के मूलभूत अधिकारों और राज्य के निदेशक तत्वों के अध्यायों में दिया हुआ है। इन दोनों अध्यायों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निवासियों को अमुक अधिकार और नागरिकों को अमुक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके पश्चात् जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा है नागरिक की दो श्रेणियां होनी चाहिये, एक तो वे जो कि पंजीयन तथा देशीयकरण से नागरिक बने हों और दूसरे वे जो जन्म तथा उद्भव से नागरिक हों। मुझे केवल इतना ही कहना है।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ाज़िल्का सिरसा) : यह जो बिल इस वक्त आया है वह हिन्दुस्तान के लोगों को हक़ शहरियत देने के लिये है इसलिये मैं इसबिल का स्वागत करता हूं।

इस में सब से पहली बात तो यह होगी कि जो लोग पाकिस्तान से आयेंगे, उन को इस बात के लिये कुछ अर्से के दौरान में अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। जिस वक्त तक वह अपने को रजिस्टर नहीं करवायेंगे, उस वक्त तक उन्हें शहरी हुक़ूक़ नहीं मिल सकेंगे। आप जानते हैं कि इस क्लाज से वह लोग जो लाखों की तादाद में सन् १९५० के बाद आये हैं वह बड़ी मुश्किल में पड़ जायेंगे, अगर उन का रजिस्ट्रेशन उसी ढंग से चला जिस ढंग से ज़मीनों के क्लेम लिये गये और इतने आदमी वैसे ही रह गये। आप यह भी

जानते हैं कि शहरों की जायदादों के क्लेम लिये गये, फिर भी कई आदमी रह गये। वह लोग अपने को रजिस्टर नहीं करा सके क्योंकि उन में से बहुत से ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, बहुत से ऐसे हैं जो ला को समझते नहीं हैं। इस लिये मैं आशा करता हूं कि कुछ अर्से के लिये, कम से कम दस साल के लिये जो पाकिस्तान से आयेंगे उन को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस ढंग से इस क़ानून को लागू करेंगे तो यह अगले मार्च तक तो लागू होगा, उसके बाद अगले एलेक्शन कुछ दिनों में आ जायेंगे। क्या आप यह समझते हैं कि इतने अर्से के दौरान में सब लोग अपने को रजिस्टर करा कर बाक़ायदा तौर पर वोटर बन सकेंगे? मुझे तो यह नामुमकिन मालूम होता है।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान के वह लोग जो दूसरे देशों में जा कर बस गये हैं उन को इस बिल के मुताबिक़ शहरी हक़ूक़ मिल सकते हैं। बशर्ते वह अपने आप को रजिस्टर करावें हिन्दुस्तान में आने के बाद।

मैं समझता हूं कि चार क़िस्म के लोग हैं। एक तो वह हैं जो कामनवेल्थ कंट्रीज़ में हैं, दूसरे वह लोग हैं जो उन मुल्कों में है जो कि आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन वह कामनवेल्थ में शामिल नहीं हैं और जो शहरी हुक़ूक़ कामनवेल्थ के लोगों को मिलते हैं वह उन को इस बिल के क्लाज़ के मुताबिक़ नहीं मिल सकते हैं। कुछ वह मुल्क हैं जहां हमारे मुल्क के और खास कर हमारे सूबे के लोग गये हैं, और जो कि डिपेन्डेन्ट कंट्रीज़ हैं या ट्रस्ट कंट्रीज़ हैं, जहां न हिन्दुस्तान का कोई कंसुलेट न कोई सीधा ताल्लुक है या नाता है। कुछ वह मुल्क हैं जो कि न आज़ाद हैं और न ट्रस्ट टेरिटरीज़ हैं, बल्कि वह दूसरों के क़ब्ज़े में हैं। वहां पर हिन्दुस्तानियों के क्या हुक़ूक़ हैं यह अभी तक मालूम नहीं हो सका है क्योंकि उन देशों के क़ानून आये दिन बदलते रहते हैं। अभी एक क़ानून बना जिस के मुताबिक़ कुछ अर्से के लिये उन्हें कुछ हुक़ूक़ मिले, लेकिन कुछ अर्से के बाद दूसरी पार्टी उन देशों में आई और उसने उन हुक़ूक़ को वापस करने का यत्न किया। ऐसे मुल्क अब भी मौजूद हैं। आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ईस्ट अफ्रीका में क्या हो रहा है, ईस्ट इंडीज में क्या हो रहा है। उन जगहों पर और कुछ दूसरे ऐसे मुल्कों में जहां पर कि हिन्दुस्तानी गये हैं वहां यत्न किया जा रहा है कि किसी ढंग से उन्हें सही शहरी हुक़ूक़ न मिल सकें। लेकिन आप ने इस बिल में रक्खा है कि अगर किसी माइनर या नाबालिग़ का बाप किसी और देश का शहरी बन जाये तो उसे हिन्दुस्तान का शहरी होने का हक़ नहीं होगा। आप यह जानते हैं कि कनाडा के क़ानून में क्या है। कनाडा के क़ानून के मुताबिक़ अगर कोई कनाडा में जा कर रहे और वह अपने लड़के को १४ साल या १८ साल की उम्र से पहले वहां न ले जा सके तो उस के बाद उस के लड़के के वहां जाने पर उस को कनाडा के शहरी के हुक़ूक़ नहीं मिलते हैं। आप के क़ानून के मुताबिक़ अगर बाप को किसी और देश के शहरी के हुक़ूक़ मिलते हैं तो लड़के को हिन्दुस्तान के हुक़ूक़ नहीं मिल सकते हैं। कनाडा में लड़के को हुक़ूक़ इस लिये नहीं मिलते कि वह १४ साल की उम्र के पहले कनाडा नहीं गया। आप के यहां उस को हुक़ूक़ इस लिये नहीं मिलते कि उस का बाप कनाडा का शहरी क़रार दिया गया है। इस के साथ ही हिन्दुस्तान की बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने जा कर दूसरे देशों के आदमियों के साथ शादियां कर ली हैं, उन के औलादें हुईं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि उन देशों में कैसे हालात हैं, किस क़िस्म के क़ानून हैं। एक वह क़ानून है जो कि सिर्फ़

[सरदार इकबाल सिंह]

सफ़ेद लोग या जिन का ओरिजिन योरप से है उन के लिये है । बाक़ी लोगों के लिये मुख्तलिफ़ क़ानून हैं । जो काले क़िस्म के लोग हैं अफ़्रीका और दूसरे देशों के लोग हैं उनके लिये मुख्तलिफ़ क़ानून हैं, वह गुलामों की तरह से हैं । आज एशिया और एशिया के पडौसी देशों के लोगों के लिये मुख्तलिफ़ क़ानून हैं । उन के लिये मुख्तलिफ़ शहरी हुक़ूक हैं । अगर आप के क़ानून के मुताबिक़ कोई हिन्दुस्तानी औरत इसी देश में किसी अफ़्रीका में रहने वाले अंगरेज़ के साथ शादी कर लेती है तो साउथ अफ़्रीका कानून के मुताबिक़ उस अंगरेज़ को भी साउथ अफ़्रीका के शहरी हुक़ूक से महरूम रहना पड़ता है आप जानते हैं कि इस क़ानून के मुताबिक़ उसे हिन्दुस्तान का शहरी क़रार नहीं दिया जा सकता है और साउथ अफ़्रीका में भी वह नहीं रह सकता है, न उस को सेटलर्स क़ानून के मुताबिक़ कोई हुक़ूक मिल सकते हैं ।

इस लिये इन सब बातों को देखते हुये मैं आशा करता हूं कि इस बिल को और लिब्रलाइज़ किया जायेगा ताकि जो डिफेक्ट हों, जो ऐसी चीजें हों, जिन का असर खास तौर से बाहर गये हुये लोगों पर जिन के मुख्तलिफ़ सवालात हैं, पड़ता है, खास तौर से वह आदमी जिन्होंने दूसरे देशों में शादियां की हैं, उन को दुरुस्त कर के बाहर गये हुये लोगों के हुक़ूक को महफ़ूज़ करने की कोशिश की जायेगा । आज हम आज़ाद होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता यह भी सोचते हैं यह हमारी शहरियत के हक़ूक हैं, यह ताक़तें हैं और पावर्स हैं । अगर हमारे बाशिन्दों के लिये, जो कि ग़ैर हिन्दुस्तानी हैं, जायज हुक़ूक नहीं हैं तो हम आगे क़ानून बना सकते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस देश के आदमियों की मुख्तलिफ़ समस्यायें हों, जिस देश के आदमियों के झंड के झंड दूसरे देशों की सरकारों के नीचे रहते हों, उन के लिये मुख्तलिफ़ क़ानून होंगे, ही, लेकिन उन में से बहुत सी सरकारें ऐसी भी हैं जिन का मुद्दा यह है कि हिन्दुस्तानियों को किसी तरीक़े से, और किसी ज़रिये से उन के हुक़ूक से महरूम किया जाय, अगर उन के लिये हम अपने देश के क़ानूनों को इतना रेस्ट्रिक्ट करते हैं जिस से कि हिन्दुस्तान में भी उन के हुक़ूक़ की रखवाली न हो सके तो यह उन के साथ अन्याय होगा ।

इसके साथ ही मैं यह समझता हूं कि कामनवेल्थ कंट्रीज़ के अलावा भी ऐसे देश हैं जो ट्रस्ट टेरिटरीज़ हैं या डिपेन्डेन्ट हैं, कुछ ऐसे देश भ हैं जहां हिन्दुस्तानी गये हैं । लेकिन वहां पर आज हमारा कोई कान्सलेट भी नहीं है और न हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुक़ात ही उन देशों के साथ हैं । आज अगर उन मुल्कों में जो हिन्दुस्तानी जा कर बस गये हैं उन्हें रजिस्टर करानें में कोई तक़लीफ़ हो यह वहां के क़ानून के मुताबिक़ यहां पर अपने आप को रजिस्टर कराने में कोई तक़लीफ़ हो तो मैं समझता हूं कि इस चीज़ को दूर कर दिया जाना चाहिये । मिसाल के लिये मैं कहता हूं कि इटली के सुमाली लैंड में बहुत से पंजाब के लोग जा कर बस गये हैं । आज सुमाली लैंड एबीसीनिया के नीचे है और आप के एबीसीनिया के साथ रेसीप्रोकल बेसिस पर शहरी हक़ूक के बारे में कोई मुहायदा नहीं हुआ है और न ही वहां पर आप का कोई कान्स्लेट ही क़ायम है । मैं समझता हूं कि अगर किसी वजह से जो लोग वहां गये हैं वे उन के क़ानून के मुताबिक़ अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते और आप भी यह कहते हैं कि एक साल में अगर उन्होंने अपने आप को हिन्दुस्तान के क़ानून के मुताबिक़ रजिस्टर नहीं करवाया तो उन को हिन्दुस्तान की शहरयित के

हुक़ूक नहीं मिल सकेंगे तो मैं पूछता हूं कि उन बेचारों का क्या बनेगा और उनको कितनी तकलीफ़ होगी। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क़ानून को उन लोगों के बारे में जो कि हिन्दुस्तान छोड़ कर दुसरे मुल्कों में चले गये हैं जितना ज्यादा लिब्रलाइज़ किया जा सकता है कर दिया जाये।

काका साहब ने यहां कहा कि पाकिस्तान को छोड़ कर जो भाई हिन्दुस्तान आ रहे हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम उन को हिन्दुस्तान के शहरी हक़ूक देते चले जायें। उन का ख्याल है कि हमें उन को शहरी हक़ूक नहीं देने चाहियें। मैं उन के इस विचार से मुत्तफ़िक़ नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुक़ात ऐसे हैं जैसे कि आज हम देख रहे हैं और जैसी आज पाकिस्तान की अन्दरूनी हालत है वैसी ही रही तो उस वक्त तक हिन्दुस्तान में आने वालों के लिये किसी क़िस्म की पाबन्दी शहरी हक़ूक के बारे में अगर आप लगायेंगे तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये वे लोग हैं जिन्होंने कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिये बहुत भारी कुर्बानी की है और आज ये लोग उस देश में रह रहे हैं जिस देश के कि ताल्लुक़ात हमारे देश के साथ दोस्ताना नहीं हैं। हम यह भी देखते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में आज रह रहे हैं वे अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था है वह भी कोई अच्छी नहीं है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से जब भी लोग इधर आयें, बशर्ते कि वह इस नुक्तेनज़र से आयें कि वे हिन्दुस्तान को अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसी दिन से उन को पूरे शहरी हुक़ूक मिलने चाहियें। मैं समझता हूं कि अगर आप उन को शहरी हुक़ूक देने में कोई पाबन्दी लगाते हैं तो आप उन के साथ एक तरह से बेइन्साफी करते हैं।

इस लिये मैं आशा करता हूं कि इस क़ानून को जो कि सिलेक्ट कमेटी के पास जा रहा है काफ़ी लिब्रलाइज़ कर दिया जायेगा। खासतौर पर उन आदमियों के लिये जो हिन्दुस्तान से दूसरे देशों में चले गये हैं और जहां पर हमारे कान्सलेट इत्यादि नहीं है या कोई डिपलोमेटिक ताल्लुक़ात नहीं हैं और जहां पर हिन्दुस्तानियों को अपने आप को रजिस्टर करवाना मुश्किल है। मैं खास तौर पर उन के बारे में कहना चाहता हूं जो कि माइनर हैं, जिन के बाप को तो उस देश के शहरी हक़ूक मिल गये हैं लेकिन उन को अभी तक नहीं मिले और न मिलने वाले हैं कोई प्राविज़न इस बिल में कर दिया जाये ताकि उन को यहां के शहरी हुक़ूक़ मिल जायें। मैं आशा करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी इस क़ानून में तबदीलियां कर के उस को काफ़ी लिब्रलाइज़ कर देगी।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नगिरि दक्षिण) : हम एक महत्वपूर्ण विधेयक पर, जिसे संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा है, विचार कर रहे हैं। इस विधेयक के अन्तर्हित सिद्धान्त को आज विश्व में स्वीकार किया जा चुका है। द्वैध राष्ट्रीयता के मामले पर आज समस्त विश्व सहमत है। किन्तु फिर भी इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बेलजियम के नागरिकता विधेयक द्वारा बेलजियम जनकों की वैध सन्तान को चाहे वह किसी भी देश में जन्मा हो उस देश का नागरिक मान लिया जायेगा--किन्तु यहां तो भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को ही नागरिक मान लिया जायेगा। नागरिकता के अधिकार इतनी अनियमितता से नहीं दिये जाने चाहियें। कम से कम इस

[श्री एम० डी० जोशी]

सम्बन्ध में कोई न कोई शर्त तो होनी ही चाहिये ।

दूसरे देशीयकरण के मामले पर भी ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बेलजियम के अधिनियम के अनुसार देशीयकरण के लिये मुख्य शर्त यह है कि उक्त व्यक्ति की आयु २५ वर्ष की हो और वह १० वर्ष तक वहां रहा हो। इसी प्रकार की कोई शर्त हमारे विधेयक में भी होनी चाहिये ।

श्रीमान्, ये बात ठीक है कि हमें उदार हृदयता से विचार करना चाहिये, किन्तु इस विधेयक के बनाने में हमने अधिक स्वतन्त्रता से काम लिया है । नागरिकता तथा देशीयकरण के लिये कुछ शर्तें अवश्य रखी जाना चाहिये ।

नागरिकता के प्रश्न पर किसी न किसी प्रकार की अन्योन्यता अवश्य होनी चाहिये । यह ठीक है कि भारत का नागरिक प्रथम सूची में उल्लिखित देशों में राष्ट्रमंडलीय नागरिक होगा और उन देशों के नागरिक हमारे यहां राष्ट्रमंडलीय नागरिक होंगे, परन्तु इससे हमें क्या लाभ होगा । अनुभव के आधार पर हम इस बात को देख सकते हैं ।

उदाहरण के लिये दक्षिण अफ्रीका तथा श्री लंका को ही लीजिये । दक्षिण अफ्रीका हमें वैसे अधिकार ही नहीं दे रहा है जो वहां के नागरिकों को प्राप्त हैं—वहां पर जाति पृथक्करण के सिद्धान्त को लागू किया जा रहा है । परन्तु हम सभी को यह अधिकार दिये दे रहे हैं । हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये । हम उदार अवश्य रहे परन्तु उसका दुरुपयोग न करें ।

ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के अधीन, हर एक व्यक्ति जो धारा १ की उपधारा (३) के अन्तर्गत उल्लिखित देशों में से किसी एक का नागरिक है, वह स्वयं ही एक ब्रिटिश प्रजाजन होगा । किन्तु हम प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रमंडलीय नागरिक का अधिकार दे रहे हैं—इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व इंगलैंड एक का साम्राज्य था—अब उन्होंने 'साम्राज्य' शब्द को हटा दिया है और 'राष्ट्रमंडल' शब्द रख दिया है । किन्तु इंगलैंड की मनःस्थिति यह है कि धारा १ की उपधारा (१) में उल्लिखित सभी लोग उनके प्रजाजन हैं । किन्तु उसका उलट सच नहीं है । हम तो लोगों को भारतीय नागरिकों जैसी प्रस्थिति प्रदान कर रहे हैं, परन्तु इंगलैंड का दृष्टिकोण कुछ और ही है । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने १९०८ में आयरलैंड में जन्म लिया और व्यापार के लिये वह इंगलैंड में रहा—उसके बाद आयरलैंड स्वतन्त्र हो गया और वह व्यक्ति दोहरा नागरिक बना । युद्धकाल में उसे इंगलैंड सरकार की ओर से भर्ती होने की आज्ञा दी गई—उसने कहा कि वह आयरलैंड का नागरिक था, इसलिये उनकी आज्ञा मानने के लिये बाध्य नहीं था । इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दण्ड मिला—अपालीय न्यायालयों ने भी उसकी अपील नामंजूर कर दी क्योंकि ऐसी कोई विधि नहीं थी जिससे यह प्रकट हो सके कि आयरलैंड इंगलैंड का उपनिवेश नहीं था । चाहे वह स्वतन्त्र ही क्यों न हो गया था । बहुत ही विचित्र बात है । इंगलैंड द्वारा किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किये जाने पर ऐसा ही किसी भारतीय के साथ भी हो सकता है ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : भारत अधिनियम जो है ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं तो केवल अंग्रेज़ों की मनःस्थिति का वर्णन कर रहा

हूं । हमें केवल इसी से प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिये कि हम एक बहुत स्वतन्त्र विधि बनाने जा रहे हैं । देखिये दक्षिण अफ्रीका सभी बातों को ठुकरा कर क्या क्या कार्यवाहियां नहीं कर रहा है परन्तु राष्ट्रमंडलीय देश उंगली तक नहीं उठाते हैं । स्वतन्त्रता का व्यवहार कमज़ोरी तथा शक्ति दोनों की निशानी है—यदि हमारी शक्ति का सम्मान होता है तो स्वतन्त्रता उचित है क्योंकि एक कवि ने कहा है :

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना
न जातहार्देन न विद्विषादरः ।

हमें यह देखना चाहिये कि हमारे नागरिकों को विदेशों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं केवल एक बात कह कर समाप्त करूंगा—तृतीय अनुसूची के उपखंड (क) में देशीयकरण के सम्बन्ध में लिखा है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय नागरिकों को देशीयकरण के आधार पर नागरिक बनने में रुकावट हो । इसका अर्थ यह है कि यह प्रथम अनुसूची में दिये गये देशों पर लागू नहीं होता है—किन्तु वे देश इस बात को मानते नहीं हैं । इसी कारण से मैं ने कहा था कि जैसा कोई हम से व्यवहार करे हमें भी वैसा ही व्यवहार उसके प्रति करना चाहिये । यहां के भागे हुये चोर तथा डाकू दूसरे देशों में जा कर सम्मानित नागरिक बन गये हैं । अवस्था तो यह है—इस लिये इन सब बातों के लिये कोई न कोई रुकावटें अवश्य होनी चाहियें । निस्सन्देह नागरिकता की समाप्ति का उपबन्ध अवश्य है, किन्तु इसके लिये कोई दण्ड तो नहीं है ।

इसके बाद मैं खण्ड १८ (१) की महत्ता को भी नहीं समझ सका हूं । उसके द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रीयता तथा विदेशी प्रस्थिति अधिनियमों, १९१४ से १९४३ को जहां तक वे भारत पर लागू होते थे निरसित कर दिया गया है । १९१४, १९१८, १९२२, १९३३, १९४३ के अधिनियम निरसित कर दिये गये हैं, किन्तु १९१४ के अधिनियम की कतिपय धारायें शेष हैं । इसलिये मैं इस खण्ड का अर्थ नहीं समझ सका हूं और मैं चाहता हूं कि इसे हटा दिया जाये ।

जहां तक परिभाषाओं का सम्बन्ध है खंड २ (१) (च) में यह कहा गया है कि "पर्सन" शब्द के अन्तर्गत व्यक्तियों की निकाय सम्मिलित नहीं है । मेरे विचार में यह समवायों निगमों आदि को बाहर रखने के लिये रखा गया है—किन्तु यह राष्ट्रीयता के लिये—नागरिकता के लिये नहीं है । मैं समझता हूं कि निगमों आदि से सम्बन्धित व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं—इस लिये इसका स्पष्टीकरण किया जाये ।

श्री बी० के० दास (कंटाई) : देश में आये हुये विस्थापित व्यक्तियों की नागरिकता के सम्बन्ध में कल पर्याप्त चर्चा हुई थी । आज मैं इस के सम्बन्ध में कुछ एक ठोस सुझाव रखना चाहता हूं ।

"विस्थापित व्यक्ति" के सम्बन्ध में एक निश्चित परिभाषा बनायी जा चुकी है और स्वीकार की जा चुकी है, अतः मैं समझता हूं कि यहां पर भी वही परिभाषा रखी जानी चाहिये ।

ऐसा कहा गया है कि आगामी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलि ३१ मार्च, १९५६ तक पूरी करने के लिये हमें यह पता लग जाना चाहिये कि इसमें भाग लेने वाले कितने व्यक्ति १ मार्च, १९५६ को हमारे राष्ट्रजन हैं । निर्वाचन विधि के अनुसार कोई भी

[श्री बी० के० दास]

व्यक्ति निर्वाचन में तभी भाग ले सकता है जबकि उसे यहां पर रहते हुये १८० अथवा इस से अधिक दिन हो गये हों । अतः यदि ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें भारत में आये हुये छः मास से अधिक समय हो गया है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध कर लिया जाय तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

प्रस्तुत विधेयक के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को अपने आपको खण्ड ५ के अधीन पंजीबद्ध कराना है । मेरे विचारानुसार यह एक एसी प्रस्थापना है जो कार्यरूप में परिणित नहीं की जा सकती है क्योंकि पंजीबद्ध कराने से पूर्व उसे यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि वह पाकिस्तान से आया है और यहां गत एक वर्ष से रह रहा है । उनके लिये यह प्रमाणित करना बहुत कठिन है और इस प्रक्रिया में भी बहुत विलम्ब लग जाता है । इसके परिणामस्वरूप बहुत से विस्थापित व्यक्ति भारत की नागरिकता के अधिकारों से वंचित रह जायेंगे और निर्वाचन नामावलियों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जायगा । वे तो यथार्थ रूप में हमारे नागरिक हैं और उन्हें पंजीयन के बिना ही नागरिकता के अधिकार देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिये । मेरा विचार है १५ अगस्त, १९५५ तक भारत में आने वाले व्यक्तियों को यदि नागरिकता के अधिकार दे दिये जायें तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

एक अन्य वर्ग के व्यक्तियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये, और वह वर्ग उन व्यक्तियों का है जिनका अपहरण कर लिया गया था और अब वह वापस लाये गये हैं । वे भी वास्तव में हमारे नागरिक ही हैं, यद्यपि वे भी हमारे रजिस्टरों में पंजीबद्ध नहीं हैं । अतः उन्हें भी स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त एक और वर्ग भी है जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है । हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी राज्य के समय यहां से कई क्रांतिकारी इस देश को त्याग कर विदेशों को चले गये थे, सम्भव है कि वे अब स्वदेश लौटना चाहें । इस के लिये देशीयकरण तथा पंजीयन की प्रक्रियायें हैं । देशीयकरण सम्बन्धी खंड के अनुसार सरकार किसी भी शर्त को हटा सकती है परन्तु मैं चाहता हूं कि इन उपबन्धों में कोई और खण्ड जोड़ दिया जाय ताकि ये शर्तें उन पर लागू न हों और वे स्वतः ही भारत की नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकें ।

नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता की वंचितता के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया था कि जिन व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त कर दी जायगी अथवा जिन्हें इस से वंचित कर दिया जायगा, उन के अवयस्क बच्चों का क्या बनेगा । खंड ९ अथवा १० में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे कि हमें इसका उत्तर मिल सके । आस्ट्रेलिया के अधिनियम की धारा २३ में इसका उपबन्ध किया गया है । अतः मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (वान्दिवाश) : मैं सर्व प्रथम मन्त्री महोदय को इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं । यदि यह विधेयक पुरःस्थापित न किया जाता तो इससे हमारे विधान में एक बड़ी भारी कमी रह जाती ।

मैं सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों को न लेता हुआ, केवल एक दो बातों के सम्बन्ध में ही बोलूंगा । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि देशीयकरण तथा पंजीयन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को क्या बिलकुल वे ही अधिकार दिये जायेंगे

जो कि जन्म से अथवा उद्भव से नागरिकता प्राप्त करने वालों को प्राप्त होंगे ? इसके सम्बन्ध में मुझे अनेकों सन्देह हैं । अतः इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है ।

खण्ड ४ में भारत से बाहिर जन्म लेने वाले और अविभाजित भारत से बाहिर जन्म लेने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है । परन्तु मैं इन दो पारिभाषिक शब्दों को स्पष्टतया समझ नहीं सका हूँ । 'भारत से बाहिर' और 'अविभाजित भारत से बाहिर' इन दोनों के वास्तविक अर्थ क्या हैं यह स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार से खण्ड ४ में उद्भव के द्वारा नागरिकता केवल पुरुषों को प्रदान की गयी है न कि नारियों को । मेरा यह सुझाव है कि पुरुषों और स्त्रियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये ।

खंड ८ में यह लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को द्वैध नागरिकता प्राप्त हो तो वह भारतीय नागरिकता को त्याग सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय नागरिकता को त्यागने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसे द्वैध नागरिकता प्राप्त हो । मैं समझ नहीं सका कि यह शर्त क्यों रखी गयी है ?

इस में एक और बात भी है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है । किसी व्यक्ति के यह घोषित करते ही कि वह इस देश का नागरिक नहीं रहा है, उसके अवयस्क बच्चे भी उस राज्य के नागरिक नहीं समझे जायेंगे । उनके नागरिक बनने की शर्त यह है कि वह वयस्क होते ही एक वर्ष के अन्दर अन्दर यह घोषित करें कि वे भारत के नागरिक बनना चाहते हैं । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वर्ष की यह अवधि हटा दी जानी चाहिये ।

जहां तक नागरिकता की समाप्ति का सम्बन्ध है, खण्ड ९ (१) में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसके सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये एक विशेष प्राधिकारी नियुक्त किया जायगा । इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी विधि निर्माता प्राधिकारी को नियुक्त करने की अपेक्षा यह उचित है कि अधिनियम में ही एतत्सम्बन्धी शर्तें रख दी जायें ।

नागरिकता की वंचितता के सम्बन्ध में कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने पंजीयन अथवा देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो, नागरिकता से वंचित कर दिया जायेगा । यदि केन्द्रीय सरकार अपने किसी आदेशानुसार ऐसा करना चाहे, अथवा यदि वह व्यक्ति देश प्रति अनिष्ठा या द्रोह कर ले ।

खण्ड का यह भाग बड़ा ही हानिकारक है क्योंकि यह जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है । अतः यह बात स्पष्ट की जाये कि खण्ड का यह भाग उन व्यक्तियों पर किस प्रकार लागू होगा जिन्होंने जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त की है ।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं उन्हें वंचित नहीं किया जायगा ।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : बस मैं यही स्पष्ट कराना चाहता था ।

खण्ड १६ में दिये गये अपराधों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम बनाने से सम्बन्धित खण्ड में लिखा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की सज़ा दी जायगी और वह जुर्माना १००० रुपये तक हो सकता है । इस से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या केवल जुर्माना किया जायेगा, अथवा जुर्माना और कारावास दोनों दंड दिये जायेंगे । अतः मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट किया जाय ।

[श्री एन० आर० मुनिस्वामी]

ऐसा कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम संसद् की दोनों सभाओं के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके बहुत से मामलों में नियम मुख्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल नहीं होते हैं, अतः दोनों सभाओं में पहले उन पर चर्चा होनी चाहिये, और फिर बाद में उनकी स्वीकृति दी जानी चाहिये ।

नागरिकता के सम्बन्ध में जारी किये गये किसी भी आदेश का न्यायालय में आवाहन किया जा सके। यह उपबन्ध होना चाहिये इससे सरकार को कई कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, परन्तु इनका हल कार्यपालका आदेशों के द्वारा नहीं होना चाहिये अपितु न्यायालय उस का निर्णय करे ।

देशीयकरण के खण्ड में ऐसा लिखा हुआ है कि नागरिकता का इच्छुक व्यक्ति उच्च नैतिक विचारों का होना चाहिये। परन्तु उच्च नैतिकता के सम्बन्ध प्रमाण-पत्र कौन देगा ? और यदि प्रमाणपत्र दिया भी गया तो उसकी सत्यता को कौन प्रमाणित करेगा ।

निष्ठा को शपथ की शर्त केवल दो ही प्रकार के व्यक्तियों के लिये निर्धारित की गयी है—वे दो वर्ग हैं देशीयकरण अथवा पंजीयन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले। मैं चाहता हूं कि यह शपथ की शर्त उन व्यक्तियों पर भी लागू की जाय जो कि उद्भव के द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : नागरिकता विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्देशित करने से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रस्ताव पर गत तीन दिनों से चर्चा हो रही है। इस पर बोलने वाले सभी वक्ताओं ने इसके महत्व का अनुभव किया है। मैं सभा को बधाई देता हूं कि यहां इतने ऊंचे स्तर पर वादविवाद होता रहा है। इस पर बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बड़ा परिश्रम किया है और मैं उनके मत की सचाई से प्रभावित हुआ हूं। उन्होंने एक बौद्धिक ढंग से समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है, इस विधेयक से उत्पन्न होने वाली आपत्तिजनक बातों को बिना किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव के लिया है। मैं ने इन भाषणों को न केवल रुचि से सुना है, अपितु उन्हें हितकर भी समझा है। यहां पर उत्पन्न हुये सभी प्रश्नों पर संयुक्त समिति के सदस्य अच्छी प्रकार से विचार करेंगे। परन्तु मुझे इस बात का सन्देह है कि मैं सभी बातों का उत्तर दे सकूंगा। तथापि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा मन अन्त तक उदार रहेगा। विधेयक के उपबन्धों को स्पष्ट करने के लिये मैं चाहे कितना भी कहूं, परन्तु मैं इस में उचित संशोधन करने के लिये सदैव तैयार रहूंगा ताकि प्रारम्भ में की गयी मेरी वह घोषणा पूर्ण हो सके कि हमें इस विधेयक को यथा साध्य पूर्ण बनाना चाहिये ।

आलोचनाओं का उत्तर देने से पहले मैं एक माननीय सदस्य द्वारा किये गयेप रिचालन प्रस्ताव का उल्लेख करता हूं। उन्होंने अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहा है और सभा ने भी उस प्रस्ताव का बहुत ही कम समर्थन किया है। प्रारूप विधेयक सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व राज्यों को भेजा गया था। यह विधेयक अप्रैल में पुरःस्थापित किया गया था, इस बात को कई मास बीत चुके हैं। क्योंकि प्रतिवेदन १५ नवम्बर से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाना है इसलिये संयुक्त समिति को इस पर चर्चा करने के लिये कई मास का समय मिलेगा। संयुक्त समिति माननीय सदस्यों से प्राप्त हुये सुझावों का स्वागत करेगी। मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैं ने वह कारण बताये

थे जिन से इस विधान में देरी हुई है । कम से कम एक कारण ऐसा है जिस से कि यह विधान अविलम्बनीय हो जाता है । जो विस्थापित व्यक्ति से विधान के लागू होने के बाद यहां आये हैं उन को पंजीबद्ध नहीं किया गया है और आगामी चुनाव से पूर्व उनकी प्रस्थिति को मान्यता प्रदान की जानी है जिस से कि वह आगामी चुनाव में भाग लेने के विशेषाधिकार से वंचित न हो जायें । अतः मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव पर आग्रह नहीं किया जायेगा ।

इस विधेयक का सम्बन्ध आधारभूत समस्याओं से है । इस पर बहुत ही गम्भीरता पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है । जो आलोचनायें की गई हैं उन को कई वर्गों में बांटा जा सकता है । मैं प्राय सभी मुख्य आलोचनाओं का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

सब से पहले मैं राष्ट्रमंडल की नागरिकता सम्बन्धी विचार को लेता हूं । यह केवल विचार मात्र ही है । वास्तव में राष्ट्र मंडलीय नागरिकता केवल राष्ट्रों की अधिकाधिक बन्धुता की आकांक्षा को इंगित करती है । इस के अतिरिक्त उसका कोई अन्य महत्व नहीं है । यह हम पर किसी प्रकार का दायित्व या अनिवार्यता लागू नहीं करती है । इस सम्बन्ध में जो भ्रान्ति है उसे दूर करना होगा । माननीय सदस्यं इस विधेयक के खंड २ (ख) और (ग) का निर्देश करें ।

इस विषय के सम्बन्ध में खंड ११ और १२ हैं और प्रथम अनुसूची में उल्लिखित देश के नागरिकों के पंजीयन के सम्बन्ध में उपबन्ध खण्ड ५ में हैं । किसी राष्ट्रमंडलीय देश का अभिप्राय किसी राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक के पंजीयन के उपबन्ध से ही हो सकता है । केवल अनुसूची में नाम दिये जाने मात्र से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । उसे हमारे द्वारा उस देश विशेष का नागरिक क़रार दिया जाना चाहिये । इस स्थिति तक पहुंचने से पूर्व खंड २ (ग) में उल्लिखित शर्त अर्थात् भारत सरकार यह घोषित करे कि उस देश विषेश की विधान सभा द्वारा पारित किये गये किसी विधान विशेष को उसके द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है, पूरी होनी चाहिये । जब तक कि किसी देश की नागरिकता विधि को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है और वह इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं कराती है तब तक इस अधिनियम के लेखे उस देश का अस्तित्व ही नहीं होता है । कदाचित माननीय सदस्यों को यह चिन्ता हो कि दक्षिण अफ्रीका का कोई बोअर पंजीयन की कोशिश करे । यह सम्भव नहीं है । पहले भी ऐसा होना सम्भव नहीं था । १९२६ के देशीयकरण अधिनियम में भी ऐसा होना सम्भव नहीं था । अन्योन्यत्र अधिनियम में भी ऐसा होना सम्भव नहीं था । जब तक कि हम दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता विधि को मान्यता प्रदान न करें तब तक उस देश का कोई भी नागरिक यहां आकर पंजीयन नहीं करा सकता है, और इस प्रकार की घोषणा केवल दक्षिण अफ्रीका की सरकार की प्रार्थना पर ही की जा सकती है । दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हमारे देशवासियों को इतना सताया और परेशान किया है कि उसे ऐसी प्रार्थना करने का साहस ही नहीं होगा । इस लिये जब तक कि घोषणा न की जाये केवल राष्ट्रमंडलीय देश का नागरिक होना मात्र हो पर्याप्त नहीं है और विधि के अनुसार कोई संगतता नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : स्पष्टीकरण के हेतु । मेरे विचार से राष्ट्रमंडलीय नागरिकता की प्रस्थिति राष्ट्रमंडलीय देशों के मध्य हुई चर्चा के परिणामस्वरूप लागू की गई है और इसी चर्चा के परिणामस्वरूप

[श्री अशोक मेहता]

नागरिकता अधिनियमों में ऐसे समान खंड के रखे जाने के विचार को स्वीकार किया गया था । इस प्रकार का खंड होने से यह समझा जाता है कि अन्योन्यता स्थापित कर दी जायेगी । दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा वह ठीक हो सकता है, परन्तु जहां तक राष्ट्रमंडलीय देशों का सम्बन्ध है क्या इस विधेयक में समान खंड के रखे जाने का अर्थ अन्योन्यता को स्वीकार करना नहीं है ?

पंडित जी० बी० पन्त : इस समान खंड को कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकता अधिनियमों में रखा गया है । दक्षिण अफ्रीका की संविधि में ऐसा कोई उपबन्ध है या नहीं इसका मुझे निश्चय नहीं है । यह समझा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश हमारे नागरिकों को अपने नागरिक बनाने के लिये तैयार हैं उन के नागरिकों को हम भी वही प्रस्थिति प्रदान करें ।

परन्तु राष्ट्रमंडल के किसी देश का नागरिक स्वतः ही नागरिक नहीं बन सकता या पंजीयन के लिये आवेदनपत्र नहीं दे सकता । इस विषय में पहले हमारे हाथ में है । मैं यही बात सभा के माननीय सदस्यों को समझाना चाहता था । यह सच है कि राष्ट्रमंडल में यह भाव निहित है कि जिन देशों का इस से सम्बन्ध है, वे जब भी पारस्परिक लाभ और हित के लिये ऐसा चाहे, इस प्रकार के प्रबन्ध कर सकते हैं जिन से प्रबन्धकर्ता सदस्यों को लाभ हो । यह भाव तो निहित है । परन्तु इस में यह भाव निहित नहीं कि किसी को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो सके । यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं सभा के समक्ष रखना चाहता था क्योंकि इस विषय के सम्बन्ध में सदा भ्रम और ग़लती रही है ।

श्री रामस्वामी : सामान्य खण्ड दक्षिण अफ्रीकन अधिनियम का अंग नहीं है ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं ने भी यही बात कही है इस से यह पता चलता है कि राष्ट्रमंडल का देश इस बात के लिये बाध्य नहीं कि वह सामान्य खण्ड को रखे और हम ने इस तथ्य को भी देखा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के नागरिकों के प्रति द्वेषपूर्ण भेदभाव की नीति व्यवहार में लाई जाती है उस से भी पता लगता है कि राष्ट्रमंडल का प्रत्येक देश अपनी नागरिकता सम्बन्धी विधि बनाने के लिये स्वतन्त्र है और इंगलैंड जो कुछ करता है वह अन्य किसी पर लागू नहीं होता । यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में १९४८ के अधिनियम के प्रति कुछ निर्देश था ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी परिस्थिति में, अन्य देशों के बारे में चाहे जो स्थिति हो, पर दक्षिण अफ्रीका संघ को अनुसूची में शामिल करने में क्या आपत्ति है ?

पंडित जी० बी० पन्त : वह केवल एक राष्ट्रमंडलीय देश का निरूपण मात्र है और जब तक दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल में है, आपको राष्ट्रमंडलीय देशों में उसे शामिल करना होगा । फिर प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक देश एक दिन होश में आ सकता है, और मुझे आशा है कि दक्षिण अफ्रीका का पागलपन भी कभी समाप्त हो जायेगा और वह भी बुद्धिमानीपूर्वक आचरण करने लगेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : इससे पूरी दुनिया के लिये क्यों न खुला रखा जाये ?

पंडित जी० बी० पन्त : इसके अतिरिक्त १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के बारे में भी कुछ भ्रम रहा है । कुछ लोगों ने ऐसा दोषारोपण किया तथ्य सम्भ-

यतः कुछ दूसरे लोगों ने यह महसूस किया है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति एक ब्रिटिश प्रजाजन है। ऐसी बात नहीं है। हममें से कोई भी ब्रिटिश सम्राट् के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेता है। हम केवल अपने देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त जब भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ तो मेरी समझ से धारा ६ में यह कहा गया था कि :

> "इंगलिस्तान की संसद् का नियत तिथि को या उसके बाद पारित हुआ कोई भी अधिनियम तब तक नये उपनिवेशों (डोमीनियनों) में से किसी में भी उस उपनिवेश की विधि के रूप में लागू न होगा, जब तक कि उस उपनिवेश के विधान-मंडल की विधि द्वारा वह वहां पर लागू न किया जाये।"

यह १९४७ में पारित हुआ था। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम १९४८ में पारित हुआ था। वह इस देश में तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक इस संसद् द्वारा उसे लागू न किया जाये। ब्रिटिश संसद् जो कुछ करती है उससे हमारी अपनी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या मैं माननीय मंत्री को बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद ३७२ के अनुसार इंगलिस्तान की कुछ विधियां यहां जारी रहती हैं और विशेषतः भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के बाद में बनने वाला भारत (आनुषंगिक उपबन्ध) अधिनियम, १९४९ तो जारी रहता ही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अनुच्छेद ३७२ के अनुसार स्वाधीनता के बाद विदेश में पारित विधियां हम पर लागू नहीं होती, पहले की ही विधियां लागू होती हैं। १९४७ के बाद पारित होने के कारण ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम से भी हम बाधित नहीं हैं।

पंडित जी० बी० पन्त : यह १९४८ में पारित हुआ था। १९४७ के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संसद् का उसके बाद पारित कोई भी अधिनियम भारत पर तब तक लागू न होगा, जब तक भारत संसद् उसे स्वयं स्वीकार न कर ले। अतः यह स्पष्ट है कि १९४८ का अधिनियम इस देश पर लगा नहीं होता।

माननीय सदस्यों को सम्भवतः यह भी विदित है कि १९४८ के अधिनियम में उसके भारत पर लागू होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वह उपनिवेशों और इंगलिस्तान पर लागू किया गया था, किसी और देश पर नहीं। माननीय सदस्यगण ब्रिटिश संसद् में इस अधिनियम की चर्चा के समय गृह कार्य के राज्य सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) की टिप्पणी सुनना चाहेंगे। उन्होंने १३ जुलाई १९४८ को यह कहा था :

> "यह देश राष्ट्रीयता के बारे में कोई बात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के किसी दूसरे सदस्य के ऊपर नहीं थोप सकता। इस प्रयोजन से उनमें से प्रत्येक एक सर्वप्रभूत्व सम्पन्न राज्य है। हम केवल इंगलिस्तान और उपनिवेशों के ही लिये विधान बना सकते हैं और वही हम कर रहे हैं।"

वही बात वादविवाद में भी कही गयी थी। वे न हमारे लिये विधान बना सकते थे और न उन्होंने बनाया ही।

श्री एस० एस० मोरे ने १९४९ के आदेश का उल्लेख किया था। मैं समझता हूं कि उन्होंने उसके महत्व, आशय और अभिप्राय को गलत समझा था। १९४९ का

[पंडित जी० बी० पन्त]

यह आदेश वस्तुतः भारत के लाभ के लिये ही पारित हुआ था । भारत के गणराज्य बनने के बाद भारतीय उद्भव में जो व्यक्ति ग्रेट ब्रिटेन में थे, उनके पास वे विशेषाधिकार न रहे, जो उनके पास पहले थे । इसलिये १९४९ में यह आदेश निकाला गया, जिससे ग्रेट ब्रिटेन में विद्यमान भारतीयों को गणराज्य बनने से पहले प्राप्त विशेषाधिकार अब भी मिले रहे । इसने कुछ लाभ ही किया, कुछ अनर्हता नहीं थोपी । मैं समझता हूं कि कुछ ग़लतफ़हमी के ही कारण उन्होंने इस धारा का उल्लेख किया था, जिसके लिये इंगलिस्तान को श्रेय ही मिलना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : क्या मैं जान सकता हूं कि फिर वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने अपने एक पत्र में यह क्यों माना था कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने तथा गणराज्य बन जाने के बाद भी १९४८ का अधिनियम भारत पर लागू होता है ?

पंडित जी० बी० पन्त : मुझे खेद है कि अवर सचिव को एक ग़लत उत्तर भेजने के जाल में फांस लिया गया, पर उसकी बात विधि के ऊपर हावी नहीं हो सकती । यदि मेरा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक है, तो जो कुछ उसने लिखा था, ग़लतफ़हमी में और भ्रम में लिखा था, और यदि जानबूझकर लिखा था.....

श्री एस० एस० मोरे : यदि उत्तर गलत था, तो अनुच्छेद १४३ के अधीन उस पर उच्चतम न्यायालय से न्याय निर्णय क्यों न करा लिया जाये ?

पंडित जी० बी० पन्त : यदि प्रत्येक क्लर्क के ग़लत उत्तर को उच्चतम न्यायालय के पास तक ले जाया गया, तो उच्चतम न्यायालय के पास और कुछ करने के लिये काम ही न रहेगा ।

यदि श्री मोरे का अब भी यही विचार है कि वह उत्तर ठीक था, तो मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता । मैं समझता हूं कि वह काफी बुद्धिमान हैं और ऐसा ग़लत अर्थ-निर्णय न करेंगे । अतः यदि ऐसा उत्तर भेजा गया था, तो वह ग़लत था । विधि स्पष्ट है और चाहिये यह था कि माननीय सदस्य उसे सरकार को अनावश्यक ही निर्दिष्ट न करते । यह विधि का प्रश्न है और वह इसका निश्चय स्वयं कर सकते हैं । यह अपनी अपनी राय का मामला है और किसी को ऐसी राय विधि के व्यक्त निश्चित और सुस्पष्ट उपबन्धों और उस पर आधारित तर्कों के विरुद्ध न देनी चाहिये ।

राष्ट्रमंडल की नागरिकता का भी उल्लेख किया गया था । जैसा कि मैं ने बताया, हम चाहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों में बन्धत्व और बढ़े । हम कांग्रेस में चिरकाल से ही विश्व संघ और विश्व नागरिकता का स्वप्न देखा करते थे । राष्ट्रमंडल की नागरिकता हमारे ऊपर बिना कोई बोझ लादे हमें उस लक्ष्य के निकट ले जाती है । हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हमें इससे कुछ हानि पहुंचेगी । हमें इससे पहले ही बहुत लाभ प्राप्त होते रहे हैं । माननीय सदस्यगण कृपया यह याद रखें कि हमारे हजारों राष्ट्रजन इस समय इंगलिस्तान में व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य और सरकारी नौकरी या अन्य पेशों में लगे हुये हैं । उपनिवेशों में और ग्रेट ब्रिटेन से निकट सम्बद्ध देशों में लगभग ५० लाख भारतीय हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : डोमीनियन की बात तो माननीय मंत्री ने स्पष्ट कर दी, पर उपनिवेशों में कोई विधि ब्रिटिश राज्य सचिव द्वारा प्रमाणित हुये बिना पारित नहीं हो सकती अतः उपनिवेशों में पारित होने वाली भेद-भाव पूर्ण विधियों के लिये इंगलिस्तान

प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है । अतः राष्ट्र-मंडल की धारणा में उपनिवेशवाद भी निहित है ।

पंडित जी० बी० पन्त : हम सब उपनिवेशवाद के विरुद्ध हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : फिर भी हम अपने विधानों में उसे मान्यता देते हैं ।

पंडित जी० बी० पन्त : हम उपनिवेशों का सर्पों की विद्यमानता के प्रति अपनी आंख बन्द नहीं कर सकते । यदि वे विद्यमान हैं, तो विद्यमान ही समझे जायेंगे । हमें यह विचार करना है कि इंगलिस्तान उपनिवेशों और अन्य स्थानों में रहने वाले उन असंख्यय भारतीयों को, जिन्हें हम अपने देश में वापस भी नहीं लाना चाहते हैं, क्या इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने से कोई लाभ पहुंचेगा, जो उनके लिये घातक और हमारे लिये भी कोई लाभ न पहुंचाने वाला है । इससे किसी वैध स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता, इससे नैतिक रवये पर प्रभाव पड़ सकता है । मैं समझता हूं कि इस बारे में अब किसी को कोई ग़लतफ़हमी न रहेगी ।

चर्चा के सिलसिले में जिस दूसरी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया गया था, उसका सम्बन्ध विस्थापित व्यक्तियों के पंजीयन से है । यह एक महत्वपूण बात है । अब कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि उनको इस प्रकार पंजीबद्ध किये बिना ही हम उनका नागरिकता का अधिकार मान लें । वास्तव में नागरिकता का अधिकार तो है ही । पर पंजीयन न होने से भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो जायेगी । संविधान बनते समय भी यह उपबन्ध निश्चित रूप में रखा गया था कि १९ जुलाई, १९४८ के बाद आने वाले सभी व्यक्तियों का पंजीयन किया जायेगा और उस पंजीयन के बाद ही उनको नागरिकता के विशेषाधिकार मिलेंगे : अतः पंजीयन आवश्यक है । मैं नहीं समझता कि विस्थापित व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी असुविधा होगी, क्योंकि वह पुनर्वास चाहेंगे और सहायता मांगेंगे और उनके पुनर्व्यवस्थापन और अन्य चीजों के लिये व्यवस्था करनी होगी । अतः उनमें से प्रत्येक को उसके लिये भी पंजीवद्ध होना पड़ेगा । ऐसी परिस्थितियों में नागरिकता का पंजीयन बहुत सहज सी बात है ।

पर इस बारे में एक प्रश्न और उठाया गया था । जहां तक नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का प्रश्न है, विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाना उचित है । आशा है, प्रश्न के इस पहलू पर संयुक्त समिति द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा । यद्यपि उनको पंजीबद्ध किया जायेगा, तथापि वे इस देश के अन्य नागरिकों से उनमें विशेष अन्तर नहीं है । यह कुछ राजनीतिक कारणों से हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है, जिसका वे शिकार बने हैं । अतः मैं चाहूंगा कि सम्भवतः पंजीबद्ध नागरिकों के दो वर्ग बनाये जायें : एक वे जो यहां विस्थापित व्यक्तियों के रूप में आये हैं और दूसरे जो पंजीबद्ध नागरिक हैं । उनको इस वंचित करने वाले खंड से बिलकुल मुक्त करना भी संभव हो सकेगा, जिससे पंजीबद्ध होने के बाद वे किसी विघ्न या बाधा के बिना नागरिकता के अधिकार का लाभ उठाते रहें । इस पर संयुक्त समिति को विचार करना होगा और मुझे आशा है कि समिति इस पर विचार करेगी ।

यह भी प्रस्ताव था कि वंचित करना एक न्यायिक कार्यवाही हो और एक प्रशासनिक कार्य न हो । माननीय सदस्यगण को शायद पता है कि यह खंड न केवल हमारे विधेयक में है, बल्कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम में है और कनाडा, आस्ट्रेलिया

[पंडित जी० बी० पन्त]

दक्षिण अफ्रीका और दूसरे स्थानों के अधिनियमों में भी है । अमरीका को छोड़ मेरी समझ से और किसी भी देश में इस प्रकार के मामले में न्यायिक कार्यवाही का उपबन्ध नहीं है । पर यहां आप देखेंगे कि इस खंड में ही कितनी सुरक्षायें रखी गयी हैं। पहले तो खंड उस शर्त पर आधारित है, जिस के फलस्वरूप नागरिकता के अधिकार का ही लोप हो जायेगा। परन्तु इस अनर्हता और दंड की व्यवस्था करने के बाद भी खंड में कहा गया है कि :

> "केन्द्रीय सरकार इस धारा के अन्तर्गत किसी को तब तक नागरिकता से वंचित न करेगी, जब तक उसे संतोष न हो कि इसमें सार्वजनिक भलाई नहीं है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहे । "

यदि कोई व्यक्ति इस दंड का भागी बनता है और नागरिकता से वंचित किये जाने योग्य है, तब भी उसको तब तक वंचित न किया जायेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार यह न समझ ले कि उसका नागरिक बना रहना देश के हित में हानिकर होगा। यह ऐसी शर्त है, जिसे न केवल अन्नागरिकों के बारे में बल्कि नागरिकों के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिये । यदि देश में उनका रहना देश के हित में बाधक होता है, तो उस पर अंकुश लगाना ही होगा। जिन व्यक्तियों ने देशीयकरण द्वारा या कुछ मामलों में पंजीयन द्वारा नागरिकता अर्जित की है, उन्हें यह विशेषाधिकार रियायत के रूप में दिया गया है । वे इस देश के सहज नागरिक नहीं है । उनको कुछ रियायतें दी गई हैं । यदि उनका आचरण ठीक नहीं रहता है, तो इसमें मुझे कुछ भी अनुचित नहीं दिखाई देता कि उनसे अपने लिये दूसरा स्थान चुनने के लिये क्यों न कहा जाये उनको उस स्थान पर बने रहने की कोई आवश्यक नहीं है, जहां उन को सुन्दर क्षेत्र नहीं मिला, वे अन्यत्र जाकर इसे खोज लें। मैं कोई कारण नहीं देखता कि इसमें कुछ आपत्ति क्यों होनी चाहिये ।

फिर यहां पर यह बताया गया है कि जहां कहीं कोई व्यक्ति इसके लिये मांग करे, एक समिति नियुक्त की जायेगी, जिसका सभापति एक न्यायिक पदाधिकारी होगा । इस प्रकार के मामलों में और क्या करना चाहिये ? अतः मुझे आशा है कि यह खंड स्वीकार कर लिया जायेगा ।

उस खंड का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि यदि यह पता चले कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात की है जो इस देश के भारत सरकार द्वारा प्रशासन के लिये हानिकारक है, तो उस व्यक्ति का यह विशेषाधिकार समाप्त हो जायेगा;

> (ख) कि नागरिक ने क्रिया या भावाभिव्यक्ति द्वारा अपने को भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अभक्त या वितुष्ट प्रदर्शित किया है ; "

मैं बता चुका हुं कि यह नागरिकता किसी व्यक्ति को अधिकार के कारण नहीं प्राप्त होती है । यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जो उसे दिया गया है । अतः यदि वह ऐसा आचरण अपनाता है जो प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों के मार्ग का रोड़ा बनता है, तो वह वह विशेषाधिकार खो देता है, जो उसे प्रत्यक्षतः इस शर्त पर दिया गया था कि वह केवल एक या दो बार ही नहीं अपितु निरनतर रूप से उचित आचरण करेगा । जब वह उस ढंग का आचरण करता है तो उस अधिकार को खो देता है । अन्य

देशों में भी ऐसा ही उपबंध है, और यद्यपि यह सम्भव है कि प्रयुक्त भाषा भिन्न हो, परन्तु उसका आशय यही है ।

विधेयक में जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार की प्राप्ति का उल्लेख है और यह इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कुछ निर्बन्धन खोजे जाने चाहियें तथा अभारतीय पिता अथवा माता से उत्पन्न व्यक्ति पर कुछ शर्तें लागू की जानी चाहियें ।

इस समय हम संसार में शान्ति के लिये कार्य कर रहे हैं । हमने अपने व्यवहार से संसार की समस्यायें के प्रति अपना और अपने देश के लिये सम्मान का स्थान बना लिया है । वर्तमान परिस्थितियों में इन मूल समस्याओं के सम्बन्ध में यह हमारे आचरण के अनुकूल होगा, यदि हम इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देते हैं । परन्तु यह केवल एक पवित्रता की भावना ही नहीं है जो मुझे ऐसा भाव व्यक्त करने का प्रोत्साहन देती है । अन्य देशों में हमारे नागरिकों की संख्या, यहां उन के देशों के नागरिकों की संख्या के अपेक्षा, अधिक है । संसार भर में हमारे लगभग ५० लाख व्यक्ति फैले हुये हैं । हमारी अभिरुचि यह है कि इस सम्बन्ध में समस्त देशों से उदार सम्बन्ध हों । अतः यदि हम कुछ व्यक्तियों को आश्रय देते हैं तो हम इससे अन्य देशों में अपने लाखों लोगों के लिये समान व्यवहार का नैतिक आधार बनाते हैं । अतः इस बारे में अपनी स्वार्थमय दृष्टि से भी, ऐसा उपबन्ध बनाना हमारे हित में है और लाभकारी है ।

उद्भव के आधार पर नागरिकता सम्बन्धी खंड के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं । यह खंड केवल पुरुष जाति या पिता की ओर को ही मान्यता देता है । अर्थात् अन्य देश में भारतीय पिता की सन्तान नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर सकती है । यह पूछा गया है यदि पिता अभारतीय हो तो माता को वह अधिकार क्यों न हो ? हम अपने देश में सदव पुरुष जाति के रूप में विचार करते हैं । प्रत्यक बात के प्रति हमारी यही दृष्टि रही है । अब हम अपनी उत्तराधिकार विधि में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों । परन्तु उन देशों में भी जहां ऐसी विधि विद्यमान है, यह अधिकार केवल पुरुशों को प्राप्त है । यह उपबन्ध हमने पूणतया अंग्रेजी राष्ट्रीयता अधिनियम से लिया है । उस देश में स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता है तथा हमारे देश में भी यह माता को सम्मान का उच्चतम स्थान प्राप्त है ।

श्री अशोक महता : हमारे संविधान के अनुच्छेद ५ (ख) का क्या हुआ ?

पंडित जी० बी० पन्त : संविधान के अनुच्छेद ५ का सम्बन्ध सदैव अधिवास से है । इस विधेयक में हमने सदैव रहने के स्थान की शर्त नहीं रखी है । यदि हम यह सम्मिलित करते हैं तो हम जिनको इस खंड के इस रूप में रहने से सम्मिलित कर रहे हैं । उनमें से भी अनेकों सम्मिलित न हो सकेंगे । दूसरी ओर इससे अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

दोहरी नागरिकता प्रणाली से जो पेचीदगियां उत्पन्न होती हैं उनका कई वक्ताओं ने स्मरण कराया है । ठीक है इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं । परन्तु इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं । हमें यह स्वीकार करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को भारतीय माना जाये और उन्हें हमारे देश के नागरिक होने का विशेषाधिकार प्राप्त हो । परन्तु यदि हम

[पंडित जी० बी० पन्त]

अभारतीय पिता, परन्तु भारतीय माता से उत्पन्न सन्तति को नागरिकता का अधिकार देते हैं तो हमें तीन गुनी या छः गुनी नागरिकता देने के लिये तैयार रहना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि कोई ब्राज़ील का नागरिक भारतीय स्त्री से विवाह करता है तथा उसके ही इंगलैंड में जाकर बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को तीन देशों की नागरिकता प्राप्त होगी अर्थात् ब्राज़ील, भारत तथा इंगलिस्तान की अतः मेरा ख्याल है कि हमने जो उपबन्ध रखा है उसका रखना ही ठीक है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या पूर्व इसके कि वह भारतीय दूसरे बच्चे को जन्म दे, वह अपनी राष्ट्रीयता का अन्तिम रूप से फैसला नहीं करेगा।

पंडित जी० बी० पन्त : ऐसा करने में वह किसी विधि के अधीन बाध्य नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : उसे किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त न होगी।

पंडित जी० बी० पन्त : जब तक वह परित्याग नहीं करता तब तक वह सारे देशों का नागरिक रहता है। मैं सम्मानपूर्वक श्री मोरे से पूछता हूं कि वह किस धारा का आधार अपनाये हुये हैं। आजकल न्यायाधीश यही करते हैं। अतः मैं इसे यहीं छोड़ता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : खंड ९।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं नहीं समझता कि आप की इस बारे में स्थिति ठीक है। उसका सम्बन्ध जन्म और वंशज होने के कारण मिलने वाली नागरिकता से है।

इस विधेयक के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों की पत्नियां, चाहे वे अभारतीय हों, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि स्त्रियों को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि नागरिकता के मामलों में वे अपने पतियों से मुक्त न समझी जायें। ठीक, ऐसा बन्धन नहीं है। स्त्री को अधिकार है कि वह नागरिकता की प्रार्थना करे या न करे। यदि वह भारतीय नागरिकता के लिये प्रार्थना नहीं करती तो ऐसा करने के लिये वह बाध्य नहीं है। उन्हें पति पत्नी होते हुये भी दो विभिन्न राष्ट्रों का प्रतिष्ठित रखने का अधिकार है।

एक यह भी सुझाव था कि जिस प्रकार स्त्रियां भारतीय नागरिकों से विवाह करने के पश्चात् अपने को भारतीय नागरिक पंजीबद्ध करा सकती हैं उसी प्रकार विदेशी पुरुष को भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह किसी भारतीय स्त्री से विवाह करने के पश्चात् अपने को भारतीय नागरिक पंजीबद्ध करा सके। इससे उसी प्रकार की भयंकरता उत्पन्न होगी जिसका मैं पहिले उल्लेख कर चुका हूं और ऐसे सम्बन्धों को सीमित करना ही ठीक है। वे बहुत कम है और यह अच्छा है कि लोगों को दूरवर्ती देशों की ओर खींचने की अपेक्षा चाहे उन्हें वहां अधिकार जान पड़े या प्रकाश प्रतीत हो, अपने अपने सम्बन्ध रखने दिया जाये। उत्तम यह है कि हम अपने लोगों की संगति रखे और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करें। अतः इन बातों को निरुत्साहित करना अच्छा है।

एक यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति ध्वजा का अपमान करता है उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाये। मैं आशा करेता हूं कि कोई व्यक्ति इतना शरीर और मूर्ख न होगा कि वह इतना पतनकारी कार्य करे। हम अपने नागरिकों की सद्भावनाओं पर विश्वास कर सकते हैं।

ऐसा कहते मुझे याद है कि हाल में ही दक्षिण में एक दल विशेष के एक बहुत प्रगतिशील विचारों वाले नेता ने कुछ घोषणायें की थीं या भावनायें व्यक्त की थीं, जिन्होंने ध्वजा के सम्मान, गौरव और उच्च पवित्रता को ठेस पहुंचाई है। परन्तु उन्होंने हाल में ही यह महसूस कर लिया कि उन्होंने जो भी किया है वह बहुत ही भद्दा और बुरा कार्य था। अतः मैं आशा करता हूं कि कोई भी अन्य व्यक्ति कभी भी ऐसे बुरे कार्य का विचार न करेगा और अपने लोगों की सद्भावनाओं पर विश्वास करते हुये हमें यह मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

कुछेक बातें अन्य क्षेत्रों के सम्मिलित किये जाने में कहीं गई थीं। और उस सम्बन्ध में चन्द्रनगर और पांडिचेरी का उल्लेख किया गया था। मैं नहीं समझता कि खंड में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि एक अधिनियम पहिले ही पारित किया जा चुका है जिसके कारण इन दो फ्रांसीसी बस्तियों के लोग भारत के नागरिक होंगे। उनमें केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अपनी फ्रांसीसी राष्ट्रीयता रखना चाहते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वे स्वयं ही नागरिक क्यों नहीं बनते और वे प्रशासी कार्यवाही द्वारा अधिसूचना की प्रतीक्षा क्यों करें?

पंडित जो० बो० पन्त : जब तक इन बस्तियों का विधिसिद्ध हस्तान्तरण भारत को नहीं होता है, तब तक नागरिकता का कोई वैध रूप नहीं हो सकता। वे आज भी सत्तासिद्ध नागरिक हैं परन्तु अभी विधि-सिद्ध हस्तान्तरण प्राप्त करने में हमें कदाचित कुछ सप्ताह या मास प्रतीक्षा करनी होगी। तब वे स्वतः ही भारत के नागरिक हो जायेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हस्तान्तरण पूर्ण होने पर क्या वे तुरन्त और स्वतः ही नागरिक बन जायेंगे?

पंडित जो० बो० पन्त : वह अधिनियम मेरे समक्ष नहीं है। अतः, मैं श्रीमती चक्रवर्ती का ध्यान उस अधिनियम की ओर आकर्षित करता हूं और फिर यदि कोई कठिनाई होगी तो उनके साथ मैं उस पर ध्यान दूंगा और देखूंगा कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है?

मैं ने मुख्य बातों का उल्लेख करने का प्रयत्न किया है। छोटी छोटी बातों का उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि यह विधेयक अच्छा बनाया गया है और इससे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी जिसके कारण बनाने वालों ने इसे यह रूप दिया है। आजकल हम जो भी कर रहे हैं उसका बड़ा महत्व है। पराधीनता तो कुछ काल पूर्व समाप्त हो गई थी परन्तु अब भी हम और हमारे समाज को नागरिकता के पूर्ण रूप में विकसित होना है। इस विधेयक से हम यही प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति प्रत्येक खंड पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन औपचारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इसे वापस लेना चाहते हैं।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से

[उपाध्यक्ष महोदय]

बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य इस सभा के, अर्थात्, श्री कोटा रघुरामैया, श्री पी० टी० थानू पिल्ले, श्री के० जी० वोड़-मार, श्री के० टी० अच्यूतन, श्री अहमद मुहीउद्दीन, श्री निवारण चन्त्र लाश्कर, श्री सुरेन्द्र मोहन घोष, श्री टी० संगण्णा, पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री रघुवर दयाल मिश्र, श्री लोटन राम, श्री राजे-श्वर पटेल, श्री लीलाधर जोशी, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री बीर किशोर रे, श्रीमती अनुसूआ बाई काले, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री माणिक लाल वर्मा, श्री रंजीत सिंह, डा० राम सुभग सिंह, श्री आनन्द चन्द, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, श्री मंगलगिरि नानादास. श्री सारंगधर दास, श्री हरि विष्णु कामत, श्री पी० एन० राजभोज, डा० लंका सुन्दरम, श्री रघुबीर सहाय, श्री उमाचरण पटनायक और श्री बलवन्त नागेश दातार, और १५ सदस्य राज्य सभा के हैं,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी,

कि समिति इस सभा को, १६ नवम्बर, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी,

कि अन्य प्रकरणों में प्रवर समिति पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे, और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५०, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक छोटा है और इसका उद्देश्य २१ जून, १९५५ को प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेना है । इसका उद्देश्य औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा २२ और २३ के अधीन प्रार्थनापत्रों पर शीघ्र निश्चय लेना विश्वास-नीय बनाना है । जून, १९५५ के अन्त में १६०० अधिक ऐसे प्रार्थनापत्र अपीलीय न्यायाधिकरण में अनिश्चित पड़े हुये थे । यद्यपि प्रति मास प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थनापत्रों की संख्या लगभग १०० है, निश्चय केवल ८० से ८५ तक प्रार्थनापत्रों का ही होता है । विद्यमान विधि के अधीन प्रत्येक प्रार्थनापत्र की सुनवाई बैंच या कम से कम दो न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण द्वारा होती है । प्रार्थनापत्र प्रायः व्यक्ति गत प्रकार के होते हैं और उनका सम्बन्ध कर्मचारियों को कार्य से हटाने अथवा अपील कार्यवाही के अनिश्चित पड़े रहने के काल में उनकी काम करने की शर्तों में कुछ अनधि-कृत परिवर्तन करने से होता है । वास्तव में मामले इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि अपीलीय

न्यायाधिकरण के दो न्यायाधीश उन पर विचार करे । मेरा ख्याल है कि न्यायाधीश इन पर जितना समय लगाते हैं वह उचित अपीलों की सुनवाई करने में लगाया जाये तो अधिक लाभ होगा । इस प्रकार यह मितव्ययिता और विभिन्न मामलों के बारे में शीघ्र निश्चय करने के हित में है कि अपीलीय न्यायाधिकार और एक सदस्य के औद्योगिक न्यायाधिकार को ऐसे प्रार्थनापत्रों का शीघ्र निश्चय करने का अधिकार होना चाहिये । आशा है कि इस प्रबन्ध से अनिश्चित प्रार्थनापत्रों और अपीलों दोनों की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा और उसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध मज़दूरों को शीघ्र न्याय प्राप्त होना विश्वस्त होगा । इस बात से आप सहमत होंगे कि औद्योगिक विवादों में यह औद्योगिक शान्ति के अधिक हित में है कि न्यायाधिकरण में निश्चय यथाशीघ्र हो सकें । विधेयक का यही उद्देश्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : जहां पर इस विधेयक का धारा २२ और २३ के अधीन मामलों के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब को दूर करने से सम्बन्ध है, यह एक स्वागत के लायक विधेयक है । क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध अपील कार्यवाहियों के अनिश्चित पड़े रहने के काल में काम करने की शर्तों से है, यह प्रत्येक स्थान के मज़दूरों को प्रभावित करता है । हमारा यह अनुभव है कि मामलों के अनिश्चित रहने के काल में काम करने की शर्तों में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और मज़दूरों को बहुत हानि उठानी पड़ती है । अतः इस उपबन्ध से मज़दूरों की कम से कम एक समस्या का तो समाधान हो जायेगा । परन्तु इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है ऐसे मामलों का निश्चय करने में न्याय होना भी विश्वासनीय बनाया जाये । अधिनियम की धारा २२ में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । अधिनियम में यह उल्लेख है कि यदि मालिक काम करने की शर्तों में कुछ परिवर्तन करता है तो वह परिवर्तन करने के पूर्व न्यायाधिकरण से इसके लिये लिखित अनुमति लेगा । पश्चिमी बंगाल के न्यायाधिकरण का मुझे अनुभव है प्रायः मामलों का निश्चय करने में मज़दूरों को न्यायाधिकरण में बुलाकर उनका मत नहीं लिया जाता है । अन्य राज्यों के विषय में तो मैं नहीं कह सकता । अतः मैं ने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि अधिनियम में एक परन्तुक जोड़ दिया जाये कि ऐसे समस्त मामलों का निश्चय दोनों पक्षों का जान कर किया जायेगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

श्री आबिद अली : यह बंगाल न्यायाधिकरण में होता है या अपीलीय न्यायाधिकरण में ?

श्री तुषार चटर्जी : मैं नहीं जानता कि अपीलीय न्यायाधिकरण में क्या होता है ।

श्री आबिद अली : इस विधेयक का सम्बन्ध अपीलीय न्यायाधिकरण से है ।

श्री तुषार चटर्जी : यदि यह छोटे न्यायाधिकरण में होता है तो व्यक्ति विचार कर सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण में भी होता होगा ।

इसके अतिरिक्त एक और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल धारा २२ और

[श्री तुषार चटर्जी]

२३ के अधीन मामलों का ही शीघ्र न हो अपितु मज़दूरों की मांग यह है कि न्यायाधिकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ही शीघ्र होनी चाहिये ।

यह प्रश्न इसलिये उठाया गया क्योंकि कर्मचारियों का अनुभव इस प्रकार का है कि झगड़े न्यायाधिकरण के सम्मुख लम्बित रहते हैं तथा इसी अवधि में उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है । तथा इसी प्रकार की अन्य कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं । कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं । कर्मचारी अपने हित का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । इस प्रकार न्यायाधिकरण से कर्मचारियों को बड़े संभल कर चलना पड़ता है तथा दूसरी ओर मालिकों को भी कर्मचारियों को तंग करने का अवसर मिल जाता है ।

कर्मचारियों की सब से बड़ी शिकायत यह है कि न्यायाधिकरण बड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है । तथा इसी कारण मालिकों को कर्मचारियों को तंग करने का अवसर मिल जाता है ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को हटाने अथवा जारी रखने का प्रश्न उपस्थित है तब इससे वृहत् विधेयक क्यों न प्रस्तुत किया जाये । श्रम झगड़ों के कारण कुछ मामलों में ऐसा भी सम्भव है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, छोटे न्यायाधिकरण के पंचाटों को समाप्त कर दें । मुझे ज्ञात हुआ है कि बम्बई में सभी ट्रेड यूनियन संस्थाओं तथा वकीलों ने यह निश्चित किया है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया जाये । त्रिदलीय समिति में भी यही निश्चित किया गया कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया जाये । क्योंकि अधिकतर मालिक ही श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में जाते हैं तथा ऐसा अनुभव किया गया है कि यह न्यायाधिकरण सर्वदा ही छोटे न्यायाधिकरण के पंचाटों को नष्ट कर देता है । मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार भी इस प्रश्न पर विचार कर रही है तथा इसी कारण, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इतना व्यापक विधेयक क्यों न प्रस्तुत करें जिससे यह समस्या सुलझ जाये तथा श्रम भी सन्तुष्ट हो जाये ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, यह जो अमेंडमेंट बिल यहां पर पेश किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि सारे देश में आजकल मज़दूरों और मालिकों का आपस का झगड़ा बढ़ता जा रहा है और उसके लिये जो इस्ट्रूमेंट और जो मशीनरी पैदा की गई है, वह इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और एपैलेट ट्रिब्यूनल है और पिछले पांच, छै साल का तजुर्बा हमें बतलाता है और हम देख रहे हैं कि मज़दूरों का इन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर से विश्वास उठ सा गया है । उनको बिलकुल विश्वास नहीं रहा और इसके कई कारण हैं ।

उनको अपने केस को अच्छी तरह से पेश करने का सिर्फ़ मौक़ा ही नहीं मिलता बल्कि वहां उनके केस का फ़ैसला होने में बहुत लम्बा अर्सा लगता है । इसलिये लोगों में उनके प्रति न विश्वास रहा, न भरोसा रहा और न सब्र ही रहा कि इतना लम्बा केस चलने दिया जाय । मैं मानता हूं कि यह जो बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है उससे कुछ फायदा है लेकिन इसके अलावा हमें इसकी बुनियादी चीज़ों पर जाने की आवश्यकता है । सब से पहली चीज़ यही है जो कि ट्रिब्यूनल के सामने जाती है, वा एपेलट ट्रिब्यूनल के सामने जाती है, उसके फ़ैसले के लिये कोई टाइम मुक़र्रर होना ही

चाहिये कि उस अवधि के भीतर फैसला हो जाना चाहिये । आज के दिन हम देखते हैं कि इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्सेज़ में भी टाइम शेड्यूल कर दिया है क्योंकि सब्र किसी में नहीं रहा और कई कारण ऐसे आ जाते हैं कि उन में दखल देते हैं । मज़दूर सब से ज्यादा पिसी हुई जाति है और उनकी तक़लीफ़ सब से ज्यादा है । इस मामले में मैं सिर्फ़ मज़दूरों की ही बात नहीं कहता । मालिक भी परेशान हैं । ट्रिब्यूनल्स एक तरफ़ा चीज़ नहीं हैं क्योंकि यह बताया गया है कि मज़दूरों को इसके दरमियान बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि क़ानून उनको कोई चीज़ करने की इजाज़त नहीं देता, यह सच्ची बात है लेकिन इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि मालिकों को भी बहुत सहूलियतें नहीं हैं । उनके ऊपर भी पाबन्दियां हैं और उस प्रकार का अंधाधुंध जैसा पहले किया करते थे आज नहीं कर सकते, मज़दूरों को विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते, काम से नहीं निकाल सकते जब तक कि ट्रिब्यूनल उसकी इजाज़त न दे । इसलिये यह दिक्कत दोनों तरफ़ है, लेकिन कुछ भी हो, बहुत सी चीज़ों में लोग आज़कल बंटे हुये हैं, ख़ास तौर से मज़दूर उनके सवालों का जल्दी निबटारा होना चाहिये । उसके लिये कुछ बुनियादी चीज़ों पर सोचने की आवश्यकता है, ताहम यह बिल चूंकि थोड़ी हद तक गरीब मजदूरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, इसलिये हम उसको सपोर्ट करते हैं । इसके अमल में न आने पर ही हमको पता लगेगा कि कहां तक इसमें हमको कामयाबी हुई और इस अमेंडमेंट बिल का मक़सद पूरा हुआ है ।

पहले जो ट्रिब्यूनल्स क़ायम किये गये, उस वक्त बहुत ख़ुशी का इज़हार किया गया लेकिन जब उनको हमने अमल में आते देखा तो हमारी वह सारी ख़ुशियां ख़त्म हो गईं।

संशोधन विधेयक

सब से बड़ी दिक्क़त इसमें मुझे यह है कि इसके ज़रिये कोई जल्दी फ़ैसला होता ही नहीं है और देर के अलावा और इसमें बहुत परेशानियां होती हैं और ख़ास करके जब छोटी छोटी बातों के लिये ट्रिब्युनल में जाना पड़ता है तो उस में बहुत परेशानियां का सामना करना होता है । हां, कोई ख़ास फंडामेंटल चीज़ हो पालिसी के ऊपर या कुछ जनरल प्राबल्म्स् हो जो कि तमाम इन्डस्ट्रीज़ के मज़दूरों पर असर डालने वाली हों, तो उनके फ़ैसले के लिये आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और अगर वहां पर फ़ैसला होने में थोड़ा टाइम भी लग जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है । छोटी चीज़ों के लिये भी जब उनको वहां जाना पड़े और जब उसमें बहुत देरी हो तो बहुत परेशानी होती है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि फ़ैसले के लिये अगर कोई टाइम लिमिट रख सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से लोगों को जस्टिस भी जल्दी मिल जाया करेगी और लोगों में उससे तसल्ली भी जल्दी हो सकती है । मैं समझता हूं कि इन ट्रिब्यूनल्स के कारण ही तमाम हमारे मज़दूरों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है । असन्तोष आज आप जानते हैं चारों तरफ़ फैल रहा है, असन्तोष को फैलाने वाले और मज़दूरों को भड़काने वाले आज हमारे बीच में मौजूद हैं । ज्यादा से ज्यादा लोगों को भड़का कर मिसलीड करने वाली कई पार्टियां हैं, वह सब तो हैं लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब कोई इन्साफ़ लेने के वास्ते ट्रिब्युनल के पास जाय तो उसको वहां पर जल्दी इन्साफ़ मिलना चाहिये । अगर वह नहीं मिलेगा तो यह जो असंतोष बढ़ाने वाले हैं, उनके भी हाथ मज़बूत हो जाते हैं ।

मैं इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं और टाइम लिमिट के बारे में अगर इसमें कोई प्राविज़न रख सकें तो ज्यादा अच्छा

[श्री सी० के० नायर]

होगा । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्य को शीघ्रता से निपटाने की व्यवस्था कर रहे हैं । हम जानते हैं कि जब कोई मामला इन न्यायाधिकरणों में लम्बित होता है तब मालिक वर्ग सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है । है । दूसरी ओर कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते । परन्तु सदैव होता इस के विपरीत है । तथा इसी कारण याचिकायें बढ़ती जाती हैं और इनको निबटाना असम्भव हो जाता है ।

मेरे मित्र अभी कुछ बंगाल के उदाहरण दे रहे थे । वहां पर दो दलों के झगड़ों को निबटाने के लिये इन न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी । परन्तु इन न्यायाधिकरणों ने जिस प्रकार कार्य किया उस से साफ पता चलता है, तथा श्रम मंत्रालय पूर्णतया जानती है कि इन न्यायाधिकरणों ने झगड़ों को निबटाने के स्थान पर, इनकी वृद्धि की है । १९४८ में यह निश्चित किया गया था कि उद्योग में शान्ति बनी रहनी चाहिये तथा इसी कारण श्रमिकों ने हड़ताल न करके, समझौते के मार्ग को अपनाया परन्तु समझौता होने में पांच अथवा सात वर्ष लगते हैं । आप जानते हैं कि एक समझौता केवल एक वर्ष के लिये लागू होता है तथा प्रगतिशील देशों में ऐसा अनुभव किया गया है कि झगड़ा सदा के लिये निबटाया नहीं जा सकता है क्योंकि मज़दूरों तथा मालिकों का ठेका भी केवल एक वर्ष तक के लिये ही होता है । इसलिये यदि यह फैसले छः, अथवा सात वर्षों में निबटाये जायेंगे तब यह कहना ही पड़ेगा कि यह व्यवस्था असफल रही । जब यह व्यवस्था असफल रही जब हम इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करना चाहिये जो पूर्ण हो । जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि बम्बई में कई संस्थाओं ने यह मांग की है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का अन्त कर दिया जाये । यह केवल इसी कारण से हुआ क्योंकि वह श्रम समस्या को नहीं समझ पाये । श्री जगजीवन राम ने जब इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया था तभी यह सुझाव रखा गया था कि न्यायाधिकरण इस प्रकार का होना चाहिये जिसके सदस्य प्रशिक्षित हों । मैं नहीं जानता सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है । यह कहा जाता है कि मिल मालिक सरकार पर प्रभाव डाल रहे हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण का अन्त न किया जाये ।

सभापति महोदय : यह विधेयक केवल लम्बित अपीलों के सम्बन्ध में है अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह विधेयक के विषय से बाहर न बोलें ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं केवल यही बताना चाहता था कि देश अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त करना चाहता है तथा सरकार का भी ऐसा विश्वास बन चुका है । मैं सरकार से यह जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि उसने स्वयं न्यायाधिकरण के समाप्त कर देने के सम्बन्ध में ही कोई विधेयक क्यों प्रस्तुत नहीं किया ।

सभापति महोदय : यही तो आपत्ति है । प्रश्न केवल धारा २२ का है । इसलिये हमें इसकी सीमा में ही रहना चाहिये । मैं ने माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बोलने दिया है तथा अब प्रार्थना करता हूं कि वह अपने को धारा २२ तक सीमित रखें ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस प्रकार हमें पता लगता है कि यदि सरकार इस न्याया-

धिकरण का अंत करना चाहती तो वह केवल धारा २२ तथा २३ का संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत नहीं करती । इस विधेयक के पारित हो जाने से भी श्रमिकों को संतोष नहीं होगा । तथा इस प्रकार सरकार अपनी नीति को स्वयं ही असफल बना रही है । मुझे बताया गया था कि पिछले मास में उत्पादन लक्ष्य १६५ रखा गया था तथा यह तभी सम्भव हो सकता है जब श्रमिकों तथा मिल मालिकों में झगड़े न हों । तथा इसका प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये । परन्तु सरकार इस कार्य में इसलिये असफल रही क्योंकि उन्होंने ठीक न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं किया । एक वर्ष के पश्चात् तो दोनों दल स्वयं अपने झगड़े निबटा सकते हैं । वर्तमान समाज गति की ओर बढ़ रहा है इसलिये हमें भी गतिपूर्णता से या शीघ्रता से उनके झगड़ों को निबटा देना चाहिये ।

जब हमने अपने समाज की व्यवस्था को सामाजिक ढंग से चलाने का संकल्प पारित किया था तो उस समय यह आशा की गई थी कि कई श्रम विधान बनाये जायेंगे । परन्तु उस कार्यक्रम को लागू करने के लिये कोई विधान अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है । संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड ने यह निश्चय किया था कि किस प्रकार श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का अन्त किया जाये तथा धारा २२ तथा २३ का संशोधन किया जाये । परन्तु अभी तक इस प्रकार का कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसी कारण हमारा मत है कि सरकार पर मिल मालिकों का बड़ा प्रभाव है ।

आज कल 'कर्मचारी' शब्द की ठीक परिभाषा की बड़ी आवश्यकता है । मुझे बंगाल तथा आसाम से एक तार मिला है जिसके द्वारा सूचना मिली है कि बागानों में काम करने वाले डाक्टर श्रमिकों में नहीं गिने जायगे । इससे बड़ी गड़बड़ी की सम्भावना है तथा मुझे ज्ञात हुआ है कि डाक्टरों का प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास आ रहा है । इसलिये श्रमिकों की परिभाषा का संशोधन करना अत्यावश्यक कार्य है ।

इसके अतिरिक्त हम श्रम मंत्री का ध्यान उनके वायदे की ओर दिलाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि औद्योगिक सम्बन्धों का विधान वह शीघ्र प्रस्तुत करने वाले हैं । परन्तु उन्होंने उसको भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिये सभी कर्मचारी संस्थाओं की ऐसी सम्मति है कि श्रम विधानों को रोका जा रहा है तथा उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है । हमें आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी तथा विधान को इस प्रकार टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत न करके पूर्ण-रूपेण प्रस्तुत करेगी ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : मैं अपने पूर्व वक्ता की सभी बातों का पूर्ण समर्थन करते हुये आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि श्रम समस्याओं का कितने धीरे धीरे विकास किया गया है । १९२२ में बम्बई सरकार ने श्रम विवाद समिति बनाई तथा १९२३-२४ में सरकार ने एक विधयक प्रस्तुत किया । केन्द्रीय सरकार ने उस समय यह कहा था कि यह एक केन्द्रीय विषय है तथा उन्होंने १९२९ में पहला औद्योगिक अधिनियम बनाया । वह अधिनियम त्रुटियों से भरपूर था तथा उसका संशोधन १८ वर्ष पश्चात् १९४७ में किया गया । तत्पश्चात् १९५० में एक प्रवर समिति ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये तथा औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० बना । परन्तु यह भी असफल रहा तथा अब औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) विधेयक, १९५५ प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि एक त्रुटिपूर्ण विधि बन जाने पर, उसका परिवर्तन करने के लिये इतना अधिक समय

[डा० जयसूर्य]

लगता है । इस लिये हमें इसको भी देखना है कि इससे श्रमिकों को कुछ लाभ होगा अथवा नहीं यदि यह इतना अच्छा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार इस छोटे से संशोधन से मूलभूत कठिनाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा । श्रम-समस्यायें शनैः शनैः पूंजीभूत हो रही हैं । भिन्न भिन्न न्यायालयों ने भिन्न भिन्न मत एवं निर्णय प्रकट किये हैं और यह सम्भव नहीं है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई दण्डाधीश उक्त सब निर्णयों से भिज्ञ हो । इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से—इस प्रकार का कोई उपबन्ध विधेयक में समाहत है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सर्व प्रथम, औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरणों में ऐसे न्यायनिर्णयक हों जो प्रशिक्षित होने के साथ ही औद्योगिक विवाद की समस्याओं और उनके कारणों से परिचित हों । आज मालिक और मज़दूर का संघर्ष समानता पर आधारित नहीं है । मालिक अपनी ओर से बड़ा से बड़ा वकील खड़ा कर सकता है किन्तु मज़दूर में इतनी सामर्थ्य नहीं है । प्रायः मामलों को स्थगित कर दिया जाता है और कई मर्तबा यह विवाद पांच-छः अथवा सात वर्ष तक चलता रहता है । इतने लम्बे समय तक निर्णय न हो सकने के कारण अत्यधिक शक्ति सम्पन्न मज़दूर संघ भी वित्तीय दृष्टि से क्षत-विक्षत हो जाता है । अतः कोई व्यक्ति पुनः न्यायाधिकरण का आश्रय नहीं लेना चाहता है । प्रस्तुत संशोधन को सार्थक बनाने के लिये सम्पूर्ण जानकारी से युक्त एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक वर्ग आवश्यक है । देश में औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप जो सामजिक परिवर्तन हो रहे हैं । अतः हमें विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित दंडाधीशों के एक वर्ग की रचना करनी होगी । दूसरे, औद्योगीकरण न्यायाधिकरण में बहस के लिये सदा ही वकील नहीं होने चाहियें ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपीलीय न्यायाधिकरणों की रचना एवं विधान की चर्चा कर रहे हैं । यह विषय अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत है किन्तु हम धारा ५ में संशोधन नहीं कर रहे हैं । अपीलीय न्यायाधिकरण के विधान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

डा० जयसूर्य : यदि आपकी अनुमति हुई तो मैं निस्सन्देह ऐसा करूंगा । मैं तो यह संकेत कर रहा था कि कोरा संशोधन शून्य के समान है ।

श्री आर० आर० शास्त्री (ज़िला कानपुर—मध्य) : जो विधेयक इस समय सदन के सामने पेश है, मैं उसका स्वागत करता हूं । वास्तव में इस समय एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने मज़दूरों के सैंकड़ों और हज़ारों केसेज इकट्ठे हो गये हैं, जिस की वजह से मज़दूर बहुत ज्यादा परेशान हैं । उस खराबी को दूर करने के उद्देश्य से यह बिल हमारे सामने पेश किया गया है । जितने भी माननीय सदस्यों ने अभी तक भाषण दिये हैं, क़रीब क़रीब उन सब ने इसका समर्थन किया है । इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सही काम तो किया है, लेकिन वह गलत तरीक़े से किया है और वह तरीक़ा यह है कि इस बिल को पेश करने से पहले एक आर्डिनेन्स पास किया गया और यह कह कर किया गया कि एक बहुत बड़ी एमर्जेन्सी आ गई है और उस एमर्जेन्सी का मुक़ाबला करने के लिये राष्ट्रपति को एक आर्डिनेन्स पास करना पड़ा है । अप्रैल और मई के महीने

में इस सदन की कार्यवाही बराबर हो रही थी और जुलाई के महीने से सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने वाली थी । इसी बीच में यह ख़बर आई कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने इतने ज़्यादा केसेज़ इकट्ठे हो गये हैं—इतनी ज्यादा मुसीबत इकट्ठी हो गई है—कि उसके लिये राष्ट्रपति को आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा है । श्रीमान् जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ मुसीबतें तो ऐसी होती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, और अचानक आ जाती हैं, और उनका मुक़ाबला करने के लिये आर्डिनेन्स को पास करने की ज़रूरत होती है । लेकिन कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं, जो कि पहले से मालूम हो सकती हैं । मैं कह सकता हूं कि इस वक्त एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इतने ज्यादा केसेज़ इकट्ठे हो गये हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको गवर्नमेंट पहले से देख नहीं सकती थी । इसलिये मैं समझता हूं कि "एमर्जेन्सी" और "आर्डिनेन्स" ऐसे शब्द होने चाहिये, कि इनका जिस वक्त प्रयोग हो—जिस वक्त डिक्लेरेशन हो कि हिन्दुस्तान में एमर्जेन्सी आ गई है और राष्ट्रपति को आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा है, उस वक्त पब्लिक को यह महसूस होना चाहिये कि कोई बहुत बड़ी आफ़त आ गई है । एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने सैकड़ों केसेज़ सालों से इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन अचानक गवर्नमेंट को ख्याल आया कि इसके लिये एक आर्डिनेन्स पास किया जाय । इस बात को मैं नामुनासिब समझता हूं कि ऐसे कामों के लिये इस तरीक़े से आर्डिनेन्स का सहारा लिया जाय । मैं उम्मीद करता हूं कि आईन्दा गवर्नमेंट के लोगों को यह जानकारी होनी चाहिये और यह ख्याल होना चाहिये कि हमारे क़ानून में क्या डिफ़ेक्ट है और उसके कारण क्या मुसीबत आने वाली है ।

संशोधन विधेयक

जैसा कि अभी सदन का ध्यान दिलाया गया है, दफा २२ इसलिये पेश की गई थी कि जिस वक्त मालिक और मज़दूरों का कोई मसला अदालत के ज़रिये हल हो रहा हो, उस वक्त मालिकों को यह अधिकार नहीं है कि मज़दूरों के काम करने की शर्तों में कोई फ़र्क करें या उसकी वजह से मज़दूरों को पनिशमेंट दें । लेकिन जैसा कि अक्सर हिन्दुस्तान में होता है, क़ानून के होते हुये, यह जानते हुये कि क़ानून के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, मालिकान मज़दूरों को केवल परेशान करने के लिये बर्ख़ास्त कर देते हैं या काम की शर्तों में परिवर्तन कर देते हैं और फिर वे समझते हैं कि मामला एपेलेट ट्रिब्यूनल तक जायगा, उसमें काफ़ी समय लग जायगा और इतने ज़माने तक हम मज़दूर को परेशान कर देंगे, यह उसके लिये काफ़ी सज़ा होगी । और इसी लिये दफ़ा २३ दी गयी है कि अगर मालिक मज़दूर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई दफ़ा २२ में करता है तो मज़दूर दफ़ा २३ में ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित कर सकता है कि मालिक ने यह काम क़ानून के ख़िलाफ़ किया है और उसकी सुनवाई होती है । इसी तरह के सैकड़ों और हज़ारों केसेज़ इकट्ठे हो गये हैं । उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि जो केसेज़ इकट्ठे हुये हैं उन में से ४० या ५० फी सैकड़ा इसी तरह के हैं । अगर आप साल भर पहले यह विधेयक लाये होते तो आपने सैकड़ों हज़ारों मज़दूरों के साथ इन्साफ किया होता । आपने इतनी देरी की, यह ग़लती की । लेकिन हुकूमत को देर में भी होश आया यह भी अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर कोई ग़लती देर से भी ठीक कर दी जाय तो ठीक ही है । कहना यही है कि आईन्दा के लिये इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिये ।

अब सोचने वाली बात यह है कि इतने केसेज़ क्यों इकट्ठे हो गये । इसका

[श्री आर० आर० शास्त्री]

एक मुख्य कारण तो यह है कि जो कायदे हैं वे खराब हैं । अगर ऐसे कायदे हों कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो और वह नीचे ही तै हो जाय तो अदालत तक इन केसेज़ को ले जाने की ज़रूरत ही न रहे । पहले क़ानून के मुताबिक़ सारे उद्योगों में वर्क्स कमेटियां थीं जिनमें मालिकों और मज़दूरों दोनों के प्रतिनिधि होते थे और जो आपस में बैठ कर मसलों को तै कर लेती थीं । हमारे प्रान्त में सैकड़ों केसेज़ इन वर्क्स कमेटियों में हल हो जाया करते थे । तब इस तरह के केसेज़ को ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी । लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक सदन को यह नहीं बतलाया कि यह वर्क्स कमेटियां जो कि इतनी आवश्यक थीं, क्यों खत्म कर दी गयीं । अब कोई ऐसा तरीक़ा नहीं रह गया है जिससे कि मालिक और मज़दूर आपस में बैठकर अपने मसलों को हल कर सकें । गवर्नमेंट भी इस बात को मानेगी कि जब मज़दूर और मालिक आपस में बैठकर अपने झगड़ों को तै करते हैं तो उनके आपसी सम्बन्ध अच्छे रहते हैं । जब वे लोग अदालती कार्रवाई करते हैं तो उन को अपना केस जीतने की फ़िक्र रहती है, और उस हालत में उनके आपसी ताल्लुक़ात अच्छे नहीं रहते । आजकल जो तरीक़ा अख्तियार किया गया है इससे यह नतीजा हो रहा है कि मज़दूर आन्दोलन की जैसी नींव पड़नी चाहिये थी वह नहीं पड़ रही है और मज़दूर आन्दोलन पर कुठाराघात हो रहा है । यह जो अदालत का तरीक़ा पेश किया गया है इससे एक तो मज़दूर आन्दोलन की जड़ कटती है और दूसरे मज़दूरों और मालिकों के सम्बन्ध खराब होते चले जा रहे हैं । जो बीज बोया गया था उसका आज नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है । । हम इसके लिये किसको ज़िम्मेदार ठहरायें । यह जो इलाज किया जा रहा है यह कुछ हद तक ठीक है मगर इससे यह बीमारी दूर नहीं हो सकती । इसका सही इलाज यही है कि वर्क्स कमेटियों को बनाया जाय जिनमें मालिक और मज़दूर आपस में बैठकर अपने मसलों को हल कर लें । ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह का बिल लाया जाय कि जिससे ट्रेड यूनियन्स का रिकागनीशन हो सके, जिससे मज़दूर यूनियनों को मान्यता दी जाय, जिसके जरिये मालिकों को मजबूर किया जाय कि वे मज़दूरों के साथ बैठ कर आपस में अपने मसलों को हल कर । तभी हम आगे बढ़ सकते हैं ।

साथ ही साथ जो आपने अदालत का तरीक़ा अख्तियार किया है इसमें ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने केसेज़ जाते हैं । एक तो उनमें देरी बहुत लगती है । दूसरे मज़दूर इतना खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकता । मालिक लोग अच्छे अच्छे वकील ले जाते हैं और हज़ारों रुपया खर्च कर सकते हैं । मज़दूर इतना खर्च नहीं कर सकता । देखने में तो क़ानून मज़दूर और मालिक दोनों के लिये अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जो तरीक़ा अख्तियार किया गया है उसमें मालिक को तो फायदा होता है पर मज़दूर को नुक़सान होता है । इसलिये इस सदन में दफ़ा २२ और २३ पर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि ऐसा क़ानून बनाया जाय कि जिससे हिन्दुस्तान में मालिकों और मज़दूरों के सम्बन्ध ठीक तौर से क़ायम हो सकें । अगर ऐसा नहीं होगा तो जब आपको खराबी मालूम होगी तो उसको ठीक करने के लिये आप एक क़ानून लायेंगे, फिर कुछ समय बाद उसमें खराबी मालूम होगी तो फिर आप दूसरा क़ानून लायेंगे । यह तो वक्त काटने वाली बात होगी कि जब कोई मुसीबत सिर पर आ जाय तब उसको हटा दिया जाय ।

अगर सही इलाज करना है तो सोच विचार कर करना चाहिये । वास्तव में मालिक और मज़दूर के सम्बन्धों का मसला मानव का मसला है, ईंट पत्थर का मसला नहीं है । अगर सरकार इस बात को ध्यान में रख कर इस मसले को हल करने की कोशिश करेगी तो वह इसको हल कर सकेगी ।

इस मौक़े पर जो माननीय मंत्री जी इस मसले को हल करने के लिये यह बिल लाये हैं मैं उनका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं । जब ट्रिब्यूनल्स के सामने मसले जाते हैं तो मालिक अपने आदमियों को भेजते हैं और जितनी दफा प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सब का खर्चा वह कम्पनी के खर्च में डाल देते हैं । लेकिन मज़दूर जिसके पास पैसा नहीं होता है, अपने खर्चे को कम्पनी के खर्चे में नहीं डाल सकता । कारख़ाने को मज़दूर और मालिक दोनों मिल कर चलाते हैं, दोनों मिल कर कारख़ाने की पूंजी को पैदा करते हैं । फिर यह कैसे हो सकता है कि जब मालिक और मज़दूर में झगड़ा हो तो मालिक तो अपने खर्चे को कम्पनी के खर्चे में डाल दे और मज़दूर का खर्चा उसके अपने सिर पड़े । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस क़ानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि जब मालिक और मज़दूर का झगड़ा ट्रिब्यूनल के सामने जाय तो मज़दूर और उसके नुमायन्दों के वहां आने जाने का खर्चा भी कम्पनी के खर्चे में डाला जाय । मैंने बैंक के कर्मचारियों में काम किया है । मैंने देखा है कि वहां जब कोई कर्मचारी अपना झगड़ा लेकर अदालत में जाता है तो उसका खर्चा भी बैंक में लगता है । लेकिन और किसी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं है । अगर ऐसा किया जायगा तभी सही मानी में हिन्दुस्तान के मज़दूर की मांग को पूरा किया जायगा ।

संशोधन विधेयक

हम देखते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनलों को आराम देने के लिये यह बिल लाया गया है ।

श्री आबिद अली : आराम देने को नहीं ।

श्री आर० आर० शास्त्री : हिन्दुस्तान की मज़दूर जमात तो चाहती है कि इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को बिल्कुल आराम या रिलीफ दे दिया जाय । मज़दूर जमात तो चाहती है कि उसको इस अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ दे दिया जाय । यह हिन्दुस्तान के मज़दूरों की संयुक्त आवाज़ है और मैं समझता हूं कि हुकूमत इस पर ध्यान देगी । मैं उम्मीद करता हूं कि वह वक्त जल्द आयगा जब हुकूमत इस सदन में इन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को हटाने का बिल लायेगी और एसा क़ानून लायेगी जिससे न्याय सस्ता और जल्द हो सके और हमारा देश सामाजिक न्याय की ओर बढ़ सके । उस दिन की हम प्रतीक्षा करते हैं ।

हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिये जो बिल सदन के सामने पेश किया है उसके लिये मैं हुकूमत को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह शिकायत बहुत पुरानी है कि अपीलीय न्यायाधिकरण किसी मामले का निर्णय करने के लिये बहुत समय लेता है । कई बार तो कई कई वर्ष लग जाते हैं । इस संशोधन विधेयक से यह शिकायत दूर हो जायेगी और न्याय जल्दी किया जा सकेगा ।

एक शिकायत यह भी है कि ये न्यायाधिकरण आदि बेकार हैं और श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल हैं । मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं । मेरे विचार में बड़े पैमाने के उद्योगों के

[श्री पी० सी० बोस]

लिये ये अनिवार्य हैं और हमारे देश में इन से औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में बहुत सहायता मिली है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि १९४७ में बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में हिंसात्मक कार्यवाही तथा हड़तालें हुई थीं । किन्तु इन न्यायाधिकरणों की व्यवस्था से स्थिति सुधारने में बहुत सहायता मिली थी । विवाद की सूरत में श्रमिक अब न्यायाधिकरणों की शरण लेते हैं और हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करते । नियोजक भी मजूरों को मजूरी से वंचित नहीं कर सकते जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि न्यायाधिकरण विवादों को शीघ्र से शीघ्र निपटा सकें । इस लिये मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं ।

श्री देवेश्वर सर्मा : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं केवल दो बातों का उल्लेख करूंगा । पहली यह है कि 'श्रमिक' शब्द की परिभाषा को अधिक विशाल बनाना चाहिये । उदारहणतया, चाय बागानों के डाक्टरों को जो कि कोई बड़े पदाधिकारी नहीं होते, 'श्रमिकों' में सम्मिलित करना चाहिये । इस विषय में श्री के० पी० त्रिपाठी ने जो कुछ कहा है, मैं उस का पूरा समर्थन करता हूं । अन्य श्रमिक जिन्हें श्रमिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना है वे टेकनिकल या ग़ैर-टेकनिकल कनिष्ट या वरिष्ट सहायक हैं, जो वैज्ञानिक तथा अन्य संस्थाओं में काम करते हैं और जिन का वेतन बहुत कम होता है । जोरहाट टाकलाय प्रयोग केन्द्र में, जहां चाय के उत्पादन के बारे में प्रयोग किये जाते हैं, ऐसे कर्मचारियों का वेतन ६० रुपये से ८० रुपये तक है । किन्तु एक पदाधिकारी का आरम्भिक वेतन ६०० रुपये है । वहां का एक पदाधिकारी तो लगभग २०२० रुपये प्रति मास पाता है । चूंकि श्रमिक विवाद अधिनियम इन सहायकों पर लागू नहीं होता इस लिये 'बड़े सहाब' जो कलकत्ता में रहते हैं, इन की दशा सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं देते । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक ऐसा व्यापक विधान बनाया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत इन लोगों को भी 'श्रमिकों' में गिना जा सके ।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक राज्य में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को उस राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय करने के लिये बैंच की व्यवस्था रखनी चाहिये । उदाहरणतया आसाम की अपीलों की सुनवाई कलकत्ता में नहीं होनी चाहिये बल्कि आसाम में ही होनी चाहिये । छोटे छोटे संघ और कर्मचारी आसाम से कलकत्ता जाने का खर्च नहीं उठा सकते । सरकार को इस सम्बन्ध में एक हिदायत जारी करनी चाहिये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : औद्योगिक विवादों का निर्णय दो प्रकार के न्यायाधिकरणों द्वारा किया जा सकता है । साधारण विवादों का निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत होता है और कुछ विवादों का निर्णय औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम के अन्तर्गत होता है । इन के संगठन में भी भेद है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार इन न्यायाधिकरणों को नियक्त करने का अधिकार केन्द्र और राज्यों को दिया गया है और इन के सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या ज़िला न्यायाधीश हो सकते हैं ।

और केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन एक सदस्य का भी न्यायाधिकरण बनाया जा सकता है । किन्तु जब सदस्य केवल एक हो, तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है या इस पद पर नियुक्त किये जाने के योग्य है । यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन एक मात्र सदस्य हो तो

वह कुछ न्यायिक अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिये ।

सभापति महोदय : वह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ७ का निर्देश कर रहे हैं । अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम में एक आरा और भी है जिसमें तीन अर्हताओं का होना आवश्यक बताया गया है ।

श्री राघवाचारी : मैं आपका ध्यान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण केवल एक व्यक्ति का हो सकता है और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को न्याय सम्बन्धी अनुभव होना आवश्यक हो जाता है । बैंच के सभापति में इन अर्हताओं का होना आवश्यक है । मैं इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि इन लोगों को न्याय सम्बन्धी अनुभव अवश्य होना चाहिये । औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम के अधीन बैंच सदैव एक व्यक्ति से अधिक की होना चाहिये । उसमें यह भी कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किये जाने के लिये सक्षम हो । संशोधन इस न्यायाधिकरण को एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण में बदल कर उसमें न केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है जिनकी नियुक्ति औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम के अधीन हो चुकी है वरन् ऐसे न्यायाधिकरणों को भी जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन हो चुकी है ।

श्री आबिद अली : केवल फुटकर आवेदनपत्रों के लिये ।

श्री राघवाचारी : मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि बड़े विवादों और अपील के कारण निलम्बित विवादों में अन्तर होना चाहिये । पहले आप यह चाहते थे कि महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय भी अपीलीय न्यायाधिकरण के सक्षम व्यक्तियों द्वारा हो । अब आप इस कार्य को अधिक सुविधा से बने हुये निकाय को सौंपना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार निलम्बित मामलों को निबटाने के लिये अधिक न्यायाधिकरणों की नियुक्ति क्यों नहीं कर सकती है जब कि उसका विचार नलिम्बित मामलों को निबटाना है । मैं इस सम्बन्ध में इस चीज़ से सहमत हो सकता हूं कि ऐसा करना आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा । यह प्रश्न केवल व्यय का न हो कर विश्वास का भी है । अतः मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक से इस बात की सम्भावना बढ़ जाती है कि विवाद ऐसे लोगों द्वारा निबटाये जाय जो अत्यधिक योग्य नहीं हैं । यह बात वास्तव में ऐसी है जिस पर विचार किया जाना चाहिये । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन राज्यों द्वारा भी न्यायाधिकरणों की नियुक्ति की जा सकती है । अपीलीय न्यायाधिकरण के सभापति द्वारा ऐसे मामलों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उपबन्ध यह है कि ये मामले उन न्यायाधिकरणों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जिनकी नियुक्ति केवल राज्य द्वारा की गई है । उसमें कहा गया है कि किसी कार्यवाही का स्थानान्तरण, चाहे वह अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायाधिकरण के सभापति अथवा उसके किसी अन्य सदस्य के सम्मुख निलम्बित हो, केवल उसी न्यायाधिकरण को किया जा सकता है जो ऐसी कार्यवाही निबटाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित किया जा चुका हो । इस प्रकार न्यायाधिकरणों में भेद किया गया है । ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार को इसका स्पष्टीकरण करना

[श्री राघवाचारी]

चाहिये कि उसम औ द्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन "समुचित प्राधिकारी" की परिभाषा के अन्दर नियुक्त किये गये न्यायाधिकरण ही आयेंगे अथवा केन्द्रीय सरकार (क) (२) के अधीन नियुक्त किये गये लोगों को भी इस प्रयोजनार्थ उल्लिखित कर सकती है ।

मंत्री महोदय ने ऐसे मामलों की संख्या पढ़ कर सुनाई जो अभी निबटाये जाने हैं । इतनी संख्या एक दो दिनों की न हो कर महीनों की है । आप अचानक ही अध्यादेश लागू करके असाधारण शक्ति को काम में लाना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि अध्यादेश जारी करने के लिये असाधारण शक्ति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । आप एक मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित करने का अधिकार चाहते हैं । यह अधिकार तो सभापति को पुराने अधिनियम के द्वारा भी प्राप्त था । आपको आवश्यकता इस बात की थी कि अधिनियम में ऐसा संशोधन करते कि जिससे (न्यायाधिकरण) में एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण को सम्मिलित किया जा सके । अतः यदि यह संशोधन हो जाता तो सारी समस्या सुलझ जाती ।

दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि सभापति को निदेश देने का पूर्णस्वविवेक दे दिया गया है । एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यर्थ ही में किसी मामले को नहीं स्थानान्तरित करना चाहिये । किन्तु यदि आवश्यकता पड़े तो सबक सिखाने के लिये ऐसा किया जा सकता है । उदाहरण के लिये आसाम के लगातार विवाद करने वालों के मामले समझौता करने के लिये त्रावणकोर-कोचीन के न्यायाधिकरण के पास भेजे जा सकते हैं ।

श्री आबिद अली : आसाम के लोग कलकत्ता से आगे नहीं जायेंगे ।

श्री राघवाचारी : अधिनियम में तो ऐसा कहा नहीं गया है, यह तो आप आश्वासन दे रहे हैं । कभी कभी इस प्रकार के मनमौजी आदेशों की सम्भावना हो सकती है । अतः सरकार एक लम्बा चौड़ा अध्यादेश जारी करने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत करने की बजाय यह संशोधन कर सकती थी जिसका सुझाव मैंने अभी दिया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे अनिवार्य मध्यस्थता-निर्णय व्यवस्था के बहुत से दोष कम हो जाते हैं । इन वर्षों में मजदूर संघ आन्दोलन को क्षति उठानी पड़ी है । हैदराबाद की एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी में ४८ दिनों तक हड़ताल हुई थी । इस सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दिया था कि मजदूरों को इन दिनों की मजदूरी मिलनी चाहिये । किन्तु बाद को मालिकों ने इस मामले को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पास भेजा । इसमें अभी समय लगेगा और इस बीच कम्पनी ने अति साधारण से कारणों पर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया । मालिक लोग जानते हैं कि न्यायाधिकरण के सम्मुख इन मामलों को आने में एक वर्ष या उससे अधिक समय लग जायगा । इस के पश्चात् हाल ही में समाचार पत्रों में घोषणा हुई है कि अपीलीय न्यायाधिकरण तोड़ दिया जायेगा किन्तु हम देखते हैं एक या दो धाराओं में संशोधन किये जा रहे हैं, जिनसे जो दोष उनम चला आ रहा है, वह कभी भी दूर नहीं हो सकता । मैंने देखा है कि न्यायाधिकरण में विलम्ब इसलिये होता है कि मालिकों के बड़े बड़े वकील वहां जाते हैं और १०–१५ दिनों तक सुनवाई हुआ करती है । यदि अपीलीय न्यायाधिकरण

फुटकर याचिकाओं को निबटाने में व्यस्त रहा है तो फिर जो महत्वपूर्ण मामले आये हैं उनका क्या होगा ? हम जानते हैं कि बैंक पंचाट से क्या हुआ है। मजदूरों के साथ बिल्कुल ही न्याय नहीं किया गया। योजना आयोग ने जो ज्ञापन परिचालित किया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य अलग कर दिये गये थे उनको पूरा करने के लिये वे श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को तोड़ने जा रहे हैं। ऐसी दशा में केवल दो धाराओं को संशोधित करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

अनिवार्य न्यायनिर्णयन को स्वतन्त्रता प्राप्त किये सात वर्ष हो जाने पर भी थोपा जा रहा है। समाजवादी ढांचे को अपनाने से हम समझते थे कि काफी संख्या में श्रम विधान बनाये जायेंगे। जब तक आप मजदूरों का रक्षण नहीं करते तब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य आप कैसे पूरा कर सकेंगे। यदि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है तो उसे श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त कर देने के प्रश्न पर विचार करना होगा अन्यथा यह रोग का उपचार न करके लक्षणों का उपचार करने के समान हो जायेगा।

श्री आबिद अली : मुझे यह जान कर खेद है कि संशोधन विधेयक में प्रस्थापित संशोधनों के क्षेत्र के विषय में काफी ग़लतफ़हमी है। यह बड़ा साधारण सा किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है। मेरे मित्र श्री आर० आर० शास्त्री तथा अन्य लोगों ने अध्यादेश जारी करने की आलोचना की है। इसका कारण था अपीलों की निबटाने में शीघ्रता करना। ६ न्यायाधीशों की तीन बेंचों को बढ़ा कर अब ६ न्यायाधीशों की आठ बेंचें कर दी गई हैं। पांच-छः मास पूर्व हम आशा यह करते थे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देने से न केवल अपीलों को निबटाने में ही वरन् साथ ही इन आवेदन पत्रों को भी निबटाने में सहायता मिलेगी किन्तु अभाग्यवश हमने देखा कि अपीलय न्यायाधिकरण के सम्मुख इस प्रकार का कार्य है कि कुछ मामलों में उन्हें तीन न्यायाधीशों की विशेष बेंच बनानी पड़ीं और कुछ अपीलों में जितना समय लगना चाहिये था उससे कहीं अधिक समय लग गया। एक अपील में जिसमें दो न्यायाधीश बैठते थे, लगभग ४½ मास का समय लग गया और एक इसकी विशेष बेंच को, जिसमें तीन न्यायाधीश थे, लगभग दो मास लग गये। अतः यह जानते हुये कि इस तरीक़े के द्वारा हमने कोई ठोस प्रगति नहीं की, हमने एक अध्यादेश जारी करने का विचार किया जिससे श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सभापति को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी एक न्यायाधीश को, जब उसके पास काम न हो, मामले सौंप सकता है। जहां चार न्यायाधीश हों जिनमें से तीन विशेष बेंच में बैठते हों, तो एक के पास कुछ काम नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में वह इन फुटकर आवेदनपत्रों को निबटा सकता है और साथ ही जहां सम्भव हो, इन आवेदनपत्रों का निर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन नियुक्त एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण को किया जा सकता है।

श्री राघवाचारी को यह सन्देह था कि क्या ये आवेदनपत्र राज्यों द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरणों के पास निबटारे के लिये भेजे जायेंगे। ऐसा नहीं होगा। इन मामलों को राज्य न्यायाधिकरणों को निर्देश करने का कोई विचार नहीं है। हम दक्षिण के लिये एक अन्य केन्द्रीय न्यायाधिकरण बनाने का विचार कर रहे हैं और वास्तव में हमने त्रावणकोर-कोचीन सरकार से निवेदन किया है कि वह अपने न्यायाधीशों में से एक को खाली कर दें, जिसे दक्षिण के मामलों को,

[श्री आबिद अली]

निबटाने के लिये, यदि सम्भव हो सके तो तीन चार मास में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सके। ऐसा होने से आसाम के मामलों को अधिक दूर अथवा दक्षिण से इस स्थान को निर्देश करने की सम्भावना नहीं रहेगी क्योंकि हमने अपीलीय न्यायाधिकरण को भी पहले ही यह निदेश जारी कर दिये हैं कि जहां तक सम्भव हो वह देश के उन विभिन्न भागों में बैंचें रखे जहां अधिक संख्या में अपीलों का निबटारा होना है। निश्चय ही जब तक कि वे नागपुर जैसे महत्वपूर्ण विषय की न हों तब तक एक-दो अपीलों के लिये वे ऐसा नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण अपील की सुनवाई के लिये, जिसमें कुछ सप्ताह लग गये थे, बम्बई की अपील बैंच को नागपुर जाना पड़ा था। हमारा एक सदस्य वाला न्यायाधिकरण धनबाद से दिल्ली और वहां से और जहां कहीं भी ऐसे मामलों की पर्याप्त संख्या हो, उन स्थानों को जाया करता है।

तत्पश्चात्, मैं अनिवार्य न्यायनिर्णयन को लेता हूं। इस विषय पर जब कभी चर्चा होती है तो मामलों का मजबूरी में न्यायनिर्णयन के लिये निर्देश किये जाने पर सरकार की आलोचना की जाती है। इस सम्बन्ध में कुछ मास पूर्व हमने सूचना एकत्र की थी और किसी प्रश्न के निर्देश में सभा पटल पर भी रखी थी। जिससे पता लगता था कि इन न्यायनिर्णयन में से ९९ प्रतिशत से अधिक में निर्देश मजदूर संघ के निवेदन पर किया गया था। मेरे पास यहां अपीलों के आंकड़े नहीं हैं किन्तु यदि मुझे ठीक स्मरण है तो मजदूरों द्वारा ही अधिक संख्या में अपील की जाती हैं। निश्चय ही ९९ प्रतिशत मामलों में न्यायनिर्णयन मजदूरों के आवेदन पत्रों पर ही किये जाते हैं। तो फिर इस आरोप के लिये कहां गुंजाइश रही कि सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से न्यायनिर्णयन कराया जाता है? दूसरी ओर मजदूरों ने शिकायत की है कि उनके कुछ मामलों का निर्देश न्यायनिर्णयन के लिये नहीं किया जाता है। हम जहां कहीं यह देखते हैं कि उनकी मांग ऐसी नहीं है जिसका न्यायनिर्णयन के लिये निर्देश किया जा सके और वे मांगें ऐसी हैं कि उनमें सफलता नहीं मिलेगी, तो हम उनका निर्देश न्यायनिर्णयन के लिये नहीं करते। अन्यथा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ९९ प्रतिशत मामलों में न्यायनिर्णयन मजदूरों के आवेदन पर होता है।

मैंने इस आरोप के सम्बन्ध में पहले कभी नहीं सुना कि स्वामि-सेवक-समितियों को समाप्त कर दिया गया है। हमने किसी भी स्वामि-सेवक-समिति को नहीं समाप्त किया। हम चाहते हैं, न केवल स्वामि-सेवक समितियों के द्वारा ही वरन्, संघों और बातचीत के द्वारा भी, कि मालिकों और मजदूरों को अपने मतभेदों को मिल जुल कर आपस में तय कर लेना चाहिये। हमें बीच में नहीं आना चाहिये। यही हमारा इरादा है। या तो हम दूर रहें या उनमें समझौता कराने में सहायक बनें। यदि इस प्रकार उनमें समझौता कराना हमारे लिये सम्भव नहीं तो इस अधिनियम में न्यायनिर्णयन का उपबन्ध है और इसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। अतः श्री आर० आर० शास्त्री द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः असंगत और निराधार है।

प्रस्तुत विधेयक के विषय में यह आलोचना की गई है कि बड़ा संशोधनकारी विधेयक रखने के लिये हम जो वचन दे चुके हैं उसकी पूर्ति करने से हम बचना चाहते हैं। वह वचन अब भी कायम है किन्तु मैं पहले ही संसद् के सम्मुख यह छोटा विधान रखने का कारण बता चुका हूं। ऐसा उस वचन की पूर्ति से

बचने अथवा मालिकों से प्रभावित होने की वजह से नहीं किया गया है जैसा कि अन्य माननीय सदस्य ने कहा है । इसमें किसी का प्रभाव पड़ने की कोई बात नहीं है । निश्चय ही मजदूरों को अभ्यावेदन करने और हमसे मिलने का अधिकार प्राप्त है । परन्तु यह कहना अनुचित होगा कि उन्होंने हम पर इस हद तक प्रभाव डाला है कि हमने औद्योगिक विवाद अधिनियम के सम्बन्ध में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का विचार छोड़ दिया जिसके द्वारा उसमें वे संशोधन किये जा सकें जो आवश्यक समझे जाते हैं और जो स्थायी श्रम समिति की तथा विभिन्न उपसमितियों की बैठकों में स्वीकार कर लिये गये हैं । मुझे आशा है कि संसद् के इसी सत्र में वह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ।

अपीलीय न्यायाधिकरणों के समाप्त किये जाने के बारे में भी श्री के० पी० त्रिपाठी की आशंका मेरी समझ में निराधार है ।

जहां तक डाक्टरों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उन्हें श्रमिकों की श्रेणी में रखा जा सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि विचार प्रस्ताव पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—(नई धारा २३क का रखा जाना)

श्री तुषार चटर्जी : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ २ में, पंक्ति ४ के पश्चात् इस आशय का परन्तुक जोड़ा जाये कि उपखंड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही के निबटारे के सब मामलों में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समुचित सुनवाई की जाये । मैं अपने संशोधन का प्रयोजन पहले ही बता चुका हूं । औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) विधेयक की धारा २२ में यह उपबन्ध स्पष्ट रूप से नहीं है । अतः मैं समझता हूं कि इसमें यह होना चाहिये ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री आबिद अली : इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अन्तर्गत संचालित होती है : अतः एकपक्षीय निर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । अब तक मेरी निगाह में ऐसा एक भी मामला नहीं आया जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण ने एकपक्षीय निर्णय दिया हो । इन परिस्थितियों में मैं सभा से निवेदन करूंगा कि यदि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस न लें तो वह उसे अस्वीकार कर दे ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री तुषार चटर्जी : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३, खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आबिद अली : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री राघवाचारी : इस नये संशोधन—खंड २३ क—में धारा ८ या धारा २३ की ओर कोई निर्देश नहीं है । इसमें केवल यह कहा गया है :

"जहां धारा २२ या धारा २३ के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष निलम्बित है;"

इस प्रकार अधिनियम के अलग अलग हिस्सों में असंगति होने की सम्भावना है । मैं यह बात मंत्री महोदय की सूचना में लाना चाहता हूं । सम्भवत: मूल अधिनियम की धारा २३ को संशोधित करना भी अधिक अच्छा होता । उसमें से ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिये—"मानों वह उसके समक्ष निलम्बित अपील हो" । ये शब्दरखना अधिक अच्छा होता—"धारा २३ क के उपबन्धों के अनुसरणता में" । इसके उपबन्ध पूर्णत: स्पष्ट हो जाता ।

श्री डी० सी० शर्मा :(होशियारपुर) : "श्रमिक" शब्द का अर्थ इतना विस्तीर्ण कर दिया गया है कि श्रमिकों से सम्बन्धित किसी भी विधान को विभिन्न पहलुओं से देखा जाना होगा। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मेरा जिस व्यवसाय से सम्बन्ध रहा है उस व्यवसाय के लोगों को भी 'श्रमिकों' की श्रेणी में समझा जाये।

सभापति महोदय : प्रस्तुत विधेयक के इस प्रक्रम पर इस प्रकार का सुझाव देना असंगत होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि न्याय शीघ्रता से और कम खर्चे पर किया जा सके और प्रक्रिया सरल बनाई जा सके । अत: मुझे आशा है कि माननीय मंत्री बाद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेंगे कि जिसमें प्रक्रिया को सरल बनाने और न्याय अविलम्ब तथा कम खर्च पर किये जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध हों । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री आबिद अली : दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जिन कठिनाइयों की ओर सकेत किया उनके विषय में मुझे यह कहना है कि अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा ८ के अनुसार प्रत्येक बैंच में दो से कम सदस्य नहीं होंगे । संशोधन विधेयक में यह प्रस्थापना है कि जहां तक धारा २२ और २३ का सम्बन्ध है, वे प्रकीर्ण मामलों के बारे में है जो एक ही न्यायाधीश द्वारा निबटाये जा सकते हैं । इस संशोधन विधेयक का प्रयोजन और कुछ नहीं है ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : क्या मैं जान सकता हूं कि धारा २२ के अधीन कितने मामले निबटाये जा चुके हैं ? उपमंत्री ने इस सम्बन्ध में जानकारी देने का वायदा किया था ।

श्री आबिद अली : मेरा ख्याल था इस विधेयक पर वाद-विवाद कल भी जारी रहेगा । अन्यथा मैं यह भी बता देता ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समवाय विधेयक

सभापति महोदय : वित्त मंत्री ।

एक माननीय सदस्य : कुछ ही मिनट शेष रहे हैं । वह अपना भाषण कल ही दें तो अच्छा हो ।

सभापति महोदय: मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव तो आज ही प्रस्तुत कर दूं और भाषण कल दूं ।

सभापति महोदय : हां ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवायों तथा कतिपय अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित विधि को एकीकृत और संशोधित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

इसके पश्चात् लोक-सभा, बुधवार, १० अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—H 211 LSD—27-6-56—190